

an>

Title: The motion for consideration of the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in unauthorised Colonies) Bill, 2019 (motion adopted and bill passed).

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to move*:

“That the Bill to provide special provisions for the National Capital Territory of Delhi for recognising the property rights of resident in unauthorised colonies by securing the rights of ownership or transfer or mortgage in favour of the residents of such colonies who are possessing properties on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter or any other documents including documents evidencing payment of consideration and for the matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

I want to provide a small background and perspective to the issue which is now brought before this House through this Bill. When we became an independent country in 1947 the population of Delhi was eight lakhs. After the turbulence, the violence and the bloodshed of the partition of India another eleven lakh people came and sought refuge in the city of Delhi. The 1950 census, which is the first census that we have, placed the population of Delhi at around 20 lakhs. In the next census, that is in the 2021 census, we are expecting it to increase exponentially. Anyone who has even a nodding acquaintance with the city of Delhi knows that population in Delhi or the National Capital Region will be in the vicinity of two crores, give or take a little. Why do people move to other places? Essentially people want to go to places where they can earn their livelihood. When my previous generation came and sought refuge in Delhi, they stayed in make-shift refugee camps. My father stayed in a refugee camp in Kingsway Camp.

Then, slowly the city has to provide the infrastructure. Clearly, we have failed those who come and inhabit the urban spaces. In fact, I would go to the extent of saying that prior to May, 2014 when Modi ji's Government was formed, we were somehow treating the urban space as part of a consideration, never fully comprehending the potential or the fact that it could be turned into a win-win situation. After Modi ji's Government came in, many of Prime Minister's flagship programmes were introduced in June 2015.

Let me give you one example. The Pradhan Mantri Awas Yojana was introduced by the Prime Minister because he wanted to implement his dream which was to give every Indian, no matter where he or she lives, a home which could be called his or her own, with a *pucca* structure, a toilet, a kitchen and the title of that tenement would have to be in the name of the lady of the house. It is because there was a feeling that whenever there was a marital discord it is the lady who got short-changed.

When my Ministry did a demand assessment in the year 2014-15 as to how many new structures would have to be constructed, we came to the conclusion that we would have to build something like one crore units under the Pradhan Mantri Awas Yojana for every Indian to be able to live in a home which he or she can call it his or her own. That was the Prime Minister's dream.

I am very happy to inform you that according to the latest figures I have of the Pradhan Mantri Awas Yojana, the demand assessment was one crore or ten million which was subsequently revised to one crore and twelve lakhs or 11.2 million. In the meeting of the Committee on Sanctioning and Monitoring of Projects which took place yesterday under the chairmanship of the Secretary in my Ministry, we have sanctioned another 370,000 homes and the total figure against the required one crore is something like 96 lakhs or 97 lakhs. So, three years before this scheme is to be completed in 2022, we are almost completing it.

It is a fact that many States in the country show uneven progress. The State from which I am elected, that is Uttar Pradesh, has done sterling work in the last two to three years, after March 2017. There more than 14,50,000 Pradhan Mantri Awas Yojana units have been given. I am only citing this as an example.

I want to come back to the specific issues of Delhi. Delhi today is not only the national Capital but also the highest provider of revenue. It makes the largest contribution to the GDP. People come to settle in Delhi to look for work from all regions of the country and from all walks of life. I gave the example of 1947 when people came, after the partition, to the newly independent India. Today we estimate that around 40 lakhs of Delhi citizens, that is 40 lakhs out of the two crore of population that we have, reside in what are called unauthorised colonies. I want to spend a minute or two explaining why this term ‘unauthorised’ is used. Sir, unauthorised colonies pose a problem for a variety of reasons. People living there do not have registered conveyance deeds and they cannot raise money from the banks because they are unauthorised. The local authorities, which have to provide the amenities, do not treat them on par with regular colonies which are part of the lay-out of the Master Plan etc.

Attempts have been made to deal with the problem of unauthorised colonies over the last many decades. I can cite that such attempts have been made in 1961, 1977, 2000, 2008 and so on. But I can tell you, Sir, that all these attempts have been half-hearted. They have never grappled with the problem in its entirety.

Today, we have a situation where 40 lakhs or more – the figure may be as high as 50 lakhs also – have been living in these so-called unauthorised colonies. Sir, in 2008, a notification dated 24th March, 2008 was gazetted. Based on that notification, some 1760 or so colonies were identified as falling in this category.

Sir, some attempts were made in 2008. But, again, these attempts were half-hearted. Then we came to the year 2011. There is a famous judgement of the Supreme Court in the case *Suraj Lamp and Industries vs. State of Haryana* on 11th October, 2008. I will secure the indulgence just to quote the operative part of that judgement. This is paragraph no. 16 of the judgement. It said: “We, therefore, reiterate that immovable property can be legally and lawfully transferred, conveyed only by a registered deed of conveyance. Transactions of the nature of GPA sales or SA/GPA /WILL transfers do not confer title and do not amount to transfer, nor can they be recognised a valid mode of transfer of immovable property. The Court will not treat such transactions as completed or concluded transfers or as conveyances as they neither convey title nor create any interests in any immovable property.”

Sir, the fact of the matter is most of the property transactions in Delhi took place most of the time under general power of attorney and the kind of documentation that I am mentioning. With this Supreme Court judgement, persons who were in possession of property there or who moved into such colonies found it very difficult to acquire – what I call in a better term – legitimacy in terms of local laws.

It became clear when we passed some regulations in 2015. This is the last major medication to the regulation towards regularisation of unauthorised colonies notified on 1st January, 2015 under the Delhi Development Act. All these regulations that we had been passing and all the consideration of this matter made it abundantly clear that the Government of the National Capital Territory of Delhi would have to delineate these unauthorised colonies.

In other words, they would have to digitally map these colonies because you cannot proceed to the stage of conferring rights unless you know as to how many colonies there are. So, Sir, I will take you back to the year 2008. Today, we are in 2019. For 11 years, whichever Government has been in the National Capital Territory of Delhi – I do not want to say which Government was there till 2015 or which Government was there after 2015 – they made attempts but these were half-hearted attempts.

We were in correspondence with the current Government which is in power in National Capital Territory of Delhi who gave affidavits before the learned High Court. When in correspondence with them, they told us that the company which has to be entrusted with the task of mapping these colonies digitally, that company has not even been awarded the work and they require another two years. It became very clear that nothing would happen till 2021. This is the time that the Central Government -- and the Prime Minister, as part of his overall urban rejuvenation programme -- took a decision that we would in one-go, as a special one-time case, seek the legislative authority to confer ownership rights or what we call '*malikana haque*' in Hindi on the residents of these 1,797 colonies. As per the 2008 notification, we have excluded from these colonies those colonies, which clearly fall in another category. These are colonies where the affluent members of the society live. So, these have been excluded, and the current Bill seeks to address the problems of those who live in 1,731 colonies where there are disadvantaged people or the plot sizes are very small -- some of them are 25-30 square metres or even when they go up, they are not more than 100 square metres, etc. So, they vary.

What do we propose to do? Firstly, this exercise has two clear segments. The first segment is that the work, which should have been done in the last 11 years, that is, to digitally map these colonies needs to be completed. With great sense of humility and great sense of satisfaction I place, through you, before this House that the work, which could not be done in the last 11 years, we propose to complete it well before 31 December. The maps of all 1,731 colonies will be uploaded on the new portal, which has been created.

Now, I want to provide a few clarifications here. It is not that we are only physically getting the data from the Survey of India or any technical agency or satellite imagery. We are doing something more. We are putting up the boundaries of a colony, and you know that these colonies are spread and their boundaries are inter-mingling with the boundaries of another. We are trying to draw lines. We are uploading these digital maps onto the portal, and we are giving the Resident Welfare Association of those areas a time of 15 days to respond. It may so happen that when you place such a digital map and upload it, someone will come around and say that : "You are calling this a colony so and so, but this is my colony" and then we might have to readjust the digital maps. This is the first part of the process.

I am very happy to inform you that we have already got the maps of 600 or so, and even as we speak the work is going on. But within the next few weeks, the digital maps of all 1,731 colonies will be uploaded. After that comes a second and more important phase in it. Individuals who can show evidence that they are living in those tenements; those who have recourse; and who can produce either a general power of attorney, a will, an agreement to sell, payment or a possession document can then start applying on the second portal,

which will be created very shortly. I think that the date for creation of that portal is 16th December. So, we have one portal for the uploading of all the digital maps ready, and the second portal will be ready by 16th December. After that, all the people who have been deprived of conferment rights for the last 11 years or even earlier are free to come and apply for registration. In order to make it really easy, the terms for this conveyance has been made, if I may be permitted to say, 'extremely beneficial' to those who are living there. For small plots of less than 50 metres or 100 metres, we are charging only half-a-per cent of the Circle Rate. If it is a private land or a government land, then it would be either half a percent or 0.25 per cent. If it is between 100 sq.m. and 250 sq.m, then it is one per cent and if it is beyond that, it is 2.5 per cent. As I said, half of it is in the other category. Sir, there are only two categories which have been excluded. If it is on a forest land or a proscribed category, or if it is an encroachment on a government land, this is something about 9 per cent of the total. All the others will be covered.

Sir, I might like to share with you that these 40 or 50 lakh people, whatever the figure is, live in unauthorised colonies spread over 175 sq.km or 43,000 acres of land. The colonies are very widespread. But we will now have the architecture and the ecosystem in place in one go to provide them ownership rights..... (*Interruptions*). These are my opening remarks and I will be happy to listen to our hon. Members after this.

I have seen some suggestions that we must get this done in three days. We can design an ecosystem whereby all the 1,731 colonies will be digitally uploaded on a portal which is already functioning. It already has some colonies, we are adding more to them by the day and we can design a very efficient system. It may so happen that when we start the online work on the second portal, we may come across some issues. A gentleman, my senior colleague, may have documents in his possession which show that he has a claim but properties are sometimes sold many times over, somebody else may show that as evidence – General Power of Attorney. My own assessment is that such cases are not more than 15 per cent or so. We should be able to confirm ownership rights to a large number of people who live in these colonies. The tentative conclusion I have been adopting is between 40 to 50 lakh people and I think this will mean 7 or 8 lakh people who will apply for the conferment of these rights.

Sir, I would like to confine myself with these introductory comments. I am very sure that the Bill in many respects, *sui generis*, is one of a kind because it seeks to provide a one-time exception in order to improve the living of our citizens in this capital city because if we were not to do this and allow this, many of these buildings where 40-50 lakh people live would remain unsafe. There are unhygienic conditions and civic amenities are not being provided to them. It is part of a large work that we are doing for the city of Delhi and urban spaces.

Very recently, we announced land pooling which will result in 70 lakh homes being built. We have added about 120-130 kms of metro. There are certain other steps that we have already taken and will take more steps. So, I recommend this Bill for consideration and approval.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide special provisions for the National Capital Territory of Delhi for recognising the property rights of resident in unauthorised colonies by securing the rights of ownership or transfer or mortgage in favour of the residents of such colonies who are possessing properties on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will,

possession letter or any other documents including documents evidencing payment of consideration and for the matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

SHRI ANUMULA REVANTH REDDY (MALKAJGIRI): The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019, सभापतिमहोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि page no. 2, para 1, notification no. SO 683A dated 24th March, 2008 of Delhi Development Authority. यह नोटिफिकेशन 24 मार्च, 2008 को दिया गया। This is the time to remember our beloved leader, Shrimati Sheila Dikshit ji for the growth of Delhi and development including roads, flyovers and metros, pollution control, better public transportation system as well as development of health and education systems. Being the Chief Minister of Delhi for 15 years, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के लिए डेवलपमेंट किया। उनके द्वारा दिल्ली में रोड, मेट्रो, पॉल्यूशन कंट्रोल आदि से संबंधित काम करके जो दिल्ली का डेवलपमेंट किया गया, उसके लिए इस सदन को शीला दीक्षित जी को याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनको याद कर रहा हूँ।

इसमें पैराग्राफ-4 को देखें II wanted to mention paragraph no. 4. I am supporting this Bill. I wanted to give certain suggestions to the Union Government. In paragraph no. 4, it is mentioned, “...or the sale consideration mentioned in the conveyance deed or authorisation slip, as the case may be, whichever is higher.”

यहाँ पर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि लगभग 1797 अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में near about 50 lakh people are going to benefit. इन कॉलोनीयों में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग रहते हैं। यह सरकार इन कॉलोनीयों में चार्ज लगाने के लिए क्यों सोच रही है? अगर सरकार ‘सबका साथ और सबका विकास’ करना चाहती है, तो पूरे भारत के कोने-कोने में जितनी भी कॉलोनीयों हैं, बिहार से बंगाल तक, कर्नाटक से केरल तक, आन्ध्र प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक, देश के कोने-कोने के लोग दिल्ली में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ्री कर देना चाहिए। कोई भी चार्ज करने के लिए मत सोचिए। And moreover, transparent. यानी कर प्शन का कोई भी सोर्स नहीं रहना चाहिए। कुछ मोहल्लों में अन-एजुकटेड या बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत होगी, इसलिए सरकार इसे कर प्शन फ्री करने के लिए क्या सेफ। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे लोग, गरीब लोग इन कॉलोनीयों में रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार का इस बारे में सोचना जरूरी है।

In the last paragraph, it is mentioned, “...unauthorized colony where no permission has been obtained for approval of layout plan.”

जिन कॉलोनीयों में बिना परमिशन के अन-ऑथराइज्ड रूप से गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कोई सिस्टमैटिक रूप से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी उसके लिए जो बेसिक एमिनिटीज जरूरी हैं, उनके लिए कोई बजट हीन नहीं होता है। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इन कॉलोनीयों में रोड्स, ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल आदिकी सुविधाओं के लिए क्या करेगी? यह देश की राजधानी है। इसे मॉडल मेट्रो सिटी बनाने की जरूरत है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड के रूप में एक पैकेज देना चाहिए। जैसे आप पूरे कॉलोनीज को डिजिटल कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स, कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर, आम जनता की जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कॉलोनीयों के डेवलपमेंट के लिए भी एक स्पेशल डेवलपमेंट फण्ड रखने की जरूरत है। उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए।

इस समय मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ तीन-चार महीने में दिल्ली में चुनाव होने वाला है । उसके पहले आप यह बिल सदन में लेकर आए हैं । इसी तरह से, जब आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव थे, तो आन्ध्र प्रदेश के लिए आपने स्पेशल कैटगरी और तेलंगाना के लिए स्पेशल इनसेंटिव्स की बात की, like Railway Coach Factory, Tribal University, IIM, and other things. लेकिन पाँच वर्ष बीत गये हैं, ये सभी आज तक नहीं बने हैं ।

जब बिहार में इलेक्शन का समय आया था, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि दो लाख करोड़ रुपये बिहार को स्पेशल पैकेज के रूप में मिलेंगे । लेकिन चुनाव होने के बाद बिहार को कुछ नहीं दिया गया ।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो बिल इंट्रोड्यू किया गया है, जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एश्यों से जड़ दिए गए और पाँच साल के बाद भी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ । पाँच साल के बाद भी वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ । ऐसा ही बिहार इलेक्शन में भी हुआ । इस बिल को भी मैं आंध्र प्रदेश और बिहार के पैकेज जैसा नहीं होने देना चाहता हूँ । इसलिए 'सबका साथ, सबका विकास' काम तलब है - the Government has to give special attention to it. The Urban Development Ministry should allocate certain budget for this. इसीलिए, मैं गवर्नमेंट को यह याद दिलाना चाहता हूँ । इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,797 कॉलोनीज़ में से जैसे सैनिक फार्म्स, महेन्द्र एन्क्लेव, अनंतराम डेयरी और अन्य 66 कॉलोनीज़ को एक्सक्लूड किया ।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए कोई प्लान-बी, इन 66 कॉलोनीज़ के लिए कोई पैकेज बनाया जाएगा? ये जो कॉलोनीज़ हैं, इनका दिनांक 24 मार्च, 2008 के आपके नोटिफिकेशन के अनुसार रेग्युलराइजेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है । According to that, आप इन लोगों के लिए कोई प्लान-बी बनाइए, क्योंकि अगर बाकी सारे काम हो गए और केवल यह काम रुक गया तो काफी दिक्कत हो जाएगी ।

मैं एयर पॉल्यूशन के बारे में कहूँगा । इतने सारे स्लम्स, छोटी-छोटी झोपड़ियों के होने से ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी डेवलपमेंट न होने की वजह से एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है । एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने इस हाउस में पिछले हफ्ते बहुत बातें की हैं । एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सोचना जरूरी है । इस टाइम मैं सरकार से यह डिमांड करना चाहता हूँ कि यह पॉलिटिकल स्टंट नहीं होना चाहिए । आपको इसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड देना है और इसमें स्टैंप ड्यूटी फ्री कर देनी है । आपको इन 1,797 कॉलोनीज़ और अन्य कॉलोनीज़ के कॉम्प्रेहेन्सिव डेवलपमेंट के लिए कॉमन एमिनिटीज़ विकसित करनी हैं । You should have some special development fund to develop all these colonies to create basic infrastructure for education, health, side drains, electricity, drinking water etc. आप लोग इसमें क्लेयरिटी दीजिए । मिनिस्टर साहब को इस हाउस को एश्यों से देना है । इस हाउस को आप जो एश्यों से जड़ देते हैं, उन एश्यों से जड़ को इलेक्शन से पहले 100 परसेंट पूरा होना है । आपने डिजिटलाइजेशन के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी । मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह दिल्ली इलेक्शन से पहले सब 1,797 कॉलोनीज़ में जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ हैं, उन सब को रेग्युलराइज़ कर दे । हमें उसका डॉक्यूमेंट चुनाव से पहले मिल जाए । अगर आप चुनाव के बाद यह काम करने के लिए एतय हट्टू सरामुद्दा बन जाएगा । इसीलिए मैं सरकार से चुनाव से पहले यह पूरा काम खत्म करने के लिए कहना चाहता हूँ । धन्यवाद ।

श्रीरमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सर, दिल्लीमें 40 लाख गरीब लोग 100 गज से कम के छोटे प्लॉटों में जीवन बसर कर रहे हैं ।
 मैं विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का,
 हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हर दीपपुरी जी का और लोग यह कहेंगे कि मैं होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी के लिए धन्यवाद क्यो
 लेकिन ये जो 40 लाख गरीब लोग रह रहे हैं, उनकी तरफ से इस बिल को लाने के लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा ।
 ये लोग 40 सालों से तड़प रहे थे कि हम दिल्ली में अपने मकानों में तो रहते हैं, लेकिन ये मकान हमारे हैं भी यानही हैं?

सर, दिल्ली देश की राजधानी है । सबको यह रहने का अधिकार है । राजधानी में लोग अपने बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए,
 बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन-यापन करने के लिए गांवों से निकल कर अर्बन इज शहरों की तरफ आए थे ।
 उनको उम्मीद थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जाएंगे तो सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और रोजगार भी मिलेगा ।
 इसके साथ-साथ यह देश का दुर्भाग्य रहा कि वे लोग ये भूल गए कि दिल्ली में शासन करने वाले कौन लोग बैठे हुए हैं ।
 उन लोगों ने यहां आना शुरू किया । दिल्ली में वर्ष 1957 में तत्कालीन सरकारों के माध्यम से डी डी ए
 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया ।

अभी रेड्डी जी लंबी-लंबी बातें बोल रहे थे, मैं इनकी सब बातों का जवाब दूंगा ।
 अच्छा होता कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते, नेता-
 प्रतिपक्ष से लेकर सब लोग मौजूद रहते और दिल्ली की पीड़ा को समझते और वहां के लिए इस प्रकार के कुछ सुझाव देते ।...
 (व्यवधान) सर, मैं आपको बताऊंगा, आप क्यो चिंता करते हो? ... (व्यवधान) डी डी ए ने भू-
 माफिया के रूप में काम करना शुरू किया और गांवों के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव में खरीद कर व्यवसाय करना शुरू कर दिया
 । तत्कालीन सरकारों के माध्यम से जमीनें लुटनी शुरू हो गईं, उन चहेते राजदार लोगों के द्वारा, जो...
 के लोगों के रूप में राज कर रहे थे ।

सर, उन जमीनों का बंटवारा हो रहा था ।
 किसान व्यथित था कि कौड़ी की भाव में जमीन ले ली जाती है और बाद में उसका व्यापार किया जाता है ।
 बाद में उसका व्यापार किया जाता है । किसानों ने भी अपनी जमीनें को लोना इजर्स को देनी शुरू कर दीं ।
 अनियमित कॉलोनियों में लोग रहने लगे । डी डी ए उन लोगों को मकान प्रोवाइड ही नहीं कर पाई ।
 तत्कालीन सरकारें व्यवस्था ही नहीं कर पाई । उनको यह अहसास ही नहीं हुआ कि देश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली में रोजी-
 रोटी के लिए आए हैं, अपने उच्च भविष्य के लिए आए हैं । उन सरकारों को उनकी चिंता करनी चाहिए थी,
 लेकिन उन सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की । अगर वे चिंता करतीं, तो दिल्ली की 1071 कॉलोनियों से बढ़ कर आज 2300
 अनियमित कॉलोनियां, अनियमित नहीं कहीं जातीं ।

महोदय, 1987 में डी डी ए के बाद यहां पर यह स्थिति पैदा होगी कि जब 1987
 में दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों के माध्यम से अव्यवस्था फैलने लगी, तो 1987
 में बाला कृष्ण नाम से एक कमेटी का गठन हुआ कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी बनाई जाए । अब तो दिल्ली राज्य की तरफ हो गई है ।
 लोग आ गए हैं, स्लम की तरफ बने तीजार ही है ।
 बाला कृष्ण कमेटी के माध्यम से संघीय ढांचे के रूप में दुनिया के देशों के अंदर जो संघीय राजधानियां हैं,
 उनकी स्टडी बुद्धिमान लोगों ने की और वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का संकल्प लिया ।
 विदेशों में भी जो संघीय राजधानियां थीं, वहां पर भी लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केन्द्र के पास थी, अतः
 उन बुद्धिमान लोगों ने तय किया कि लॉ एण्ड ऑर्डर और लैंड केन्द्र के पास रहने चाहिए । केन्द्र के पास क्यो रहनी चाहिए?
 आपके माध्यम से मैं दिल्ली और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठे हुए एक... * हमेशा इस प्रकार की...
 * करते रहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दें, तो वह सब ठीक कर देंगे ।

महोदय, वह बुद्धिजीवी लोग समझते थे कि दिल्ली में इस प्रकार के एनार्की लोग भी कभी सत्ता में आ सकते हैं ।
 लॉ एण्ड ऑर्डर इसलिए है, क्यो कि यहां पर एंबेसी जहें, यहां पर सभियां के भवन हैं । उनको सिक्वोरिटी चाहिए ।
 यहां पर एन डी एम सी के अंदर, वी आई पी एरिया के अंदर सारे वी आई पी लोग रहते हैं, इसीलिए उस कमेटी के माध्यम से वर्ष 1991
 से केंद्र ने लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने पास रखा । अर्बन इज लैंड अपने पास इसलिए रखी,
 क्यो कि उन बाहर के भवनों को अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो... * जैसे लोग एनार्की करेंगे और धरने पर बैठेंगे,

जो अभी कुछ दिन पहले बैठे भी थे । इस प्रकार से वर्ष 1991 में एन सी टी एक्ट बन गया, लेकिन 1993 में खुराना जी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो जनवरी, 1994 तक का एरियल सर्वे कराया गया । केंद्र में नरसिम्हाराव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी । चूंकि लैंड कामामला केंद्र सरकार के अधीन था, इसलिए 1071 कॉलोनीयों का सर्वे करने के बाद वह फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई कि 1071 कॉलोनीयों को पास किया जाए । अधीर जी, मैं मानसिकता बतारहा हूँ । अगर आप कांग्रेस की असलियत जान जाँगे तो आप भी कांग्रेस को छोड़ कर हमारे पास आ जाँगे ।

महोदय, तत्कालीन केंद्र सरकार ने फाइल को 10 साल तक दबा कर रखा । नरसिम्हाराव जी के नेतृत्व में सरकार थी । अगर तब लैंड केंद्र के पास होने के साथ ही इन कॉलोनीयों को अप्रूव कर दिया जाता, तो दिल्ली स्लम बनती । अभी रेड्डी साहब मेट्रो के बारे में बोल रहे थे । रेड्डी साहब, वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे । उनके नेतृत्व में शास्त्री भवन, आनन्द विहार से लेकर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था । शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री बने हुए सात दिन भी नहीं हुए थे । मेट्रो को अगर दिल्ली में कोई लाया, तो वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे । प्याज के कारण वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस वाले श्रेय ले रहे हैं कि शीला जी मेट्रो लेकर आई थीं । ये आंकड़े हैं । आरटी आई से मंगवा कर इन कागजों को देखिए कि दिल्ली में मेट्रो और आने वाले समय में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ेगी, इसकी व्यवस्था कैसे की जाए, यह सपना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का था ।... (व्यवधान)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I am on a point of order. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Under what rule?

... (Interruptions)

SHRI RAMESH BIDHURI: What do you mean by point of order? ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Quote the rule.

SHRI HIBI EDEN : Sir, my point of order is under rule 353, which says: "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate notice ..." आपने एडवांसमें नोटिस दिया है? मेट्रो के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में जो बोला है, वह फैक्चुअल नहीं है । इसे रिकॉर्ड से हटवाइए । आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए ।... (Interruptions)

श्रीरमेश बिधूड़ी: सर, आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए । माननीय सदस्य कहें कि राजनीति और सदस्यता से त्याग कर देंगे, नहीं तो मैं कहता हूँ कि अगर खुराना जी यह नहीं लाए तो मैं राजनीति से और मेम्बरशिप से रिजाइन कर दूंगा । आप हाउस को और देश को ऐसी बातें बोल कर क्यों गुमराह करते हैं? अटल जी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था । आप कब तक देश को गुमराह करते रहेंगे?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, what is your ruling?

श्रीरमेश बिधूड़ी: आप रूलिंग बाद में करते रहिएगा । यह दिल्ली के 40 लाख लोगों के भविष्य का मामला है । ये लोग 40 साल तक... *करते रहे । सर, उसके बाद वर्ष 1998 में कांग्रेस की सरकार बन गई ।... *बनने के बाद वर्ष 2012-13 तक जो... *होती रही, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आज यह जो कालोनी पास हुई है... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will check the records. If there is any derogatory remark, it will definitely be expunged.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, speak on the subject.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी : वह देशके महान सपूत और दुनिया और देशके लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विजिन था । क्योंकि –
“जाके पैर नाफटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।”

वह गरीब परिवार से निकल कर आए हैं और गरीब की पीड़ा को समझते थे... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Any derogatory remark made against any person will be expunged from the record.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, speak on the subject. Do not make comments on other persons.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी : सर, मैं सब जैक्ट पर बोल रहा हूँ ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I have already given my ruling. Any derogatory remark made against any person will be expunged from the records.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी : सर, 1 जून, 2015 को हमारे देशके लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी कि देशकी आजादीके 75 साल वर्ष 2022 तक पूरे हो जाएंगे । देशके हर वर्ग, हर गरीबके पास अपना मकान होना चाहिए । जब सबके पास अपना मकान होना चाहिए तो दिल्लीके 40 लाख गरीब लोग जो अनो थराइज्ड कालोनी में रह रहे हैं, वे अपने मकानोंके मालिक क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजनाके संकल्पको पूरा करनेके लिए हमारे देशके प्रधानमंत्री जीने... (व्यवधान)

14.42 hrs

(At this stage, Shri Bhagwant Mann stood on the floor near the Table)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seat. I will hear you. This is not proper.

... (Interruptions)

14.42 ½ hrs

(At this stage, Shri Bhagwant Mann went back to his seat)

HON. CHAIRPERSON: Do not divert, please speak on the subject.

श्रीरमेशबिधूड़ी : दिल्लीमें हमारे देशके प्रधानमंत्री जीने प्रधानमंत्री आवास योजनाके तहत गरीबोंकी पीड़ाको देखते हुए एह निर्णय लिए । वर्ष 1998 में शीलाजी मुख्यमंत्री बन गयीं, अधीर रंजन जी फिर से खड़े हो जाएंगे । वर्ष 2007 में कैसा खिलवाड़ किया गया । देशकी राजधानी में रहनेवाले उन गरीब लोगोंको, जो विभिन्न राज्योंसे आकर दिल्लीमें वास करते हैं, उनकी पीड़ाको नहीं समझा गया । वोट बैंककी राजनीतिकी गयी । वर्ष 2008 में जब पुनः चुनाव होना था, तो वर्ष 2007 में... *ने क्या किया? प्रोविजनल सर्टिफिकेटके नाम पर रामलीला मैदानमें एक... *हुआ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not put yourself into controversy.

... (Interruptions)

SHRI RAMESH BIDHURI : She was the ...*. She belonged to the ... * मैंकैसेनहींबोलूंगा? सर, 40 लाखलोगोंकेसाथ... * कियागया, उनको... * दियागया, उनकेसाथराजनीतिहुईहै ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. If there is any derogatory remark made against any person, it will be expunged.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी: यहउनकीपीड़ाहै, तोकैसेनहींबोलूंगा? मुझेबोलनेसेकौनरोकदेगा? क्यावह... * नहींथीं? वर्ष 2007 मेंप्रोविजनलसर्टिफिकेटबांटेगए ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it. If there is any derogatory remark made against any person, it will be expunged.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Do not invite any controversy. Please speak on the subject.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी:... *नेवर्ष 2007
मेंप्रोविजनलसर्टिफिकेटबांटनेकाकामकियाऔरप्रोविजनलसर्टिफिकेटबांटकरयहकहागया, चूंकिवर्ष 2008
मेंचुनावहोनेथे...(व्यवधान)

14.43 hrs

(At this stage, Shri Bhagwant Mann stood on the floor near the Table)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please go back to your seat.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी: सर, इसकामेडिकलटैस्टकरवायाजाए ।... *इसकामेडिकलकरवाएं ।...(व्यवधान)

14.43 ½ hrs

(At this stage, Shri Bhagwant Mann went back to his seat.)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please limit yourself to the subject. Do not invite controversy.

... (Interruptions)

SHRI RAMESH BIDHURI: I am speaking on the subject only.... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Do not take name of any person who is not here in the House.

... (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am on a point of order... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Under which rule you are raising the point of order?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Under Rule 353.

HON. CHAIRPERSON: This has already been raised.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: It says that no allegation of a defamatory or ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: It is well-taken. This has already been raised by the hon. Member. I gave a categorical assurance and direction that if there is anything derogatory against any person, it will be expunged.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: In addition to that, the name of the person -- who is a deceased and who is not here -- should not be referred here. ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: I have already instructed the hon. Member not to drag any name who is not in the House.

...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

श्रीरमेशबिधूड़ी: महोदय, जब वर्ष 2007 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए थे।

HON. CHAIRPERSON: You mention the year only. It will be understood. Do not take any name.

श्रीरमेशबिधूड़ी: महोदय, गरीब जनतान ही जानती है। वे 8 वीं फेल हैं, कालोनियों में मजदूर लोग रहते हैं। उनको यह सच्चाई पताल गनी चाहिए कि देश को कौन लोग लूट-खसोट रहे थे। उनको मालूम नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point.

श्रीरमेशबिधूड़ी : महोदय, सोनियाजी, तो हाउस की मेंबर हैं, मैं उनका नाम तो ले सकता हूँ। वर्ष 2007 में सोनियाजी के माध्यम से लोगों को यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी बड़ी सी सियर है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स को बंटवाया गया था। ...*(व्यवधान)* वर्ष 2008 का चुनाव जीतने के बाद केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी थी। तब लोकसभा के अंदर एक अमेंडमेंट पास कराया गया था। महोदय, इसी लोकसभा के अंदर... *किया गया था और यहाँ पर वर्ष 2008 के अंदर अमेंडमेंट पास कराया गया था कि रेग्युलेशन एक्ट 2008, 5.3 एंड 5.4 उसमें यह तय किया गया था कि एन सी टी एक्ट को बदल कर लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर ले-आउट प्लान बनाने के अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क कि सप्रतिशत पर लिया जाएगा, यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। यह... *इसी पार्लियामेंट में हुआ था। वर्ष 2008 में यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया था। रेग्युलेशन एक्ट, 2008 5.3 एंड 5.4 दोनों के अंदर यह अधिकार... *को मिल गया था। माफ की जाएगी, गलती होगी, तत्कालीन... *को मिल गया था। ...*(व्यवधान)* वर्ष 2008 की तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा वर्ष 2012 तक सत्ता का खूब उपभोग किया जाता रहा। वर्ष 2012 तक कालोनियों के बारे में याद नहीं आया। इनके डेवलेपमेंट चार्ज क्या होने चाहिए, यह उनको याद नहीं आया था। उन्होंने वर्ष 2012 के अंदर फिर से यह कहा था कि हम लोग इन कालोनियों को पास करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2013 में चुनाव आ गए थे। वर्ष 2013 के चुनाव में... * कालोनियों को पास नहीं होने की वजह से देश के लोग तंग आ गए थे। एक आरटी आई... * से आकर बैठ गया था कि मैं दुनिया का ईमानदार आदमी हूँ। मैं दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, सबको आरटी आई के माध्यम से ईमानदारी का उपदेश दूंगा। ...*(व्यवधान)* वर्ष 2013 के अंदर वह आरटी आई एक्ट विस्ट, जो आज... * बना बैठा है। ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने कहा है कि मैं इन कालोनियों को एक साल के अंदर पास करूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं इन कालोनियों को एक साल के अंदर पास करूंगा, जो आज... * बैठा हुआ है, ऐसा उसने कहा था।

उन्होंने 70 वायदे कि एथे

वायदों में से 56 वें नंबर पर उन्होंने यह कहा कि मैं अनियमित कालोनियों को एक साल के अंदर पास कर दूंगा ।... (व्यवधान) महोदय, आप क्या बात कर रहे हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up now.

श्रीरमेश बिधूड़ी : महोदय, ऐसे-कैसे वाइंड-अप हो जाएगा ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, you have taken a lot of time.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): He is talking about the ... *in a singular manner. This is Parliament. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: I will look into it.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No cross talks. The hon. Minister of Parliamentary Affairs is on his legs.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): This is an important legislation which we are discussing now. He wants to put forth the historical views. You have also instructed that if there is any unparliamentary word or derogatory word, it will be expunged. That you have already told. Now, I request that let the discussion go on and whenever you get your chance, you are free to say that. My request is that let the discussion go on smoothly. ... (Interruptions) अधीर रंजन जी, एक मिनट ।... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Adhir Ji. Nothing will go on record except what Shri Adhir Ranjan Chowdhury is saying.

... (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: According to the hon. Minister, you have already directed that derogatory words will be expunged. That does not mean that use of such derogatory words will be continued. As per his arguments, derogatory words will be uttered continuously. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will check it.

... (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: My argument is that once you have directed that these are the derogatory words, the hon. Members should not utter that kind of derogatory words. Secondly, a Chief Minister, whosoever he is, belonging to our Party or any other Party, should not be referred as an extremist because he is an elected Chief Minister. बिधूड़ी जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ । मैं उनको कहता हूँ कि एक्ट्रि मिस्ट बोलना बेकार है ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your point is well taken.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Ramesh Bidhuri, please address the Chair. Nothing will go on record. No cross-talks please.

... (Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Bidhuri, be within your limitations and speak on the contents of the Bill. Please do not speak out of the Bill.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Personal comments about anybody who is not in the House should not be made.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी : पतानहींसर, मैंसुनताहीनहीं ।

HON. CHAIRPERSON: Your leader has made the point.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No comments please.

श्रीरमेशबिधूड़ी: सर, सन्2013मेंफिरइसीप्रकारकीएकनौटकीहुई ।...
(व्यवधान)दिल्लीकीविधानसभामेंएकप्रस्तावपासकियागया ।...
(व्यवधान)प्रस्तावपासकरनेकेबादयहकहागयाकिदिल्लीकी895 कालोनियोंकोहमपासकररहेहैं ।...(व्यवधान)सर,
जिसपैटर्नपरवहप्रस्ताव2013मेंपासहुआ, तत्कालीनजोभीसरकारकांग्रेसकीथीऔरजोभीमुख्यमंत्रीथी,
लोगअखबारोंमेंपढ़लेंगेकिसन्2013मेंकौनथी ।सर, उन्होंनेएकप्रस्तावपासकिया ।जबउनकोमालूमथाकिShe has taken
over the power of the colonies केअंदरडेवलपमेंटचार्जेसक्याहोगा, उसकाले-
आउटप्लानक्याहोगातोप्रस्तावपासकरनेकामेरीसमझमेंआयानहींकिवहसन् 2013 मेंक्योंपासकरकेभेजागया ।
लेकिनतबएकआरटीआईकेनामसेएकऔर...*बनकरबैठगए, हमारेदेशकीराजधानीदिल्लीके...*आगए ।सर,
अबतोठीकहैन? ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. Take your seat. No cross-talks please.

... (Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair now.

... (Interruptions)

श्रीरमेशबिधूड़ी : सर, वेआगएतोसन्2015मेंएकसरकारबनगई ।वहप्रस्तावपासआया ।
सन्2015कीसरकारनेभीइसीप्रकारकाएकऔररैग्युलेशनविधानसभामें, दिल्लीकीजनताकोगुमराहकरनेकेलिए,
पासकरकेभेजा ।सर, माननीयमुख्यमंत्रीजीक्यायहनहींजानतेथेकिदिल्लीकीजनताकोकेन्द्रसरकारनेनोटिसदियाहुआहै ।
वह09.02.2015मेंकेन्द्रसरकारनेलैटरनंबर - DD
VI/15सितंबरकोदिल्लीकीसरकारसेपूछाकिदिल्लीकीअनियमितकॉलोनियोंकेलिएआपनेएकप्रस्तावपासकरकेकेन्द्रमेंभेजाहै
।क्याआपनेलेआउटबनानेकावहकार्यपूराकिया?
क्याआपनेवहकार्यपूराकियाकिइसकाआधारक्याहोगाकिडेवलपमेंटचार्जक्यालेनाहै? यहमुख्यमंत्रीसे, 2008कीतर्जपर,

यह पूछने की हिमाकत केन्द्र सरकार ने की होगी | सन् 2015 के उस लैटर के बाद,
 क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें दो साल का समय दे दीजिए,
 दिल्ली सरकार को दो साल का समय केन्द्र सरकार ने दे दिया चूंकि मामला अदालत के अन्दर विचाराधीन था |
 1145/14 रिट पिटीशन कोर्ट में चल रही थी,
 उन्होंने भी राज्य और केन्द्र सरकार से सन् 2015 में जवाब मांगा कि आप इन अनियमित कॉलोनियों के बारे में क्या कर रहे हो तो केन्द्र सरकार
 नंबर DD VI/15 सितंबर को पूछा तो उन्होंने फिर से और दो साल का समय मांगा तो सन् 2017 आ गया |
 जब 2017 के अंदर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को पूछा कि आपको यह काम करना था तो आपने काम क्यों नहीं किया तो राज्य की सरकार
 श्री केजरीवाल साहब जी ने जवाब दिया कि हमने दो एजेंसीज ले आउट प्लान बनाने के लिए एपॉइंट की हैं |
 कम्पनी का नाम एसके पी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम मैरिडियन सर्वे ऑफ इंडिया है |
 ये दोनों सन् 2017 तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई हैं | हमें और दो साल का टाइम दीजिए | यह कहने के लिए,
 यह दिल्ली सरकार का लैटर है,
 18/08/2017 को फाइल नंबर 840, सन् 2017 में दिल्ली स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अनॉथराइज्ड कॉलोनी- 2771,
 इसमें सन् 2017 में वे कहते हैं, सन् 2017 में चिट्ठी लिख कर सन् 2019 का समय मांग लिया कि हमको और समय दो ।

सर, आप अगर मुझे आज तदे तो वर्ष 2017 में दिल्ली सरकार की चिट्ठी, जो 18-08-2017 को लिखी थी,
 मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ ।

“Hon. High Court, Delhi vide Order dated 31.5.2017, in a writ petition 1145 by 2014, that the
 survey and preparation of map of the unauthorised colony was assigned to the Revenue Department
 headed by Divisional Commissioner.”

दिल्ली सरकार ने यह चिट्ठी लिखी थी कि हमने जो दो एजेंसियाँ अपॉइंट की थीं, ये पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही हैं |
 हमें दो साल का टाइम वर्ष 2019 तक और दे दो । 27 जनवरी, 2019 में केन्द्र सरकार ने उनको एक चिट्ठी लिखी और 28
 तारीख को केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की । दो साल पूरा होने के बाद, माननीय हरदीप पुरी जी बैठे हैं, वर्ष 2019
 में अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के साथ मीटिंग की | 29
 जनवरी को केजरीवाल सरकार ने फिर एक पत्र लिखा और कहा कि जो दो एजेंसियाँ हमने अपॉइंट की थीं, वे प्रॉपर-
 वे में काम नहीं कर पाई हैं, इसलिए हमें क्षमा करें । केवल 300 कॉलोनियों में हमने काम पूरा किया है, वह भी सेटिस्फेक्टरी काम नहीं है
 । हम तहसीलदार, एसडीएम वगैरह कान्ट्रैक्ट बेसिस पर लेंगे, इसलिए हमें वर्ष 2021 तक का समय दे दिया जाए । वर्ष 2021
 तक समय मांगने की बूक हांसे आई, यह सरकार चार साल तक क्या करती रही, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता ।
 लेकिन हमें बूनजर आई, उस समय की... *कावर्ष 2007 का वह आदेश, कि उन्होंने भी एसे ही वर्ष 2008
 का चुनाव जीतने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे । ये भी वर्ष 2019 में यही... *कर रहे हैं ।
 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई ।
 होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहा कि तीन महीने के अंदर हमें कमेटी का आदेश मिलना चाहिए । सर,
 माननीय गृह मंत्री जी ने कमेटी का जवाब दिया और जवाब देने के बाद यह तय किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022
 तक सबका घर होना चाहिए, तो दिल्ली के चालीस लाख लोगों अछूते रहे ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhagwant Mannji, please take your seat.

... (Interruptions)

श्रीरमेश बिधूड़ी: यह देश के प्रधानमंत्री के मन में तड़प आई । अब यह जो एक्ट आरहा है,
 इस एक्ट को लाकर इन कॉलोनियों को पास करने का काम किया । रेड्डी जी बोल रहे थे कि चार साल पहले यह काम क्यों नहीं हुआ ।
 अगर चार साल पहले केन्द्र सरकार अपने पास सारे राइट्स ले लेती तो रेड्डी जी की पार्टी और सरकार यह घोषणा करती कि केजरीवाल जी
 । वह तो कर रहा था, केजरीवाल साहब को चार साल का पूरा टाइम दिया कि आपले-आउट प्लान बनाइये ।
 आप तय कीजिए कि उसका डेवलपमेंट चार्ज क्या होगा ।... (व्यवधान) सर, मेरी पार्टी का टाइम है । यह मेरे से जुड़ा हुआ मामला है,
 350 कॉलोनियाँ मेरे क्षेत्र में हैं । दिल्ली की जनता में विश्वास होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है ।

मोदीजीने कहा है तो ये कालोनियाँ पास होंगी, इनमें फैसिलिटीज मिलेंगी। जो 893 कालोनियाँ हैं, उस समय 372 का सर्वेन करने का, मैगाँव का आदमी हूँ, यह भाषा बोल ही देता हूँ कि फिर एक... *रचा गया। पीएम साहब ने उसको रिजैक्ट करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वे दोनों के दोनों एक्सपोज़ हो गए... (व्यवधान)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, is he the only speaker?

HON. CHAIRPERSON: His party has enough time.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please do not attribute any motive to the Chair. Your turn will also come.

... (Interruptions)

श्रीरमेश बिधूड़ी: तेरे वायदों पर भरोसा किया था हमने, पर... *के अलावा कुछ न मिला। उन 40 लाख लोगों को, जिन्होंने 67 सीटें जिता कर दी थीं। अब यकीन कर लें दोस्त, रास्ता दिखाने हमारे प्रधान सेवक आ गए हैं। अब ये कालोनियाँ निश्चित रूप से पास होंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लोग कि तनी ही प्रकार की बातें कर लें, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जीने कहा, 15 अगस्त को टॉयलेट की बात की, तो बहुत से कांग्रेस के नेता मेरे से कहते थे कि बिधूड़ी जी प्रधानमंत्री टॉयलेट की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन की बातें करते हैं। अब वे भी दो साल के बाद हमारी पार्टी में आ गए हैं। वर्ष 2015 में मुझ से कहते थे, अब वे सारे के सारे कांग्रेसी बीजेपी में काम कर रहे हैं। मैं यहां पर उनके नाम लेना नहीं चाहता। तब वे कहते थे। मैंने जो पहले कहा था- 'जाके पांवन फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।'

गरीब लोगों की पीड़ा तो गरीब का बेटा ही समझ सकता है। देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल कर आए हैं। उनको मालूम है कि गरीब की बहनों को चुल्हे की आग से बचाने के लिए कैसे सिलेंडर दिए जाएंगे। वह 16-17 साल की नौजवान बेटि शौच के लिए जंगल की तरफ कैसे जाती होगी, तो उनकी चिंता प्रधानमंत्री की थी। उसी चिंता को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Bidhuriji, please conclude, now.

श्रीरमेश बिधूड़ी: सर, दोमिनट मुझे और दे दीजिए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 30 minutes. There are three more speakers from your party to speak. So, please conclude.

श्रीरमेश बिधूड़ी: सर, आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, मैगाँव का रहने वाला हूँ, पतान ही क्या बोल दिया आपने।

15.00 hrs

हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की इस पीड़ा को समझा।... (व्यवधान) जो लोग 50-100 गज के प्लॉट्स में रहते हैं, अब इन कालोनियों में डेवलपमेंट का सारा काम दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा। इन कालोनियों के अंदर के बिन, ऑफिस बना कर कैम्प लगाए जाएंगे। उनके रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। जिनके पास लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐफ्लूएंटे के नाम से, जो रेड्डी जी बोल रहे थे, हमारे गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन कालोनियों को पास करने के बाद, उनका डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाने के बाद, उन ऐफ्लूएंटे 67 कालोनीज, जिन्हें कहा गया है, जिनमें से 30 कालोनी तो इसी प्रकार की हैं, कुछ सरकारी अधिकारी कांग्रेस के जमाने के बैठे होंगे, उन पर उन्होंने ऐफ्लूएंटे डाल दिया होगा। वे भी ऐफ्लूएंटे में नहीं आती हैं, वे भी इसी प्रकार की कालोनीज हैं। उन सबको सेकेंड फेज में इसी रूप में सरकार के द्वारा लिया जाएगा।

मैंमाननीयमंत्रीजीसेएकनिवेदनकरनाचाहताहूँकिगाँवकेलोगोंकीजमीनपरजोकालोनीकटगई, वहउनकीअपनीजमीनहै, वहउनकीपैतृकजमीनहै, उनकेपासहजारगजजमीनहै, लेकिनपावरऑफअटॉर्नीउनकेपासनहींहै, वेवहाँमकानबनाकररहरहेहैं, तोउनकीफरदकोहीआधारबनायाजाएगा ।
 उनकीपुश्तैनीफरदकोआधारबनाकरउसेडेवलपमेंटकेलिएमानाजाएगा ।वेपावरऑफअटॉर्नीकहाँसेलाएंगे?
 इसीप्रकारसेगाँवकीएक्स्टेन्डिडआबादीहै, वेतोअपनेगाँवकेखेतोंमेंबसगएहैं ।उन्होंनेमकानबनारखेहैं,
 उन्होंनेनक्शेभीपासनहींकराएथे ।उनगाँवकेलोगोंनेआरडब्ल्यूएभीनहींबनारखीथी ।वहतोउनकीअपनीजमीनहै,
 गाँवकीबढ़ोतरीहुईऔरहमनेमकानबनालिए ।एक्स्टेन्डिडआबादीकोलेकरभीसरकारइसमेंचिंताकरे, जोवर्ष 2015
 सेपहलेबनेहुएमकानहैं ।सरकारइसबातकीचिंताकरे ।मैंअपनीयेदोरिक्रेस्टमाननीयमिनिस्टरसाहबसेकरनाचाहताहूँ ।
 मेरेतीनपत्रऔरथे, जोशोर-शराबेकेकारणआपनेमुझेपढ़नेनहींदिए ।येलोगबहुतपरेशानथेऔरशोरमचारहेथे ।
 जबचोरकोचोरीकरतेहुएपकड़लियाजाताहै, तोवहचिल्लाताहै ।...(व्यवधान) दिल्लीसरकारनेदोसालतककासमयऔरमाँगा
 ।...(व्यवधान) मैंकेवलयहपत्रपढ़करअपनीबातसमाप्तकरूँगा ।...(व्यवधान) वर्ष 2019
 काएमसीडीकावहपत्रमुझेजरूरपढ़नाहै ।...(व्यवधान) The letter says that the Government of NCT of Delhi would
 go for the conduct of Total Station Machine (TSN) survey and also, as decided and communicated *vide* letter
 dated 21.7.2017, the Government of NCT of Delhi would require a time period of two years from 01.08.2019
 to 2021 to complete the survey of unauthorised colony. ...(*Interruptions*) यहदिल्लीसरकारकापत्रहै ।...
 (व्यवधान) एकतरफवेकहतेहैंकिवर्ष 2015 मेंहमनेप्रस्तावपासकरकेभेजदिया ।...(व्यवधान) अगरआपनेवर्ष 2015
 मेंप्रस्तावपासकरकेभेजा, तोयेकामपूरेक्योंनहींकिए?... (व्यवधान) उसप्रस्तावकामहत्वक्याहै,जोदिल्लीके...*मेंचिल्लारहेथे
 ।...(व्यवधान) वेदिल्लीकीजनताकोगुमराहकरनाछोड़ेंऔरदिल्लीकीअनियमितकालोनियोंकोपासकरें ।...(व्यवधान)
 वेदेशकेप्रधानमंत्रीमोदीजीकोधन्यवादबोलेंकिउन्होंनेअपने 01 जून, 2015
 केसभीगरीबोंकोमकानदेनेकेसंकल्पकोपूराकरनेकाकामकियाहै ।आपनेमुझेबोलनेकामौकादिया, मैंआपकाबहुत-
 बहुतधन्यवादकरताहूँ ।बहुत-बहुतधन्यवाद ।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I rise today to talk on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

15.03 hrs

(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, when I stand here to speak on this, I am reminded of the first move which was made in Chennai, in Tamil Nadu by my late leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. It was in 1970s, the first Tamil Nadu Slum Clearance Board was created because Chennai was full of slums. As the curse for any developing cities, people from villages were rushing into the cities to seek for employment, to seek for opportunities. My leader realised that and he followed that in true letter and spirit of our founder leader Dr. C.N. Annadurai; he said: “*ezhaiyin siripil iravananai kanbom*”. We see God in the smiles of the poor people. We did it. At that time, in 1970, Mr. Jayaprakash Narayan was there in Chennai to inaugurate the first Slum Clearance Board. We had developed the programme. Our leader Dr. Kalaignar developed the programme ensuring that when people were all living in the slums along the banks of the Cooum river – they were in such a pathetic state – their lifestyle changes.

Sir, in 1974, Dr. Jagjivan Ram was invited by Dr. Kalaignar Karunanidhi to inaugurate another multi-storey housing complex for the poor. Sir, Dr. Jagjivan Ram came and saw it. He came back to Delhi and told our late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi the kind of development Dr. Kalaignar Karunanidhi was doing and then this Indira Awaas Yojana was born. It was the idea of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, the leader of DMK out of which the Indira Awaas Yojana was born.

Sir, today, the Indira Awaas Yojana was going in full speed till BJP came to power. Then, BJP has decided to call it Pradhan Mantri Awaas Yojana. You may call by whichever name you want, but whenever we see a poor getting a house, we only see Dr. Kalaingar M. Karunanidhi there because this is a kind of contribution he has done there. I came to Delhi in 2004. Dr. Harshvardhan is here. From 2004 onwards, we have seen the problem of colonies coming up and down. We should not belittle the services done by all the former Chief Ministers of Delhi. All of you have done your part to make sure the problems of the colonies are being addressed.

Sir, you are a Minister of Delhi. ...(*Interruptions*) The hard work of our late Chief Minister, Mrs. Sheila Dixit can never be forgotten. She had brought a big change. She has toiled very hard to regularise these colonies. The problem in Delhi is like the problem in Puducherry. There are two different Governments. If Delhi is ruled by Congress, then we have BJP. If Delhi is ruled by BJP, then we have the Congress. At the end of the day, the people suffered a lot.

Similarly, we have a problem in Puducherry also. We have a Lieutenant Governor who does not allow the elected Chief Minister of Puducherry Shri V. Narayanasamy to function and she wants to take all the credit and is a spoilsport in trying to bring a bad name to Puducherry. So, the reason I am saying this is.

Today, Mr. Hardeep Puri is bringing about a good change. We welcome you but with riders. You took the magic wand. Very rarely, the Central Government takes the magic wand to regularise colonies. Why can you not do it whole-heartedly? You are doing it partially. Today, I have come to a conclusion that it is not the Congress, it is not the BJP, it is not Aam Aadmi but it is the elections. The moment the elections are announced, the magic wand comes out. They may claim that they came in 2014. The BJP Government wants to regularize the Delhi colonies. Why it took them such a long time? I am shocked at this technological advanced state, they are saying that they are not able to map. Mr. Nitin Gadkari was here. He claimed the way they mapped the roads is through google mapping. Now, the traffic issues are all corrected and are assessed not by physical verification but by good mapping. We are using all the advanced technologies. Today, we are using Pegasus to snoop on WhatsApp. We can use all the latest technology to snoop on anyone. You mean to say the Central Government which can take the magic wand to do it, why can you not do it? Today, 1700 colonies are going to be regularized. What about the remaining colonies? Naturally, they are little rich and affluent and the votes are less. Wherever the votes are less, that is not needed. Whoever is going to vote *en masse*, then that is regularized. We should also appreciate the efforts taken by the present Chief Minister Mr. Kejriwal. He is doing his honest effort to ensure that the colonies are being regularised and therefore, the efforts are being taken. That is why, they have spearheaded it. That is why, it has given them the fear to do it in an urgent basis. Today, you are going to regularise the colonies. We did it. The Tamil Nadu was the first State to regularize the colonies. Dr. Kalaingar was the forefront leader. We never charged any amount to regularise. If you are there and if your ownership is proven, then it will be given free. Why do you not have a big heart? Why can you not give it free to them? Why do you want to charge? What is the money you are going to make? Are you going to fill the deficit which your Finance Minister has created in the Budget? No, these are pittance. Why do you want to make the poor people suffer more? They have suffered enough. Give them the freedom. Let them have full ownership. There are confusions in the market. People are so confused in all these unrecognised colonies in Delhi. They say the house is recognised; the street is recognised; and the area or the complete colony is recognised. Anyone living there will want the entire colony to be regularised so that they get proper sewage, proper facilities and proper amenities. Bring them up. Let us go to the next stage of our line of development. How long or for how many years and decades, is the Central Government or the

Delhi Government going to sit on these unrecognised colonies? This is the reason we do not grow. We want to be like a stuck-record going on and on. Are you now worried about the Sainik farm? What is preventing you from recognising a Sainik farm? It is a private property. I am not supporting the rich. But I am saying that when you decide to take the magic wand, finish it off. Let us go to the next stage of developmental line. When you are talking about a five-trillion economy, you should not go into small nitty-gritties and try to spook people of the things.

I would also like to say that time has come for every Government to move forward. If you are honest enough, if this decision is not a vote bank politics, I expect this re-regularisation scheme to be honest and a full-hearted effort. Then we will support you and we will support you fully. I will say, please do not try to take political mileage out of this. This is what Mr. Modi did. We also know how much of poll promises were made during the elections time that Rs.15 lakh is supposed to come in our bank account. I check my bank account every day. No, I have not got anything. So, let it not be a fake poll promise. Do it wholeheartedly. Let the people of Delhi be relieved of this pain and let the development take place. Thank you for this opportunity, Sir.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

Unauthorised colonies have been in existence in Delhi since the time the Delhi Development Authority started the planned development in the year 1957. Unauthorised colonies are the residential colonies constructed without seeking the required permission for the layout or building plans. Consequently, conveyance deed for these colonies are not registered by the Registrar or the Sub-Registrar unless these are regularised by the Government. The transaction of purchase and sale of properties in these colonies is evidenced by a Power of Attorney, possession letters, etc., which do not convey any title in the property as held by the Supreme Court in the case of *Suraj Lamp & Industries (P) Ltd., V. State of Haryana*.

Property is not just used for shelter. It is also seen as an investment. For numerous people like Arun Diwakar, who is a migrant labour from Bihar, settled in Delhi, the property was fruitless as the investment was not useful to him. He could not mortgage it when his wife was seriously ill and hospitalised or when he needed money for his daughter's marriage. Now this Bill seeks to grant people of these areas an authority over their property. I support the Bill but my concern also lies in the fact that the proposed legislation will convey a message that mass encroachment of Government's land will be made legal in the future.

So, henceforth, the Government has to be very well aware and get rid of illegal construction before it turns into a colony. My question is also regarding the definition of residents. Clause 2(a) states that a resident is a person possessing documents related to property and his or her legal heirs.

Sir, residents of a house do not include just the owner and children, the person might be childless and still have a family. So, I would request the Minister to look into this matter. So, spouse, parents and siblings of the owner must also be within the ambit of the definition and, thus, the term 'family' must be used. Since in case of owner's demise, the property can be transferred to someone who is not a legal heir but maybe spouse.

The move of the Bill is very fair but systematic implementation must be provided. Firstly, Delhi Development Authority (DDA) has earned the distinction of being a 'slow mover.'" The reason for such a reputation is its sluggishness. This can prove to be a major issue. The solution to this can be - fixing a time

window within which the application is made online. This has to be resolved by the DDA or else it can remain pending for years. The Government has added the clause of Conveyance Deed. It will delay the entire procedure. The Minister must state the date by which the owners will get valid registries in their hand.

Secondly, there are areas which have been left out in the mapping. Here, I would appreciate that an online portal has been formed for filing a complaint related to fault in the map. But again, maps of only 40 out of 1,731 colonies have been uploaded so far. The process seriously needs to be fastened. It is also necessary for the Government to state the source of these maps.

Sir, my question is, are you using the satellite maps and that too of 2015? This will be a major mistake as it needs an upgrade. Here, we need to make sure that not a single household must suffer and left out due to a mistake in preparing map, that is, common men should not suffer due to the mistakes of bureaucrats.

Thirdly, people are demanding that their colonies are renamed afresh. This is a legitimate demand and must be met with. This is because there are many colonies which are known by the caste and profession of the people living in it. Just because the plots are occupied by people from a particular caste, it should not be named as *Harijan Basti*. This is not only a degrading attitude but also promotes caste system and caste-based discrimination is bound to increase if such prevalent names of these colony are accepted by the Government. This is my sincere request to the Minister that he does look into this matter in order to promote equality in the capital of India.

Fourthly, the Delhi Government has spent Rs. 8147 crores since 2015 for developmental works. It has laid down pipelines, improved sewage system and also constructed roads. How much does the Central Government intend to allot for developmental works of the concerned area? Has the Government even formulated any plan for improving the condition of these regions?

Finally, I would like to know from the Government as to what is in store for the so-called affluent unauthorized colonies that have been left out. Is there any proposed schedule for regularising colonies at places like *Sainik Farms*, *Vasant Kunj* and *Chhatarpur* and other areas?

To sum it up, I would like to say that the intention of the proposed Bill is surely noble because shelter is a basic necessity but the whole procedure needs a very smart and scientific approach. Or, else it could raise even more problems for the people of Delhi.

I would end with a simple question. The BJP Government came into power in 2014. Why did the Government not bring it in 5 years and why just before assembly elections? Political agenda is certainly the motive behind this proposed legislation. Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

With these words, I conclude my speech.

SHRI RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Hon. Chairman, Sir, thank you for enabling me to talk on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in

Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

It is, undoubtedly, a very good decision by the Government. Whatever may be the political comments of my colleagues, I feel it is totally apolitical. That is what I feel and it is the need of the hour. As everybody knows, house is the need for any individual. *Gruhame kada Swarga seema* is a Telugu saying. Everyone would like to have his or her own house. But having a house without a title is a meaningless proposition. So, giving title or ownership by the Government is indeed a wonderful gesture because that gives the confidence that tomorrow if there is any trouble, I can pledge the property and I can raise some loan. So, that kind of confidence, in addition to the legalised accommodation, that these 40 lakh people are gaining is indeed a wonderful gesture by this Government. Some people ask as to why the Government took five years to do this. I would like to say that this was not done in 20 years. Someone has taken this decision in such a short span of five years. So, I wholeheartedly welcome the Government's decision. I would like to extend my appreciation to this Government, especially the hon. Prime Minister and the Minister concerned for this great gesture.

My colleague has made a mention of Dr. Kalaignar, who was a great leader. In the context of remembering great Kalaignar, I would also like to remind this House about our beloved leader, Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy who had built, during his tenure, around seven to eight lakh houses, which was a history. In one particular year the total number of houses built in the country were less than the number of houses built by Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy. Continuing that great work, my beloved Chief Minister is giving 25 lakh house sites to various people. With the support of Government of India where they have cleared around 2.08 lakh houses, we are also planning to give houses for the entire 25 lakh people to whom we are giving the house sites.

Coming to this Bill, I appreciate the Government for considering the regularisation of 1,731 colonies. Most of the colonies are quite decent ones. Wherever the colonies are of a little slum in nature, as part of Swachh Bharat, whatever infrastructure that has to be created by way of good drainage, by way of good toilets, etc. has to be created. That has to be given top priority. Wherever the colonies are a little weak, do that.

I also request you not to differentiate these colonies from other colonies where rich people reside. You are doing a good thing, with an open mind, and you are regularising these colonies. Of course, I am not holding brief for any rich people. I do not own any farm house at Sainik Farms. Keeping them aside from regularisation, perhaps may not be in good taste. If possible, maybe at an appropriate time, you may also consider regularising all those colonies because they are also decently well spread. Please consider that.

Hon. Prime Minister under Pradhan Mantri Awas Yojana has built so many houses. At the same time, regularising those colonies where people have built their own houses, will in a way add that many number of houses to the original plan of two crore odd houses. I wish this initiative of Delhi would inspire other metropolitan cities, wherever this kind of regularisation is feasible. The hon. Minister of Urban Development may also kindly look at that in a fair way.

I once again support this Bill wholeheartedly. Thank you.

श्रीदुलालचंद्रगोस्वामी**(कटिहार):**

माननीयसभापतिजी, आजमैराष्ट्रीयराजधानीराज्यक्षेत्रदिल्ली(अप्राधिकृतकालोनीनिवासीसंपत्तिअधिकारमान्यता)विधेयक, 2019केपक्षमेंबोलनेकेलिएखड़ाहुआहूँ ।

आजकादिननिश्चितरूपसेदिल्लीकेलिएबहुतबड़ीबातहै ।
दिल्लीकीअप्राधिकृतकालोनियोंकेलोगोंकोआजकेबादपूराअधिकारमिलेगा । इसमेंलगभग 1760
कॉलोनियोंकोचिह्नितकियागयाहै, जिसमें 40 लाखलोगनिवासकरतेहैं ।लेकिन,
सबसेबड़ीबातहैकिदिल्लीकीइनकॉलोनियोंमेंकेवलदिल्लीकेलोगनहींरहतेहैं, पूरेहिन्दुस्तानकेलोगरहतेहैं ।
मैंतोकेन्द्रसरकारऔरमाननीयमंत्रीजीकोधन्यवाददेनाचाहताहूँकियहदेरसेजरूरआयालेकिन,
हमसौभाग्यशालीहैंकिआपदिल्लीकीकॉलोनियोंकोअधिकारदेरहेहैंऔरएकप्रकारसेपूरेहिन्दुस्तानकेलोगोंकोयहअधिकारदेरहे
।

सभापतिमहोदय, दिल्लीराष्ट्रकीराजधानीहै ।जैसाकिमैंनेपहलेकहा, यहांदेशकेकोने-कोनेसेलोगआतेहैं ।
पूरेहिन्दुस्तानकेलोगोंकीइच्छाहोतीहैऔरहमलोगोंकीभीइच्छाहोतीहै, हमलोगएमपीहैं, शायदजितनेएमपीहोंगे,
सबलोगोंकीयहइच्छाहोतीहैकिहमदिल्लीमेंरहें, मेरेबच्चेदिल्लीमेंपढ़ें, दिल्लीमेंउनकाएजुकेशनहो ।
दिल्लीमेंलोगखासकरशिक्षा, स्वास्थ्यऔररोजगारकेलिएआतेहैंक्योंकियहाराष्ट्रीयराजधानीहै ।
यहांसाधारणसेसाधारणलोगभीआतेहैं ।देशकेनागरिकजबयहांआतेहैंतोवेहरप्रकारकाकामचाहेवहसरकारीरोजगारमेंहो,
गैर-सरकारीक्षेत्रमेंहोयाअन्यक्षेत्रोंमेंहो, रेहड़ी-पटरीवालाहो, खोमचावालाहो, रिक्शाचलानेवालाहो, टेम्पोचालनेवालाहो,
कोईभीयहांआताहैऔरजबवहलंबेसमयतकयहांरहताहैतोउसकीइच्छाहोतीहैकिदिल्लीमेंरहे ।लेकिन,
कोईसामान्यआदमीदिल्लीकेपॉशाएरियामेंनहींरहसकताहै, क्योंकिवहांवहखरीदनहींसकताहै ।
फिरवेअप्राधिकृतकॉलोनियोंमेंचलेजातेहैं, मलिनबस्तियोंमेंचलेजातेहैं,
वहांरहतेहैंऔरवहींरहकरअपनेबच्चोंकीपढ़ाईऔररोजी-रोटीकमातेहैं ।लेकिन,
केंद्रसरकारनेजिसढंगसेदिल्लीकीमलिनबस्तियोंका, कॉलोनियोंकेलोगोंकीसुधलेनेकाकामकियाहै,
इसकेलिएसरकारधन्यवादकीपात्रहै ।इससेपहलेहमलोगदेखतेथे, उससमयमैंएमपीनहींथा, लेकिनरेडियोमें, अखबारोंमें,
टी.वीमेंदेखतेथेकिदिल्लीकेअप्राधिकृतबस्तियोंकोमान्यतादेनेकेविषयकोकेंद्रसरकारराज्यसरकारपरफेंकतीथीऔरराज्यसरक
70 वर्षोंतकइनमलिनबस्तियोंकोकिसीसरकारनेमान्यतानहींदी ।लेकिन,
मैंमोदीसरकारकोधन्यवाददेताहूँकिआपनेइतनीहिम्मतदिखाईऔरअबइनअप्राधिकृतबस्तियोंकोमान्यतादेनेजारहेहैं ।

जैसामंत्रीजीबतारहेथे ...(व्यवधान) हांसारीअप्राधिकृतकॉलोनियां ।हमलोगोंकेपासवर्ष 1797 कारिकार्डथा,
लेकिनमाननीयमंत्रीजीनेकहाकि 1760 अप्राधिकृतकॉलोनियोंकोनियमितकरनेसंबंधीजानकारीपोर्टलपरआगईहै,
जिससेलगभग 40 लाखलोगोंकोजमीनकामालिकानाहकामिलेगा ।यहएकस्वागतयोग्यकदमहै ।
निश्चितहीइसकालाभभलेदेरसेहो, लेकिनसभीलोगोंकोमिलेगा ।मैंइनकीप्रशंसाकरताहूँ ।

दिल्लीमेंकरीब 1800 अनाधिकृतकॉलोनियांहैं ।जैसामुझेबतायागयाहैकिवर्ष 2017
मेंउनकॉलोनियोंकोप्रोविजनलसर्टिफिकेटमिलाथा ।लोगयहजाननाचाहतेहैंकिउनकॉलोनियोंकेबारेमेंवर्ष 2000 सेवर्ष 2018
तकसरकारनेक्याविचारकियाहै ।अगरउनसबकोइसबिलमेंअधिकृतकरदियाजातातोउन्हेंभीइसकाअधिकारमिलता ।
अप्राधिकृतकॉलोनियोंमेंलोगपॉवरऑफअटार्नीकेकागजातपरहीनिवासकररहेहैं,
उनकेनियमितकरणकेबारेमेंभीप्रावधानहोनेचाहिए ।अभीवहांआधारभूतसुविधाओंकीकमीहै ।
इसमेंभीसमयबद्धचरणोंमेंविकासहोनाचाहिए ।
मैंकहनाचाहताहूँकिदिल्लीराष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रहैऔरयहांकीसरकारकोपूर्णअधिकारमिलनाचाहिए ।यहांदेशकेकोने-
कोनेसेलोगआकरबसेहुएहैं ।कोईयहभीकहसकताहैकियहमेंरापरिवारबीससेतीसवर्षोंपूर्वआयाहुआहै, किन्तुयहांकभी-
कभीयहबातउठतीहैऔरयहकहनाकिदिल्लीमेंबाहरकेलोगआकरबसेहैं,
सर्वथाअनुचितहैऔरहमेंहमारेअधिकारोंसेवंचितकरनेवालाकार्यहै ।

दिल्ली पूरे देशके लोगोंकी है और कोई भी स्वार्थके लिए इससे दिल्लीमें आनेवाले लोगोंको वंचित नहीं कर सकता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो ।

इस बिलमें मालिकाना हक प्रदान करनेके लिए कुछ शुल्क लगाए जानेकी बात की जा रही है ।
मैं सरकारसे अनुरोध करूंगा कि वनटाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क शून्य कर दिया जाए और आम लोगोंको यहराहत देनेका काम सरकार करे ।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दोंके साथ इस बिलका समर्थन करता हूँ और साथ ही, इस बिलको लानेके लिए मैंकेन्द्र सरकार एवं माननीय मंत्रीजीको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ ।

कुंवरदानिश अली

(अमरोहा):

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दिल्लीकी अनधिकृत कालोनियोंको नियमित करनेके बिल पर बोलनेका मौका दिया ।

जैसा मुझे पहलेके वक्ताओंने कहा है कि दिल्लीदेशकी राजधानी होनेके साथ-साथ, केवल दिल्लीवालोंकी नहीं है । दिल्लीमें जो लोग बसते हैं, खासतौरसे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहारके लोग यहां हैं, उनके साथ उनकी कॉलोनीजमें आप जाइए, वहां । आज भी इन कॉलोनीजमें कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं । हम लोग बड़ा कैम्पेन करते हैं, स्वच्छ भारत अभियानका कैम्पेन चल रहा है, लेकिन अगर उसकी बानगी आपको देखनी है तो दिल्लीकी अ... (व्याधान) मैं भी चाहता हूँ कि आहिस्ता-

आहिस्ता यह काम हो, ऐसे ही हो लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्रीजीके नेतृत्वमें यह सरकार इतनी मजबूत है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस बिल । अब भी इस बिलमें कई चीजें साफ नहीं हैं । मेरी जानकारीके मुताबिक 12 नवम्बर,

2015 को दिल्ली सरकारकी कैबिनेटने प्रस्ताव पास करकेकेन्द्र सरकारको भेजा ।

यह जगजाहिर है कि किस तरीकेसेकेन्द्र सरकार और मौजूदा दिल्ली सरकारके रिश्ते रहे हैं ।

मैं समझता हूँ कि गरीबोंके लिए, जो वंचित समाजके लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए अपने-

अपने इगोको अलग रखना चाहिए था और यह अधिकार गरीबोंको बहुत पहले मिलना चाहिए था ।

अभी भी यह स्पष्ट नहीं है, मैं बादमें क्लैरिफिकेशन पूछूंगा माननीय मंत्रीजीसे कि अखबारोंमें ऐसी भी खबरें छपी हैं कि अभीकेवल 100 लोग

। अब यह बात कि तनी सच है, कि तनी नहीं है, मेरे पास अखबारोंकी कटिंग है ।

आजकल मीडिया पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि कई जगहोंसे खबरें आती हैं कि मीडिया पूरी तरहसे सरकारके खिलाफ नहीं लिख

। लेकिन अंग्रेजीके अखबारोंमें मैंने वह पढ़ा । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकारको गरीबके बारेमें सोचना चाहिए ।

उत्तर प्रदेशके अंदर बहन कुमारी मायावतीजी मुख्यमंत्री थीं और उन्होंने स्वर्गीय कांशीरामजीके नामसे एक अर्बन मिशन चलाया ।

आज भी उत्तर प्रदेशके अंदर कांशीराम कालोनीज अलग-अलग जिलोंमें बनी हुई हैं ।

मेरा आपके माध्यमसे मंत्रीजीसे निवेदन है कि मेरे स्वयंके संसदीय क्षेत्र अमरोहामें कांशीराम कालोनी पूरी बनी हुई है और बहुत वर्षोंसे वह

। वह सरकारका पैसा है, वह टैक्स पेयर्सकी मनी है । आजकेंद्रमें आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेशमें भी आपकी सरकार है ।

मैं चाहता हूँ कि आप इस कानोटीसलें और उत्तर प्रदेश सरकारसे पूछें कि आखिर कांशीराम कालोनीजमें अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रहा है ।

सभापतिजी, यहां चर्चा हो रही थी कि दिल्लीमें मेट्रोरेल कि सनेचलाई ।

मुझे याद है कि उसके उद्घाटनके दौरान भी देशके मीडियाने इस बातको उछाला कि कौन इसका उद्घाटन करेगा ।

इसपर बहुत बहस चल रही थी । मैं बताना चाहता हूँ कि मेट्रोरेल का सर्वे 80 के दशकमें हो गया था । वह फाइल धूलमें पड़ी थी ।

मैं ऑनरिकार्ड कहना चाहता हूँ और जमानेकी मंत्रीजीजवाब दें तो इस कानोटीसलें कि पहली बार मेट्रोरेलके लिए बजट का अगर किस

जिन्होंने पहली बार दिल्ली मेट्रोरेलके लिए बजट का एलोकेशन अपनी कैबिनेटमें किया । मैं यह बात ऑनरिकार्ड कहना चाहता हूँ,

क्योंकि आप सिर्फ गरीबोंकी बात करते हैं । माफ कीजिए जो दोनो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने गरीबों, दलितों,

वंचितोंके लिए सिवाय नारेबाजीके और कुछ नहीं किया है ।.... (व्यवधान)

ماننیی سभापतिजी,

मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए अगर आपको छकरना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं ।
आप गरीबों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं ।
आप किसानों के लिए कोई भी बिल लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं लेकिन आपनीयत साफ रखिए ।
आपकी नीयत में कहीं कहीं खोट नजर आ रही है क्योंकि आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया,
तो आप यह बिल लेकर आ रहे हैं । मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बीच में मत बोलिए । दानिश अली जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

कुंवर दानिश अली: मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, जिस भाषा का प्रयोग मेरे आदरणीय साथी ने किया ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

कुंवर दानिश अली:

मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह इनकी सभ्यता हो सकती है कि वे मुख्यमंत्री को कैसे एड्रेस करते हैं ।
मैं सभ्यता का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, वे चाहें कि सीपीएम के हों, उन्हें आदर के साथ एड्रेस करता हूँ ।
प्रधानमंत्री चाहें कि सीपीएम के हों, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ । जो आचरण इनका है, मैं वह आचरण ही दिखा सकता हूँ ।
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली के गरीबों के लिए एक छकरना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी नीयत को साफ कीजिए ।
यदि आप गरीबों को असल में अधिकार देना चाहते हैं, तो इस अधूरे बिल में अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है ।

(अरुबे):

कुंवर दानिश अली

जनाब चिरमिनसाब, मिन आपका शکر گزار ہونکہ آپ نے مجھے دہلی کی غیر منظور کالونیوں کو ریگولر انز کرنے کے پلیر بولنے کا موقع دیا۔
جیسا کہ مجھ سے پہلے کچھ معزز ممبران نے کہا کہ دہلی میں کمپنیاں آج ہاں ہونے کے ساتھ ساتھ، صرف دہلی والوں کی نہیں ہے۔
دہلی میں جو لوگ بستے ہیں، خاص طور سے اتر پردیش، پُر و انچلاور بہار کے لوگ ہاں ہیں، ان کے ساتھ ان کی کالونیوں میں آجانیے۔
وہاں کتنے سالوں سے یہ مانتا چل رہا ہے، آج یہاں کالونیوں میں کوئی نیا دیسی ہو لیا نہیں ہے۔
بموجودہ اکیسویں برسوں میں، سوچ بچار تباہی ان کا کمپنیاں چل رہے ہیں، لیکن اگر اس کی تباہی کو دیکھیں تو دہلی کی غیر منظور کالونیوں میں جا کر دیکھیں کہ ہم
(مداخلت)۔

میں بھی چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ کام ہو، لیکن عزم تباہی پر اعظم صاحب کی قیادت میں ہر کار اہم تنظیموں کے، مینٹننس مجھتا ہوں کہ اس کے لئے مینٹننس
ابھی اس میں کمپنیاں چلیں۔ مینٹننس میں۔ میری جانکاری کے مطابق 12 نومبر 2015
کو دہلی سرکار کی کمپنیاں پر سٹاؤ پاس کر کے مرکز سرکار کو بھیجا جائے۔

یہ جگہ پر ہے کہ سطر یقے سے مرکز سرکار اور موجودہ دہلی سرکار کے رشتے رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیون کے لئے، محروم معاشرے کے جو غریبوں ہیں، ان کے لئے اپنے اپنے ایگو کو الگ رکھنا چاہیے تھا اور یہ حق ہے کہ ہر بیون کو ہر بیون کے لئے
ابھی یہ صاف نہیں ہے، مینٹننس میں کلیر فیکشن پوچھو نہ گمانتر جیسے کہ اخبار و مینٹننس میں خبریں پڑھیں کہ ابھی صرف
100 لوگوں کو ان کی رجسٹرڈ جگہ پر لایا جائے گی۔ ابھی یہاں کتنی سچ ہے، کتنی نہیں ہے، میرے پاس اخبار و نیکی کٹنگ ہے۔

آج کل میڈیا پر یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ کئی جگہوں سے خبریں آتی ہیں کہ میڈیا پور یٹر جسے سرکار کے خلاف پینل کے ہر کتابے، لیکن اچھے انگریز کے اخبار
میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو غریبوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔

اُتر پردیش کے اندر بہنگمار میاؤ تاجیوزیرا علی تھیں، اور انہوں نے سورگئے کاشیر امجیکے نام سے ایکار بن مشن چلایا۔

آج بھی اُتر پردیش کے اندر کاشیر امکالونیوں کے۔ الغرض وہ مینٹننس میں نہیں ہیں۔

میں آپ کے ذریعے جیسے گزارش ہے کہ میرے خود کے پار لیما تھیلو ہمارے وہ مینٹننس کاشیر امکالونیوں میں پور یٹر جنہوں نے اور کنیسالوں سے وہ بن کر تیار ہے
وہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کیمنٹ ہے۔ آج مرکز میں آپ کی سرکار ہے اور اُتر پردیش میں آپ کی سرکار ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا نوٹس لیں اور اُتر پردیش سرکار سے پوچھیں کہ آخر کاشیر امکالونیوں میں اتنا مینٹننس کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کیوں غریبوں کو گھر نہیں دیتے ج

محترم مین صاحب، بہرچہ چاہوں بیتھی کہ بدلی مین میٹر وریلکسنے چلائی۔

مجھے یاد ہے کہ اسکے اڈگھائٹ کے دور انبھیدیش کمیٹی کے اس بات کو اچھا لگا تھا کہ کوناسکا افتتاح کرے گا۔ اسپر بہت بچر بیتھی۔

کے دشک مین ہو گیا تھا۔ وہ فائدہ ہو ل مین پڑی تھی۔

80

مین تانا چاہتا ہوں کہ میٹر وریلکسروے

مینا تریکار ڈکھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤر جی مانتے منتر یجی جو ابدینتو اسکانو ٹس لین کہ بہلیار میٹر وریلکے لئے بجٹ کا اگر کسینے ایلو کیشن کیاتو متحدہ مورچہ

مین بہا تریکار ڈکھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤر فیر فیر یون کییا کرتے ہیں، معاف کیجئے یہ جو دو قامی پارٹیز ہیں، انہوں نے غریبوں، دلتوں، کے لئے سوائے نار

(مداخلت)۔۔

محترم مین صاحب، مینا کے ذریعے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کے لئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ غریبوں کے لئے کوئی بھی پلاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو سنانے کے لئے کوئی بھی پلاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

آپ کو مین مین کہہ سکتے ہیں کہ ٹنڈر آر بی ہے کیونکہ آپ نے اتنے دنوں تک چھنہ پین کیالیکن جب بدلی کا چناؤ آیا تو آپ پہلے کر رہے ہیں۔

مینز یاد ہے کہ چھنہ پین ہونے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ (مداخلت)۔۔۔

محترم، مینا سز بانکا استعمال نہین کر رہا ہوں، جسز بانکا استعمال میرے معزز ساتھی نے کیا۔ (مداخلت)۔۔۔

مینا سیز بانکا استعمال نہین کر سکتا ہوں، کیونکہ بہا کی تہذیب ہو سکتی ہے کہ ہوزیرا علی کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں۔

مین سبھیوزرائے اعلیٰ کا چاہئے وہ کسی بھی پارٹی کے ہونا نہین عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہوں۔

وزیر اعظم چاہئے کسی بھی پارٹی کے ہوں، کیونکہ ہوں ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ ہونا کے لئے مینا سیز بانکا استعمال نہین کر سکتے

جو انداز انکا ہے مینو باچر نو بانداز نہین دکھا سکتا ہوں۔

مینا تباہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہاؤر بدلی کے غریبوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنی نیت صاف کیجئے۔

اگر آپ حقیقت میں غریبوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں تو اساد ہورے ہل مینا بہیہ تک چھسڈ ہار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ

(ختم شد)

***SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL):** Hon'ble Chairman, Sir thank you very much for giving me the opportunity to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorized Colonies) Bill, 2019

I welcome this bill. Primarily, two issues are taken care of through this bill. One is about the Residents of unauthorized constructions and the Unauthorized colonies.

At the outset I would like to point out that this bill is brought keeping an eye on the upcoming election. It is known to all. However, I would like to say that this bill should not confine only to the territories of the National Capital Delhi. I personally feel that this bill should have a broader view keeping in mind the announcement of hon'ble Prime Minister to provide Housing for All by 2022 to every homeless people in the entire country, whereas, the scope of this bill is restricted only to the residents, who have constructed houses in the unauthorized colonies in the NCT Delhi.

I would like to state that the issue of unauthorized construction and unauthorized colonies can be seen everywhere, both in urban and rural areas of the country. Buildings are constructed outside the purview of the City or Town Planning authority. Since these residents have built their houses in unauthorized colonies, a number of shortcomings and impediments are being faced by them even to construct the houses on their own.

Mainly, they are unable to get any benefits from the government scheme and they are also deprived of many facilities.

That is why I feel that, if the government had taken a comprehensive view to expand the scope of the bill to make it applicable to the entire country, it would have been a step forward to realize the dream of the hon'ble prime minister to ensure housing for all.

While moving the bill the hon'ble Minister mentioned that intention of the government is that under the Pradhan Mantri Awaz Yojna a grant of Rs.1.50 lakhs is given to each the beneficiaries to construct a house and also to provide interest subsidy on the loan raised by the resident to construct houses under the Interest Subvention scheme.

I am aware of the fact that the land is a subject, which is regulated by the Revenue Act of the state concerned. However, this issue of unauthorized colonies and constructions has become a matter of concern for everyone and everywhere, that too after the independence of the country. There is a rapid urbanization in the country every year, all the towns and cities suffer from the mushrooming of unauthorized constructions and colonies. All the hon'ble members of Lok Sabha are very well aware of this fact. There are difficulties like getting a Khata or the Mutation of the property, getting bank loan on the property, as the documents of unauthorized colonies are invalid. However, some state governments took steps to amend the revenue act time and again to modify the rules. But, there are interventions by the courts and the amendments could not be effective. Due to judicial interventions the state government could not pursue the issue of unauthorized colonies and unauthorized constructions.

If the union government is really serious to implement the Prime Minister's Housing a scheme for all in an effective manner, I would like to suggest you to convene a Joint meeting of all Hon'ble Chief Ministers and Hon'ble Ministers for Housing of all the states of the country and discuss the issue thoroughly to find effective steps to put an end to the problem of unauthorized colonies and unauthorized constructions.

Through bill you are making an experiment to find solution to the problems of unauthorized colonies and unauthorized constructions in NCT Delhi However, but it is not sufficient to think of only for NCT Delhi, instead, the government needs to think in a broader perspective to take care of the problems, that are plaguing in all the states in the country. Hence, there is need to bring a comprehensive bill for regularizing the unauthorized construction in all the 30 states of the country irrespectively whether it is Rural area or Urban area. This would certainly help to ensure the successful implementation of the Housing for All, which aims to provide a house to every homeless persons in the country.

I would like to mention that during the tenure of shri Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka, our government amended the Revenue Act of the state to introduce section 94 and 94 C to ensure the ownership rights to the residents those who constructed houses on the government land.

As far as Slum Board is concerned, this is the matter of great concern that in the number of Slums are increasing everywhere in the country. There are so many impediments to construct houses in Slums., which have mushroomed on both private and government lands. As far as the government is concerned whether it belongs to any department like Railways or the Defence or the Environment and Forest, in which slum dwellers have been residing there for more than forty to fifty years. A large number of slum dwellers are there in my Lok Sabha constituency too.

About two months ago, the railway officials demolished unauthorized dwelling units of the residents of my Parliamentary constituency as the land belongs to the Indian Railways.

On the one hand the government is announcing to provide house to everyone and on the other hand the constructed houses are being demolished.

Therefore apart from giving ownership rights to the residents of a Lay outs and private colonies, I would like to suggest that the government should contemplate to grant ownership rights to the poor people, those who construct their dwelling unit on the government land also.

I will once again urge the government to take all necessary measures to bring a comprehensive law to cover all the poor, who built houses in unauthorized manner and who are residing in unauthorized colonies, in all the states to enable them to get the rights of ownership and also to fulfill the objectives of Housing for All scheme in the country.

With these words, hon'ble Chairman sir, I, thank you once again once again and support this bill.

श्रीमनोजतिवारी (उत्तरपूर्वदिल्ली): माननीयसभापतिमहोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति यही भाव रख रहे हैं कि मोदी जी, दिल तो एक है, कितनी बार जीतोगे। आज हम जिस बिल पर बहस कर रहे हैं, इस पर दिल्ली के लोगों को वर्षों से आशालगी थी, उस पर दिल जीता है, क्योंकि जब कैबिनेट से यह मुद्दा पास हुआ था, तो इसकी भनक लग गई थी। कई लोग शंका में भी हैं और शंका में इसलिए हैं कि दिल्ली में जो सरकार है, उसके कारण जब हम लोग दिवाली में गलियों में गए थे, वह फेक न्यूज के आधार पर लगातार लोगों में भ्रम फैलाती रहती है, तो लोग हमें खींच रहे थे कि आओ, हमारे साथ दिया जलाओ। उनको लगा कि दिवाली डबल होगई। अभी तक न जाने कितने लोग घर के इल्लीगल स्टेटस में ही संसार से चले गए। उसके कारण जब हम लोग दिवाली में गलियों में गए थे, जब हम इस बिल का पहली लाइन पढ़ते हैं कि पिछले कई दशकों के प्रवास और अन्य कारकों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आए हुए, पर प्रान्त से आए हुए और पार्टिशन के बाद इस दिल्ली में आए हुए, सभी को याद है, यहां बैठे हुए हम सभी सदस्यों को याद है कि जब हमारे देश का वर्ष 1947 में विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आए और दिल्ली में रहे। हर दीपसिंहपुरी जी भी अपना दर्द बतार रहे थे कि इनका जन्म भी ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसी ही कालोनी में हुआ। कैसे-कैसे हर दीपपुरी जी यहां तक पहुंचे हैं, इसके दर्द को जानना है तो इस बिल के महत्व को जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। पार्टिशन से लोग आए, घर बनाए, यहां-वहां रहने लगे, कानून नहीं था। फिर परप्रान्तों से आए। हम इस बिल के महत्व को दोपक्ष से देखेंगे। जो दूर से प्रान्तों से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, छत्तीसगढ़ से आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, उत्तरांचल से आए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहां हर जगह से लोग आए हुए हैं, यहां बैठे हुए हर सदस्य का इस बिल से कुछ न कुछ रिश्ता है। आज रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, तो मैं उस पक्ष की बेचैनी देख रहा था।

सभापति महोदय, रमेश बिधूड़ी जी की कोई भी लाइन सत्य से जरा भी इधर-उधर नहीं थी। हां, जरूर उसको सुनने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है और तकलीफ इसलिए होती है, क्योंकि वह चुभती है। वह चुभती इसलिए है कि जैसे ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात आती है, वे सारे नाम याद आते हैं।

अभीभीकईमाननीयसदस्यलोगयहसवालउठारहेहैंकिइतनेदिनबादहीकेन्द्रनेयहक्योंकिया,
इसकाभीजवाबहमारेशरमेशबिधूड़ीजीनेदिया, मैंउसेदोहरानानहींचाहताहूँ, लेकिनहां, जिसप्रकारसेवर्तमानसरकारऔरउसके
...नेफेकन्यूजफैलारखा, हमउसकेलिएहजरूरकहनाचाहेंगेकिवर्ष 2017 कीदिल्लीकेमुख्यमंत्रीकीचिट्ठी,
जिसमेंउन्होंनेकहाकिहमडिमार्केशनकाकामदोसालमेंकरेंगे, वहपढ़नाबहुतआवश्यकहै ।
उसेपढ़नेकेलिएमैंमाननीयमंत्रीजीसेकहूंगाकिएकदिनअखबारमेंउसकाइशतहारनिकलवादीजिए,
दोनोंचिट्ठियोंकोछपवादीजिए, क्योंकिलोगइसपरबहुतकंप्यूजकररहेहैं ।दूसरीचिट्ठीवर्ष 2019 मेंलिखीगई ।2019
मेंभीयहसरकारबैठिनहीं ।वर्ष 2014 मेंजैसेहीप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीपदपरबैठेहैं, चूँकिउन्होंनेगरीबीमेंजीवनगुजाराहै,
उन्होंनेअन-ऑथराइज्डकॉलोनियोंमेंरहनेवालेलोगोंकेदर्दकोस्वयंजीयाहै, इसलिएउन्होंनेबिनादेरकिए,
दिल्लीसरकारकोकहाकिआपइसकाजल्दीनिराकरणकरें, इसकीमैपिंगकरें, हमइसेकरनेकोतैयारहैं ।
वेदोनोंचिट्ठियाँबहुतहीमहत्त्वपूर्णहैं ।मुझेआजयहभीपताचलाहैकिदिल्लीकेमैक्सिममलोगअपनी-
अपनीनौकरियोंपरनजाकरलोकसभाकीकार्यवाहीदेखरहेहैं ।हमेंइसकेबारेमेंकईसन्देशआरहेहैं ।

इसलिएउनकोपताहोनाचाहिएकिदोनोंचिट्ठियाँ, जोवर्ष 2017 औरवर्ष 2019 मेंजवाबकेरूपमेंमंत्रीजीकोआईहैं, ...
(व्यवधान) जीहाँ, अबवहतोजगजाहिरहै ।वहमेरेमोबाइलपरभीहै, रमेशबिधूड़ीजीनेतोपढ़भीदिया ।
मैंउनचिट्ठियोंकेसंदर्भमेंमाननीयसदनकोऔरपूरेदिल्लीकेलोगोंकोबतानाचाहताहूँकिअभीभीजबयहकैबिनेटसेपासहुआ,
तोदिल्लीसरकारकापहलारिएक्शनबड़ाइंट्रेस्टिंगथा ।
उन्होंनेपहलारिएक्शनयहदियाकियहकामतोमोदीहमारेदबावमेंहीकररहेहैं ।हमलोगबहुतखुशहुएऔरकहाकिकोईबातनहीं,
आपकोयहतोलगाकियहमोदीजीकररहेहैं ।दबावकाहीयहनतीजाथाकिआपनेपहलेएकसालमेंहीइसेकरनेकावादाकियाथा ।
यहदबावकाहीनतीजाथाकिआपनेदो-दोबारकहाकिहमदोसालकाटाइमलेंगेऔरवर्ष 2019 मेंबोलतेहैंकिहमइसेवर्ष 2021
सेपहलेनहींकरसकतेहैं ।वहचिट्ठीहै ।

अबजबसवालउठेगा, तोउनकॉलोनियोंमेंरहनेवालेलोगोंकेक्या-क्यादर्दथे, उनपरआजइससदनमेंजरूरचर्चाहोनीचाहिए
।अन-ऑथराइज्डकॉलोनियोंमेंकोईबैंकनहींखुलसकताथा ।जबहमसांसदकेरूपमेंइनअन-ऑथराइज्डकॉलोनियोंमेंजातेथे,
तोसबसेपहलीडिमाण्डयहीहोतीथी, लोगकहतेथेकिसांसदजी, एकबैंकखुलवादीजिए ।
तत्कालीनवित्तराज्यमंत्रीश्रीअर्जुनराममेघवालजीयहाँबैठेहैं, येबातेंइनकेसामनेहीहुईथीं ।इन्होंनेकहाथाकिचिन्तामतकीजिए,
हमइसपरकुछकरेंगे ।लेकिनजोलोगयहसवालउठारहेहैंकिहमेंइतनीदेरक्योंहुई, हमउनकोबड़ीविनम्रतासेबतानाचाहतेहैंकि
20 सालसेबीजेपीदिल्लीसरकारमेंनहींहै ।इसलिएरेस्पांसिबिलिटीआपकोलेनीपड़ेगी ।...(व्यवधान) आपदेखिए,
आपजितनीतरहसेभीबातकोघुमाइए, लेकिनसच्चाईयहहैकि ... (व्यवधान) यहसेन्ट्रलसब्जेक्टनहींहैसर ।
हमारीसरकारकेमिनिस्टरनेदो-दोबारलोकलगवर्नमेंटसेकहाकिआपडिमार्केशनकरकेदीजिए ।
जबउन्होंनेदोबारडिनाइकिया, दो-दोसालकामौकादेकर, मैंप्रधानमंत्रीनरेन्द्रमोदीजीकाधन्यवादकरताहूँ,
जिन्होंनेदिल्लीकेलगभग 70 लाखलोगोंकेदर्दकोसमझाहैदानिशभाई ।...(व्यवधान)

उनकीपरेशानियाँक्याथीं? उनकीपरेशानियाँथींकिउनकेयहाँबैंकनहींखुलसकतेथे ।
कॉलोनियोंमेंजोवित्तीयसंस्थाएँहोतीहैं, वेनहींखुलसकतीथीं ।सबसेबड़ीयहबातहैकिहमारेयहाँलोगकहतेहैं- हेमाँ, हेपिताजी,
एकघरबनादेनाताकिहमकुछनकरें, तोउसघरसेहीआगेकेलिएकोईव्यवसायकरसकें, उसकोमार्गेजरखसकें ।
लेकिनउसघरकोमार्गेजरखनेकाअधिकारभीनहींथा ।
यहाँबैठाहुआकोईभीव्यक्तिइसबातकोअच्छीतरहसेसमझताहैऔरइसेदेशतथादिल्लीकेलोगभीसमझतेहैं ।
जबकिसीकाअपनाघरहोताहै, किसीकामालिकानाहकहोताहै,
तोउसकीआनेवालीसातपुश्तेंयहकहतेहुएरहजातीहैंकिमेरेपापाकादिल्लीमेंघरहै ।
उसघरकोमार्गेजरखकरहमपैसेलाएंगेऔरहमकोईव्यवसायकरेंगे ।ऐसीव्यवस्थासेयेकॉलोनियाँमहसूमथीं ।
आजनरेन्द्रमोदीसरकारनेउनकानिराकरणकरदियाहै ।

सभापतिजी, मुझेतोऐसालगरहाहैकिमेराताराजनीतिमेंआनासफलहोगयाहै ।मेराघरबिहारमेंहै ।मेरीपढ़ाई-
लिखाईबीएचयू, वाराणसीमेंहुई ।मैंयहांआया, तबमैंयहबातसोचरहाथा ।...(व्यवधान) मैंनेमुंबईमेंकामकिया ।
उससमयहमारेसीपी, पुलिसकेमुखियासत्यपालजीहोतेथे ।मैंयहांआया, अपनेसाथियोंकेसाथबैठा,

अबजाकर लगरा है कि जोलोगगांव छोड़कर, खलिहान छोड़कर, बूढ़े मां-बापको छोड़कर रोजगार के चक्कर में यहां आए, आज उनके लिए जो मोदी सरकार ने कर दिया, आपलोग बुरा मत मानिएगा, हमारे एक साथी हैं ही नहीं, उसके लिए दिल्ली जो धन्यवाद दे रही है, वह हम शब्दों में यहां नहीं बता सकते।

सभापति महोदय, मैं यहां एक दर्द बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है - पिछले कुछ दशकों में प्रवास और अन्य कारकों से आए हुए, ये अन्य कारक क्या हैं? कैसे लोग आए? ये अन्य कारक हैं कि वे लोग रोजगार के लिए आए। वह दिन कलेजा चीर देने वाला था, जब इसी...*(व्यवधान)

महोदय, इसलिए इस बिल का महत्व है। ...*(व्यवधान) लेकिन इस बात को आप समझिए, जो लोग दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं, जो लोग पार्टिशन के बाद आए, उनके लिए इतने छोटे स्तर का बयान? वह कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया, जिनको इस दिल्ली के उन ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद आज इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मोदी जीने, हरदीपपुरी जीने जो सुख दिया है, जो खुशी दी है, उसके लिए तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जाए तो वह भी छोटा पड़ जाएगा।

महोदय, मैं इसलाइन को कन्डेम करता हूँ, लेकिन आज मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि जितनी परेशानियां थीं, उनके बाद क्या ला भूए, क्योंकि उन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने फ्री में घर नहीं बनाया। उन्होंने सीमेंट खरीदा, बालू खरीदी, ईंट खरीदी, सब कुछ खरीदा, लेकिन उन्होंने जो पैसा लगाया, वह पैसा नहीं आता था। कुछ भी निश्चित तान हीं थी और अनिश्चितता में जीता हुआ इंसान क्या दर्द पाता है, वह हम-आपस भी लोग समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले दिल्ली की इन्हीं अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आर डब्ल्यू एके लोगों ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए जब उनसे सम् - जय हो, वे धन्य हैं, उन्होंने अपने आवास पर दिल्ली की अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों के आर डब्ल्यू एके को बुलाया। उसमें बोलते-बोलते उन्होंने यह बात रखी, प्रधानमंत्री जी ने यह लाइन कही कि दूसरे लोग चाहे अपनी जिम्मेदारी उठाएं यान उठाएं, यह सरकार गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकती। तब हमें लगा कि हमें अपना लक्ष्य मिल गया, हमें अपना वजूद मिल गया।

15.59 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

सभापति महोदय, इससे क्या-क्या ला भूने वाले हैं? आज इस सदन में जितनी चर्चा होगी, उसे पूरी दिल्ली देखेगी। इसका जो बैस्ट ला भू है, उसके बारे में मैं आज सदन को थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम जब अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में जाते हैं तो वहां छोटा ग्राउंड भी नहीं होता है, कम्युनिटी सेंटर नहीं होता है। उनका भी मन होता है कि हमारी कॉलोनी चमकदार हो, हमारी कॉलोनी में ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनें। इस बिल के बाद जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, वह रीडेवलपमेंट का काम है। मैं बहुत दिन मुंबई में भी रहा। मुंबई ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है। हम लोग उस पर गाने भी बनाते थे, देखते थे, कहते थे, लेकिन दिल्ली की इन अनॉथराइज़्ड कॉलोनियों में इतनी बदतरज़िदगी क्यों है?

हमारे एक भैया ने गलती से उसको मलिन बस्ती कह दिया, लेकिन उनके भाव में जाइए तो उसके लिए वह शब्द गलत नहीं, वहां की ऐसी व्यवस्था थी कि हम वहां एमपी लैड फंड नहीं लगा सकते थे। हम जाते थे, वहां बैठते थे, उनसे पूछते थे कि क्या हुआ? वे कहते थे कि एमपी साहब दे दो, हम कहते थे कि हां, ले लो, बजट दे दो, लेकिन हम एमपी लैड फंड नहीं लगा सकते थे। अब क्या होगा? इस बिल के पास हो जाने के बाद वे कॉलोनियां आपस में मिल कर सोसायटी बनाएंगी और सोसायटी बनाने के बाद उन की रीडेवलपमेंट शुरू। रीडेवलपमेंट होगा तो उन ही कॉलोनियों में ग्राउंड भी बनेगा, कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा और लोग कहेंगे, धन्यवाद मोदी जी, आपको दिया हुआ हमारा वोट वसूल होगा।

16.00 hrs

हमारे कई साथियों ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रोविजन आया, वर्ष 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी कुछ लाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप सबको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2012 में तत्कालीन कांग्रेस की मुख्यमंत्री द्वारा प्रोविजन लाया गया और वर्ष 2015। वह लोग तो सिर्फ चुनावी जुमले करते थे, हम तो चुनाव से पहले ही कर रहे हैं।

पहलीबारयहदेशदेखेगाकिलोगचुनावमेंवादाकरतेथे,हमकरनेकेबादचुनावमेंजाएंगे ।हमएसीपार्टीसेसंबंधरखतेहैं ।
हमारेरेड्डीसाहबऔरमारनसाहब,जोचलेगएहैं,इन्होंनेकईबारकहा-‘डेरोगेटरीवर्ड’

महोदया,अगरडेरोगेटरीशब्दसेइतनीपरेशानीहैतोथोड़ाराहुलगांधीजीकोसमझाइए ।
उनकोसमझाइएकिडेरोगेटरीवर्डसक्याहोतेहैंऔरकिसीकोसम्मानदेनेकेलिएकैसेशब्दोंकाप्रयोगहोनाचाहिए ।
कुछलोगफीसपरसवालउठारहेहैं ।मैंफीसपरकुछजानकारीदेनाचाहताहूँ ।
जिसरेटपरइनघरोंकीरजिस्ट्रीहोगी,उसकीपड़तालमेंजाएंगेतोआपकोपताचलेगाकियहतोनकेबराबरहै,क्योंकिऐसाहोनेसेपहले ।
उन्होंनेमुझेजोरेटबतायाथा,वहबताताहूँ ।
लोगोंनेजोरेटमांगाथा,उससे40गुनाकम,यानीनकेबराबरयहरजिस्ट्रीहोनेजारहीहै,जिसकेलिएमैंश्रीहरदीपसिंहपुरीजीकोऔरनरे-
बहुतधन्यवादकरनाचाहताहूँ ।

महोदया,इसकेनहोनेकेनुकसानसेअगरथोड़ासापीछेजाएंतोआपसबकोपताहैकिदिल्लीमेंकिसप्रकारसेसीलिंगकादर्दशुरू
।दिल्लीमें351सड़कोंकोमुख्यमंत्रीजीद्वारानोटिफाईकरनाथाकियेकॉमर्शियलहैं,रेजीडेंशियलहैंयायेमिक्स्टहैं?
दिल्लीसरकारमेंजोलोगथे,वेनजानेकौनसीडीलमेंलगेहुएथेकिउन्होंने351सड़कोंकोतबनोटिफाईनहींकिया ।
अबतो1200सेज्यादासड़केंतैयारहैं,लेकिनयेअभीभीयहनहींबतातेहैंकियेसड़केंकॉमर्शियलहैं,रेजीडेंशियलहैंयायेमिक्स्टहैं?
इसकाफायदाकुछगलतअधिकारी,कुछगलतलोगलेतेहैंऔरवेजाकरसीधेसीलकरदेतेहैं ।
इनअनऑथराइज्डकॉलोनियोंमेंघरोंकेनीचेजोछोटी-छोटीदुकानेंहैं,उनकोभीवेसीलकरदेतेथे ।
इसबिलकेआनेकेबादसारीदुकानेंभीसुरक्षितहोजाएंगी ।
दिल्लीकीअनऑथराइज्डकॉलोनियोंकोयहभीएकबहुतबड़ाफायदाहोनेजारहाहै ।

महोदया,मैंनेसीलिंगकाविरोधकियाथा ।मैंहीवहव्यक्तिहूँ ।हमलोगोंनेसीलिंगतोड़ीथी ।हमलोगकोर्टमेंलड़ेथे ।
हमनेकहाथाकिकिसीकेसाथपिकएण्डचूजनहींहोनाचाहिए ।
दिल्लीकीवर्तमानसरकारऔरइससेपहलेवालीसरकारभीनजानेक्या-क्याकरतीथी,यहमेरीसमझकेबाहरहै ।मैंबड़ासीधा-
सादाआदमीहूँ,इसलिएसीधाबोलताहूँ,सीधासोचताहूँ,सीधादेखताहूँऔरसीधाचलताहूँ ।मुझेभीकोर्टमेंजाकरलड़नापड़ा ।
इन्सारेतथ्योंकेबीचयहदर्दमिटानेवालाकोईबिलअगरआरहाहै,तोवहयहबिलहै,जिसकेलिएनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारकोनसिर्फ ।
।ऐसावहीकरसकताथा,जोगरीबीकोसमझताहै,जोगरीबोंकोसमझताहै ।अभीनजानेऔरकितनीबातेंआएंगी ।
भगवंतमानजीयहांसेचलेगए ।वहबार-बारदौड़करइतनाबेचैनहोजातेहैंकि...*आपसोचिएकिफेकन्यूजकेसेफैलाईजारहीहै?
जबइसयोजनाकानाम‘पीएमउदययोजना’पड़गयातोबोलेकिऐसामेरेदबावमेंहोरहाहै ।इसयोजनाकापूरानामहै-
‘प्रधानमंत्रीअनऑथराइज्डकॉलोनीइनदिल्लीअधिकारएवंआवासयोजना’ ।

पीएमउदय,जैसेहीयहनामआया,हमारेगांवमेंजोंकहोतीहै,वहजानवरोंऔरभैंसकोलगजातीहै ।वहखूनचूसतीहै ।
उसकोईटसेकूटेंगेतोकुछनहींहोताहै,लेकिनआपउसपरथोड़ानमकडालदीजिए ।पीएमउदययोजनाजोंकपरनमककीतरहहै ।
।वहजैसेहीआयी,दिल्लीके... *चिल्लानेलगेकियेधोखादेरहेहैं ।मैंउसतरहसेनहींबोलसकताहूँ ।
मैंएक्टरतोहूँलेकिनउनकीएक्टिंगकेसामने,वहचिल्ला-चिल्लाकरबोलनेलगेकियहसरकारधोखादेरहीहै,धोखादेरहीहै ।
हमलोगोंनेपूछाकिइसमेंक्याधोखाहै?यहबड़ीइम्पोर्टेंटबातहै ।उन्होंनेबोलाकिइससत्रमेंतोयहबिललानेकीकोईचर्चाहीनहींहै ।
आजजोभीलोकसभाकीप्रक्रियाकोसुनरहाहोगा,यहबिलहमारेहाथोंमेंहैऔरयहबिलनरेन्द्रमोदीजीसरकारलेकरआयीहै ।
उनलोगोंको,पतानहींयहबोलनापार्लियामेंट्रीहैयानहीं,लेकिन... *अगरगलतहोगातोकाटदीजिएगा ।...(व्यवधान)

महोदया,यहफेकयूजकाकितनाबड़ागिरोहहै?आजआदरणीयशीलादीक्षितजीइससंसारमेंनहींहैं ।
मुझेउनसेमिलनेकामौकामिलाथा ।हमनेआमने-सामनेचुनावलड़ाथा ।
बेशकहमनेचुनावलड़ाथा,लेकिनचुनावरिजल्टकेबादमैंउनसेमिलनेकेलिएगयाथा ।मेट्रोकीबातरेड्डीसाहबनेकहीहै ।
मैंबड़ीईमानदारीसे,मैंएकगांवसेआताहूँऔरमेरेपिताजीभीगांवकेकिसानथे ।
उन्होंनेमुझसेउसमुलाकातमेंकहाथाकिमनोज,मैंअटलजीकेपासजाकरबैठगयीऔरमेट्रोकाकामशुरूहोगया ।

वहीबातरमेशबिधुड़ीजीकहरहेथे

।वहयोजनाकोशुरूकरनेकेलिएतारीफकररहीथीं...

(व्यवधान)बिलकुलप्रधानमंत्रीथेऔरइसीनातेकेन्द्रऔरराज्यकाआधा-आधाहोताहै ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record. All this is not going on record.

... (Interruptions)*

श्रीमनोजतिवारी : आपदेखिएकि 15 सालमेंतत्कालीनमुख्यमंत्री, उनकानामलेनेमेंकोईबुराईनहींहै, ... *ने, अभीएकआरटीआईडालीगयीथीकिकितनाएडवर्टाइजमेंटपरखर्चकियागया, 15 सालमें 79 करोड़रुपयेखर्चकिएगए । भाइयो-बहनोआपलोगनोटकरलेना । 15 सालमेंउन्होंने 79 करोड़रुपयेखर्चकिएऔरइसवर्तमानसरकारनेकेवलइसीटर्मकेचारसालमेंही 311 करोड़रुपयेखर्चकरदिए । उसकेबादआजतकजोड़लीजिएतोयहचारसौकरोड़रुपयेकेपारहोचुकाहै ।क्यों, क्योंकिइनकोफेकन्यूज़फैलानाहै ।क्यों, क्योंकिइनकोमीडियाकोधोखादेनाहै ।क्यों, क्योंकिइनकोदिल्लीकेलोगोंकीआंखोंमेंधूलझोंकनीहै ।सरकारें60 महीनेकीहोतीहैंसाहब, सरकारेंतीनमहीनेकीनहींहोतीहैंऔरयहतोअच्छाहुआ । इसलिएमैंइसफेकन्यूज़कीफैक्ट्रीवर्तमानदिल्लीसरकारकोऔरकलसेऔरअभीभीबाहरथोड़ीदेरपहलेतक, एकअलगटिंढोरापीटरहेहैं ।रोजवहयहीकोशिशकरतेहैंकिअनोथोराइज्जकालोनीकीसीतरहसेपासनहो । मैंऐसेसभीलोगोंकोयहबतानाचाहताहूँ, शायदआपभूलगएहैंकिमोदीहैतोमुमकिनहै ।मोदीहैतोसबकुछमुमकिनहै, गरीबोंकाकाममुमकिनहै, ईमानदारोंकाकाममुमकिनहै ।मोदीहैतोसबकुछमुमकिनहै ।

सभापतिमहोदया, इसीसंदर्भमेंइसबिलमेंएकलाइनलिखीगईहै, वहबड़ीमहत्वपूर्णहैकि 'अप्राधिकृतकालोनियोंकेनिवासियोंकीसामाजिक-आर्थिकपरिस्थितियांऔरजमीनीवास्तविकताओंकोध्यानमेंरखाजानाआवश्यकहै' ।...(व्यवधान) महोदया, मैंबसदोमिनटमेंअपनीबातकोसमाप्तकरूंगा ।मैंकईऐसीअप्राधिकृतकालोनियोंकेलोगोंकोजानताहूँ, जिनकीबेटियोंकीशादियांरूकरहीथीं ।मैंकईऐसेलोगोंकोजानताहूँ, जिन्होंनेबड़ीमुश्किलोंसेअपनेघरबनाएहैं । जबउनकीबेटियोंकीशादीकीबातहोतीहै, तोकईलोगयहसोचतेहैंकिवेअप्राधिकृतकालोनियोंमेंरहतेहैंऔरउनकीकालोनियोंमेंसारीसुविधाएंनहींहैं । ऐसेमेंवेआजजीवनजीनेजारहेहैं, जिसकीशुरूआतहोरहीहै, अप्राधिकृतकालोनियोंमेंरहनेवालेलोगोंकेलिएनरेन्द्रमोदीजीमात्रप्रधानमंत्रीहीनहीं, बल्किनरेन्द्रमोदीजीइसदेशकेएकबड़ेसमाजसुधारककेरूपमेंभीयादकिएजाएंगे ।हमइसबातकीखुशीप्रकटकरनाचाहतेहैं ।

महोदया, मुझेपताहैकिइनसभीसिस्टमोंकेबीचवर्ष 2015 मेंजोदिल्लीडेवलेपमेंटएक्टशुरूहुआथा, उसकीखुशीकेसाथ-साथहमजैसेलोगोंको, चूंकियहतभीसंभवहुआहै, जबदिल्लीनेसातकेसातसांसददिएहैंऔरसातोंएकहीनोटपरबातकरतेहैं । सभापतिमहोदया, मुझेइसबातकीखुशीहैकिआपभीउसीसातसांसदोंकाएकअंगहैं ।सभीलोगोंनेइसपरएकस्वरमेंबातकीहै । मैंसमझताहूँकिआनेवालेदिनोंमेंदिल्लीकेइसकामकोजिसप्रकारसेजनतायादकरेगीऔरइसकोयादकरनाभीचाहिए । हमकेवलउसकेलिएहीखुशनहींहैं, बल्किहमइसलिएभीखुशहैंकिआगेआनेवालीसातपुश्तोंकेलिएहमनेदिल्लीमेंएकऐसीव्यवस्थादेदीहै, जोनरेन्द्रमोदीजीकीसरकारमेंहुआहै, हरदीपसिंहपुरीजीकेयूडीमिनिस्टररहतेहुआहैऔरहमसभीकेसांसदरहतेहुआहै । यहांसेआगेजानेकेलिएनजानेकितनेरास्तेखुलेंगे, क्योंकिमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेकहाथाकिहमवर्ष 2022 तकसबकोघरदेदेंगे ।

महोदया, घरतोतीनप्रकारकेहोतेहैं ।पहलाघर, जिनकेपासछतहीनहींथी ।दूसराघर, जिनकेपासघरथे, लेकिनकच्चेथे, वेबारिशमेंटूटजातेथे ।तीसरा, यहभीघरथा, लेकिनउसकोघरनहींहसकतेथे, लिखनहींसकतेथे, उसपरअधिकारनहींथा, उसकोबेचनहींसकतेथे, ट्रांसफरनहींकरसकतेथे, मार्गेंजनहींरखसकतेथे ।महोदया, मैंसमझताहूँकिजोमाननीयप्रधानमंत्रीजीनेकहाथा, उन्होंनेआजवास्तवमेंदिल्लीके 60 लाखलोगोंकोछतदेनेकाकामकियाहै । मैंउसकेलिएभीमाननीयनरेन्द्रमोदीजीकाधन्यवादकरताहूँ ।मुझेआपनेबोलनेकामौकादिया, मैंइसकेलिएआपकोपुनःधन्यवाददेताहूँ ।

श्रीहसनैनमसूदी(अनन्तनाग) : जनाबचेयरपर्सनसाहिबा, आपनेमुझेइसबिलपरबोलनेकामौकादिया, इसकेलिएआपकाबहुत-बहुतशुक्रिया ।दिल्लीहिन्दुस्तानकादिलहै, तोजाहिरसीबातहैकिहमसबकीदिलचस्पीइसमेंहैकियहजोकानूनहै, इसकानूनसेकिसकोलाभमिलसकताहैऔरइसकानूनकीमंशाक्याहै? हरदिनहजारोंलोगहिन्दुस्तानकेमुख्तलिफ़हिस्सोंसेअपनीआंखोंमेंसपनेसजाएहुएदिल्लाकारुखकरतेहैं, ताकिअपनेख्वाबोंकीताबीरहासिलकरसकें ।

महोदया, गालिबनेकहाथाकि – ‘हमनेमानारहेंगेदिल्लीमेंलेकिनखाएंगेक्या’ ।आजकलतोखानेकीबातनहींहै, आजकलतोशहरीसहूलियातकीबातहै ।येकितनीतकलीफकीबातहैकिदिल्लीमें 50 लाखलोगबुनियादीशहरीसहूलियातसेमहरूमहैं ।अबजबउनकीतकलीफोंकोदूरकरनेकाप्रयासकियाजारहाहै, तोजाहिरसीबातहैकिहमसबउसकास्वागतकरतेहैं ।

Hon. Chairperson, I rise here to support the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019. However, there are a couple of reservations.

In the first place, I would like to know and this House has an interest to know: why was the matter delayed for too long? This Government has been in place for the last six years. When was the proposal actually received? When was the Resolution by the Delhi Assembly passed and when was the work started on it?

Whatever explanation has been given by the hon. Minister is not convincing because it was a decision, which was to be taken, in principle. You decide to regularise unauthorised colonies; you take a decision in principle and then you just go to the modalities and the methodology. It was not that the methodology should have been decided on day one.

Then, why should we stick to a deadline of 24th March, 2008? See, this Bill is presented before the House after 11 years. Should we still adhere to the statistics of 2008? That needs to be explained. Are the lists up to date, prepared as on date or is it the list that was notified way back in 2008 or somewhere after 2008, that is immediately thereafter?

See the definition of ‘resident’? Definition of ‘resident’ is given in Clause 2(a). It is again gender neutral. Rights are to be conferred on a resident. Who is a resident? Can we afford to be oblivious to the fact that the lady of the house contributes to whatever is spent on acquiring property rights in Delhi or elsewhere? Why should we ignore her? Would it not have been better to confer these rights on a family, on a couple? It is because, you know, most of the time it is the lady of the house who sells her ornaments to help her husband to get the property. This legislation does not address to the issues of gender equality, when she should be made an equal participant or an equal beneficiary in conferment of rights. I do not know what explanation will come from the hon. Minister.

Then, why should you arbitrarily ignore some colonies? The effort is to regularise the irregular colonies. It has nothing to do with whether that colony belongs to some kind of an affluent section of society or the residents of that colony are well off. It is because if you leave out the colonies, the problem will persist. What you are trying to do by this Act is to address the problem. That problem, of late, has assumed menacing proportions and it has been a concern to all of us. But if you leave some of the colonies saying that they belong to the affluent people who are well off, down the line you have again to take care of those colonies. I do not think that it is a reasonable classification when you divide the colonies into the affluent or well off people and the people belonging to the weaker sections. You could, at the most, do one thing. In case of the

people who you feel are better off, are not economically deprived, you could have a higher charge for them. But how can you ignore them by having this classification? I would request the hon. Minister to do away with this classification. It is because what I understand is there are 1797 colonies in all and the beneficiaries are 1731 colonies, if the figures are correct. So, these colonies should not be left out.

Thank you, Madam.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairperson, Madam, for giving me an opportunity to speak on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

First of all, I would like to appreciate the Minister of State of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri who has formulated this new Bill under the great governance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji*. This Bill intends to provide a legal framework to grant ownership rights to people living in unauthorised colonies in Delhi and thereby to award the rights to 1731 identified colonies spread over 175 square kilometres of the National Capital which is inhabited by 40 lakh people from the lower income group.

According to this Bill, the ownership rights will be given on the basis of Power of Attorney, Agreement to Sale, Will, possession letter and other documents including papers evidencing payment of consideration through a conveyance deed or authorisation slip. The applicants will have to simply register by applying online, duly uploading the required documents such as general power of attorney, payment receipt, possession letter, etc, and thereby making it as 'recognised' to facilitate development or redevelopment to improve the existing infrastructure, civic and social amenities which will lead to better quality of their life.

Through this, the Delhi residents can start applying for ownership rights from 16th December and would receive ownership certificates within 180 days.

Apart from the above, the Union Government announced the 'Housing for All' mission for urban areas, which will provide central assistance to implementing agencies through States for providing houses to all the eligible families and is to be completed in a phased manner before 2022.

The said Mission was launched by our hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji in June, 2015, supporting construction of houses, across the country.

Accordingly, in my State of Tamil Nadu, our beloved leader late Puratchi Thalaivi Amma's Tamil Nadu Vision 2023 is implemented successfully by the hon. Chief Minister Shri Edappadi K. Palaniswami and hon. Deputy Chief Minister through Shri O. Panneerselvam. The strategic long-term plan envisages the provision of houses for all urban slum families in Tamil Nadu and will make the cities/towns slum free before 2023. Under this programme, housing and infrastructure would be provided to all urban slum families in Tamil Nadu at a cost of Rs. 65,000 crore.

Our Tamil Nadu Government had planned to implement the construction of houses for the slum families and urban poor in 666 towns in Tamil Nadu during 2015-2022 under 'Housing for All Mission'.

I am once again thankful to the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and hon. Minister for approving the inclusion of 191 towns in this programme under phase-1 during this current fiscal year.

I would also request through you Madam to the hon. Minister to immediately release the pending amount for the Tamil Nadu Housing and Slum Clearance Schemes. I would also congratulate the NDA Government led by our hon. Prime Minister who is always thinking and working to provide better and quality life to the poorest of the poor and thereby adhering the famous slogan '*Elayin siripil iravanai kaanpom*'. The meaning of this slogan is that we can see the God by having a smile on the face of the poor. My AIADMK party's great leader and former Chief Minister of Tamil Nadu Annadurai has pronounced this slogan. Our Prime Minister enlightened the lives of the poor. Now, the Delhi people are praising our Prime Minister as a God.

Keeping in view the socio-economic conditions of the residents of these unauthorised colonies in the nation's capital, it is the need of the hour to consider positively and to pass this Bill.

Accordingly, I support this Bill. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Madam Chairperson for affording me this opportunity to take part in the discussion on a very important Bill as far as Delhi is concerned.

Madam, it is a very belated Bill but I fully agree with the Government. It is 'better late than never'. But when we draft a Bill and present the Bill before the House, the Bill should be *pucca* and it should be a foolproof Bill that should give benefit to the poor people of the Delhi's unauthorised colonies.

Sir, first of all, I would like to state that the Bill is hurriedly drafted. It is ill-drafted. Scrutiny has not been done of the contents of the Bill. I am not going into the politics of Delhi between Aam Aadmi Party, BJP and other political parties. I am fully confining to the particular Bill. I support the spirit of the Bill. Since it is providing the ownership and titleship to the poor residents in unauthorised colonies; I fully support it. There is no doubt about it. But at the same time, election is coming to Delhi very soon. You have hurriedly drafted a Bill by which the legitimate right is going to be conferred. Whether this legitimate right can be conferred upon the poor people is the question which I would like to ask the hon. Minister.

I am fortunate, Madam, you are there in the Chair. As a very eminent lawyer of the Supreme Court, I feel, you can very well understand this, Madam. What is actually the Bill? Clause 3(1) of the Bill says, 'notwithstanding anything contained in the Indian Stamp Act of 1899, Registration Act of 1908 and also the Income-tax Act of 1961..'. Three Acts are exempted because the notwithstanding provision is there. Also, the Supreme Court judgement in *Suraj Lamp & Industries Private Ltd., Vs. State of Haryana* has also been

overruled. It is overriding the dictum of the Supreme Court judgement. These are the four things we are exempting.

But what is the law by which transfer of property is taking place in our country? The basic law relating to the transfer of property is the Transfer of Property Act. Transfer of property, mortgage, agreement for sale—all these transactions basically come within the purview of the Transfer of Property Act. The Transfer of Property Act is still there. How can you transfer a property, without having a registered document, to a particular person or without complying with the provisions of the Transfer of Property Act? How can you confer a title upon a person? That is why, I am saying that if your intention is *bona fide*, if you want to give due benefit to the poor people of Delhi, who are residing in the unauthorised colonies, then it should be a foolproof legislation. To my limited knowledge of law, I feel or I apprehend that this is lacking. There are so many legal provisions lacking in this Bill so as to give the due benefit to the poor people.

Also, I would like to say that you are overriding all these provisions. Coming to registration, registration is mandatory and compulsory. Registering a document is *pucca*. What is a sale, what is a mortgage, what is an agreement for sale—all these things are defined in the Transfer of Property Act. It is not only in the Stamp Act, not only in the Registration Act, not only in the Income-tax Act but it is there in the Transfer of Property Act also. The Income-tax Act is regarding exemption from the income tax. That is all. But what about the provisions of the Transfer of Property Act by which all the transfers are taking place? That is why, I am saying that it is confusing; it is complicated; and most of the provisions are contradictory also. So, the hon. Minister can kindly have a re-look into the provisions of the Bill whether this Bill will give fruitful benefit to the residents of Delhi or not. That is the first point which I would like to make.

The second point which I would like to make is regarding Clause 3 of the Bill. Kindly have a reading of that. Clause 3, Sub-clause (2) says, “The Central Government may, by notification published in the Official Gazette, fix charges on payment of which..”. ‘Of which’ means what? ...*(Interruptions)* Madam, I am not entering into any political debate. Something is missing in that provision. I think whether it is language-wise or whatever may be, this Section leads to nowhere because if you go through the entire Section—I have no time to substantiate it—something is missing because the wording is, ‘the Central Government may, by notification published in the Official Gazette, fix charges on payment of which..’. ‘Which’ means what? Is it that the property which has been transferred? Or, is it that the property which has been mortgaged? Nothing is there. Something is missing in the provision. If you go through the entire Section, it reads further, ‘transactions of immovable properties based on the latest..’. This is everywhere. So, there also what I am saying is that it is ill-drafted and hurriedly drafted; and no thorough and in-depth scrutiny has been done in drafting the Bill. That is why, I am saying that this matter has to be re-looked. Otherwise, the Minister is so confident and convincing that this Bill will stand in law and it is a valid law. Kindly enlighten the House whether the arguments which have been advanced are wrong. The third point is regarding physical possession. You want to provide a title upon a person. What is the definition of ‘resident’ given in the Bill?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Madam, I may be allowed some time because I am not making any political speech. We are drafting a law and in the legislative process, we have to spare some time.

Madam, ‘resident’ means, a person having physical possession of property on the basis of a registered sale deed or the latest Power of Attorney. Yes, I do admit it. But, suppose I am the rightful owner of my

property and I have leased my house to a tenant on rent. I do not have the physical possession. That means, those who do not have the physical possession, but absolute right, will not be entitled to get a right over the property.

Please also refer to clause 3 of the Bill.(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Madam, I would like to urge upon the Minister to kindly look into the contents of the Bill. There are many legal lacunae, which have to be rectified.

Once I would like to support the spirit of the Bill whilst the people who are residing in the unauthorized colonies are getting their title rights either by mortgage or by transfer or by any other documents or by means of Power of Attorney.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to participate in the discussion on the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019.

Madam, this is not the first time that the ownership rights of unauthorised colonies are being given to its residents. Our hon. former Chief Minister, Dr. Kalaignar Karunanidhi constituted the State Slum Board and handed over the houses to the slum dwellers.

The Bill to give ownership rights to the dwellers of unauthorized colonies is a right step to help the poor. Though it was the election promise of Aam Adami Party, the Bill has been introduced by the BJP Government at the Centre. But the credit goes to Aam Adami Party. Anyhow we have to help the people on the streets.

The property right is for 1,731 unauthorized colonies. Still there are thousands of such colonies. The Government should take steps to consider remaining colonies also.

Apart from giving the property right, the basic amenities like water, light, sewerage system should also be given to these colonies in consultation with the State Government.

A lot of migrant workers come to Delhi in search of employment. They do not have proper shelter to live in. They stay on roadsides and railway platforms. The Government should consider a plan to provide them proper land or shelter.

The Centre has identified many smart cities all over India. Proper hygiene and cleanliness in these smart cities should be maintained. The Centre in consultation with the State Governments should consider to

regularise all illegal colonies in these cities because more than 30 per cent of our population live in slums in unhygienic environment. Thank you, Sir.

श्रीराममोहननायडूकिंजरापु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया । सबसे पहले, मसूदी जीने जो बात कही, उसे मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि दिल्ली देश का दिल है । किसी शरीर के लिए, अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह से उसके दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए भी एक स्वस्थ दिल्ली का होना बहुत जरूरी है । पिछले हफ्ते भी हमने दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में एक अच्छी और गम्भीर चर्चा की । यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । गरीब लोग जो दिल्ली की अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन्हें बहुत सालों से जो समस्या हो रही थी, उसे ठीक करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी एक अच्छा बिल लेकर आए हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ ।

इसमें दो-तीन बातें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी । वैसे तो बहुत सारी राजनीतिक बातें भी यहां हुईं, उन्हें हमें दिल्ली वालों के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि elections are also nearby. वही देखेंगे कि किसके साथ हैं, किसको पसंद करते हैं, किसने क्या किया, यह सब चुनाव में हमें पता चल जाएगा । हमारा मकसद यह है कि सिर्फ रेग्युलराइज नहीं करना है । It is not just regularising the unauthorised colonies. हमें यह भी देखना है कि और किस तरह से जो उनका सुविधाएं हैं, उनका जो बाधाएं हैं, उन सबको कैसे ठीक करें ।

दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां देश के कोने-कोने से लोग काम करने के लिए आते हैं । मेरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम है । It was also very surprised to know that there are lakhs of people from Srikakulam who are residing in Delhi. दिल्ली ऐसी जगह है, जो सबको खींच कर लेकर आती है । एक नयी जिंदगी का सपना दिखाकर, एक नये रास्ते की खोज में बहुत से लोग यहां आते हैं, काम करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं । उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उनका अपना एक मकान हो । मकान सिर्फ इसलिए नहीं कि कहीं धूप हो या बारिश हो, उसके अंदर रहने के लिए नहीं है, एक मकान होने से उनकी काफी सारी समस्याओं का समाधान उनको मिलता है । मकान होने से उनको लोन लेने का एक मौका मिलता है । मनोज तिवारी साहब बोल रहे थे कि शादी भी इससे जुड़ा हुआ एक मामला है । इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर जो गरीब लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आते हैं, उनके लिए मकान एक बहुत जरूरी मामला है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज यहां पर हैं और जिस तरह से वे बनी हैं, तो हमें यह भी नजर में रखना पड़ेगा कि ये अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज अनप्लान्ड कॉलोनीज भी हैं । यहां पर बहुत सारी सुविधाएं बाद में देने के लिए भी बहुत काम हमें करने पड़ेंगे । उन कॉलोनीज में स्मार्ट पाइपलाइन हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, फायर सेफ्टी हो, ग्रीन कवर हो, ये सब इन कॉलोनीज तक पहुंचाने के लिए एक सख्त प्लान बनाने की भी बहुत जरूरत है । हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये बिल लाए हैं । ये कॉलोनीज तो अभी बंद नहीं होंगी । लोग दिल्ली आते रहेंगे और यह प्रॉब्लम कंटीन्यू होती रहेगी । Urbanisation is a process which we are seeing not just in Delhi but in all the cities across the country. When this urbanisation is happening at such a high level, this is going to continue. अगले साल भी लोग दिल्ली में आएंगे, अगले साल भी इस तरह से अन-ऑथराइज्ड कॉलोनीज बनेंगी, तो उनका हम क्या करेंगे? उसके लिए और पांच साल के बाद जब चुनाव आएगा, तब एक और बिल लेकर आएंगे । ऐसा कर जिस्टर बना कर रिकोग्राइज करेंगे या अभी से हम उनके लिए हाउसिंग का एक प्लान बनाकर सोचने का काम करेंगे । मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो आगे का समय है, उसमें हम यह ध्यान रखें कि कितने इमीग्रेंट्स यहां आते हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों से काम की तलाश में आते हैं, कौन यहां से ट्रेवल करके, कम्प्यूट करके बाहर भी जा सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग करके हाउसिंग की एक प्लानिंग दिल्ली में होनी चाहिए ।

Other than that, I think that there should be a proper dispute redressal system here also. These are some of the points which the other hon. Members also mentioned. It is because we are regularising them on the basis of documents which are not recognised by the Government. These are all unrecognised documents which are probably written by hand, signed by some people, etc. So, unless we have some proper dispute redressal system, this might lead to a lot of litigations and cases where it will become a lawyers paradise. The whole reason we are bringing this Bill is that it gets settled through a proper redressal system.

मानलीजिएकि कोइरेंटपररहरहाहै ।मकानकिसीऔरकेनामपरहै, जोभीडाक्यूमेंटहमदेखतेहैं, उसमेंमकानकिसीऔरनामपरहैऔर 30 सालसेकोईऔरबंदावहांपररहरहाहै, तोhow do we address that? अगरवहांपरकोईसमस्याआतीहै, तोकौनदेखेगा? हमनेएकतरहसेअधिकारआफिसर्सकोदिएहैं, but that will also lead to the problem of corruption. This is not just one issue. Many a time we have seen that when we give such powers to the officers, there is a door which opens for corruption also. So, we have to take care of that.

One important issue that I wanted to mention is that, other than the problem of redressal system there is a problem with urban planning. There are many Departments within this urban planning. कभीभीहमेंएक्सेप्टेंसयाअप्रूवलचाहिएहोताहै, तोइनसबकेलिएएकसाथमिलकरकामकरनेकाएकप्रॉपरसिस्टमहोनाचाहिए । Otherwise it is very difficult. हमकईबारकामकरतेहैंऔरदेखतेहैंकिफायरसेफ्टीकाकुछकामरहगयाहै, प्लानिंगयासेटबैक्स, इसमेंबहुतसारीचीजेंआतीहैं ।इसकेलिएएकस्पेसिफिकबॉडीहो, जहांसेइनसबचीजोंकाअप्रूवलमिले । Then it makes it much easier to do some kind of planning ahead also. Other than this, I would like to appreciate the efforts that the Government is putting right now and I will also have to put it on record that the State Governments – present and the previous – have also done their part. राजनीतिकीबातेंकमकरकेहमसभीकोमिलकरकामकरनाचाहिए, जोपीड़ाहै, जोसमस्याहै, उसकोकिसतरहसेहलकरें, उसबारेमेंचर्चाकरनीचाहिए । I appreciate all the speakers who have spoken on this. Thank you, Madam.

श्रीहनुमानबेनीवाल(नागौर):

सभापतिमहोदय,सबसेपहलेमैंआपकोधन्यवाददूंगाकिआपनेराष्ट्रीयराजधानीराज्यक्षेत्रदिल्ली(अप्राधिकृतकालोनीनिवासीसंपत्ति 2019परबोलनेकाअवसरदिया ।इसबिलपरमहत्वपूर्णचर्चाचलरहीहैऔरअभीपूरादेशदेखरहाहै ।पिछलेतीस-चालीससालोंसेइनअनधिकृतबस्तियोंकोलेकरदिल्लीमेंहमेशासेआंदोलनहोतेरहेहैं । दिल्लीकेअंतिमछोरपरबैठागरीबआदमीजोबिहार,उत्तरप्रदेश,राजस्थानऔरपश्चिमबंगालसेयहांआकरअपनाजीवनयापनकरत लेकिनआजभीउसकोअधिकारनहींमिलाकिवहदिल्लीकावासीहै ।

प्रधानमंत्रीजीकीबहुतबड़ीसोचहै । प्रधानमंत्रीआवासयोजनामेंगांवकेअंदरलगभगएककरोड़मकानस्वीकृतकिएहुए,सताईसलाखबनाकरदेदिएऔरपचासलाखसे ।दिल्लीमेंहरबारचुनावीनारालगताथा । जबदिल्लीकाचुनावआताहै,अनधिकृतरूपसेसरकारीजमीनयादूसरीजमीनपरकॉलोनियांबसगईहैं,हमउनकोहकदेंगे । हमनेलगातारकईसरकारोंकोदेखा,पच्चीस-तीससालोंसेदेखरहेहैंलेकिनकिसीनेहिम्मतनहींकीकिउनगरीबोंकोनियमनकाअधिकारमिले,उनकेबच्चोंकोसारेराइट्समिले ।वहअपनेघरपरलोनलेसकें,अपनाकामकरसकेंऔरसरकारीयोजनाकाफायदालेसकें ।मैंप्रधानमंत्रीजीकोधन्यवाददूंगा । शहरीविकासमंत्रीहरदीपसिंहजीकोधन्यवाददूंगा।...(व्यवधान) तैयारहोकरआगएक्या ।

माननीयसभापति : हनुमानजी, आपइधरएड्रेसकीजिए ।भगवंतमानजीआपबैठजाइए ।आपसमेंबातमतनहींकीजिए । मैंआपकापूराध्यानरखतीहूँ ।

...(व्यवधान)

श्रीहनुमानबेनीवाल: सभापतिमहोदय, आपकी पार्टी तो दिल्लीके बाहर नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं, केवल दिल्ली तक ही सीमित है ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमानजी, आप इधर देखकर बात कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्रीहनुमानबेनीवाल : सभापतिमहोदय, 'आप पार्टी' जैसी तो हमारी खुदकी पार्टी है, हम खुद पार्टी लेकर घूम रहे हैं ।... (व्यवधान)
मानसाहब ।

माननीय सभापति: हनुमानजी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए ।

... (व्यवधान)

श्रीहनुमानबेनीवाल : सभापतिमहोदय, मैं ही आपको मिला, सुबह से इतने लोग बोल रहे थे । मैं प्रधानमंत्रीजीको धन्यवाद दूंगा ।
दिल्लीमें अंतिम छोर पर बैठे देशके गरीब, जवान और किसानकी चिंतानिश्चितरूपसे है । विपक्षवाले दो-
तीन दिन से इसलिए ज्यादा राजी हो रहे हैं कि दो-तीन उप-
चुनाव जीत गए और महाराष्ट्रके अंदर हमारी शपथ होगी, महाराष्ट्रके अंदर पूरा का पूरा मिक्स वेज बना दिया है ।
क्या होगा, कोई बहुत ज्यादा थोड़े होगा । इसपर ज्यादा खुश होनेकी आवश्यकतानहीं है ।
वर्ष 2024 तक का पट्टा प्रधानमंत्रीजीको देशकी जनताने देखा है ।
2024 तक आप कितना भी कुछ कर लो, बॉयकाट कर लो या बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़नेवाला ।
हम आपको सुनते हैं और आप हमें सुनो । इसमें कितना आनंद आता है ।
इस विधेयकसे दिल्लीकी तमाम कॉलोनिआंजिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, प्रधानमंत्रीजीको चालीस लाख लोग दुआ देंगे ।
लोग हमेशा वोटके लिए घोषणा पत्र लेकर आते हैं, लेकिन अनाधिकृत बस्तियोंको नियमित कि सीने नहीं किया ।
माननीय प्रधानमंत्रीजीको गरीब लोगोंकी बहुत दुआएं लगेगी ।

इस बिलके माध्यमसे अनाधिकृत कालोनियोंमें रहनेवाले लोगोंको सरकारी सुविधाओंका लाभ मिलेगा ।
वेमकानोंकी रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंकसे लोन ले सकेंगे । इससोचके साथ सरकार यह बिल लेकर आई है ।
इस बिलके तहत संपत्तियोंका पंजीकरण और स्टाम्प शुल्कमें रियायत मिलेगी ।
ऐसी कालोनियोंमें विकासके लिए मौजूद अवसरचना और जनसुविधाओंको भी बेहतर बनानेका फैसला लिया गया है ।

आज हर आदमी शहरकी ओर भाग रहा है । इसका सबसे बड़ा कारण रोजगारकी तलाश है । गांव खाली हो रहे हैं,
यह चिंताका विषय है । हमारे गांवकी आबादीमें से काफी लोग शहरोंमें आकर बस गए हैं ।
वे दिल्लीके बाहरी क्षेत्रोंमें कि सी नगरपालिका क्षेत्र यानगर परिषद क्षेत्रमें रोजगारकी तलाशमें आते हैं ।
यह सरकार बेरोजगारीके ठोस समाधानके लिए भी निश्चितरूपसे काम करेगी । 70 सालके गड्डे 10-15 सालमें नहीं भरे जाएंगे ।

इस निर्णयसे 175 वर्ग किलोमीटरमें फैली 1797 अनाधिकृत कालोनियोंका नियमन होगा ।
सरकार गरीबके हितोंके लिए बहुत बड़ा काम उठार ही है ताकि देशके प्रत्येक शहरमें झुग्गी-झोपड़ीमें रहनेवाले लोग मूलधारा से जुड़ें,
उनका विकास हो, उन्हें हर अधिकार मिले, जिसकी परिकल्पना संविधाननिर्माताओंने की थी ।
इससोचके साथ माननीय मोदीजीके नेतृत्ववाली सरकार यह बिल लेकर आई है । हम सबको इस बिलका समर्थन करना चाहिए ।
आज जब बिल दिल्लीमें आ गया है तो देशके तमाम महानगरों, नगरपालिकाओं और नगर परिषदोंके क्षेत्रोंमें,
जिनका नियमन नहीं हो रहा है, काम अटके पड़े हैं, उन सब व्यक्तियोंके मनमें एक आस और उम्मीद जग गई है कि हमें भी घर मिलेगा ।

मैं माननीय प्रधानमंत्रीजीको बार-बार धन्यवाद दूंगा ।

माननीय मंत्री हरदीपसिंहपुरीजीने बहुत अच्छी सोच जाहिर की है और इस बिलको बनानेमें बहुत समय लगाया है ।
मैंने माननीय प्रधानमंत्रीजी,

माननीयमंत्रीजी और तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे साथियों ने विरोध नहीं किया और कहीं नहीं अपनी बात रखी ।

इस बिल के पास होने से अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को अच्छे स्कूल, अस्पताल, रहने की जगह और अच्छी आबो हवा की सुविधाएं मिलेंगी । दिल्ली के पर्यावरण को लेकर चिंता की गई, प्रदूषण को लेकर चिंता की गई और अब अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने का जार है । यह बिल ऐतिहासिक है, आर एल पी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है । धन्यवाद ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

(पश्चिमी दिल्ली):

माननीय सभापतिजी, मैं आज बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार दिल्ली के लाखों गरीबों को सपने को पूरा करने का जार है । मैं अपनी सरकार के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदीजी, माननीय मंत्री हरदीपपुरीजी, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजलजी, देश में कितने लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं, पतान नहीं, लेकिन कम से कम आधी दिल्ली देख रही है कि मेरे ऊपर जो अनाधिकृत का धब्बाल

इस बिल का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 है । यह पीएम उदय योजना के अंतर्गत अनऑथोराइज्ड कालोनीज़ इन दिल्ली आवास अधिकार योजना है । ऐसे लाखों लोग दिल्ली में इन अनऑथोराइज्ड कालोनियों में पैदा हुए और इन मकानों में ही मर गए । मगर उनको यह दिन कभी देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मेरा मकान भी आज पक्का हो गया है । पूरा भारत यहाँ पर रहता है । देश में ऐसी कोई भी पार्लियामेंट की कांस्टिट्यूटर्स नहीं होगी, जिसके हजारों लोग दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहते हों । इसलिए यह केवल दिल्ली के सांसदों के लिए ही नहीं, बल्कि आज पूरे पार्लियामेंट के हर मेम्बर के लिए खुशी की बात है । आपकी कांस्टिट्यूटर्स के जितने लोग दिल्ली में नागरिक के रूप में रहते हैं, आज सभी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने बिना यह देखे कि वह हिन्दू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बिना यह देखे कि वह कौन-सी जाति से आया है । ... (व्यवधान) आज प्रधानमंत्रीजी ने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा सच करके दिखाया है । मैं दोलाइनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ- "इतिहास ने ढाए हैं जो जखम दिल्ली पर, उसको मिटाना है । बहुत देखे हैं हमने मुगल, तुगलक और अंग्रेज, अब इस दिल्ली को रामराज्य दिखाना है ।" प्रधानमंत्रीजी दिल्ली को रामराज्य दिखाएं, दिल्ली में हर आदमी के पास अपना मकान हो, अपनी छत हो ।

मेरे से पहले यहाँ दयानिधि मारनजी, गोस्वामीजी, दानिशजी बोल रहे थे, मैं समझता हूँ कि अभी भी सांसदों को यह नहीं पता कि अनधिकृत कॉलोनी विषय क्या है? मैं आपको थोड़ा-सा उसकी बैकग्राउंड में ले जाता हूँ ताकि आपको विषय समझ में आए । एक सीधी बात है कि अगर आप 2014 में दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक साल के अंदर कॉलोनियों को पास कर देंगे । आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, हमने विधान सभा चुनाव में कहा था कि हम कॉलोनियों को पास करेंगे । मगर, भारत सरकार ने लोक सभा के मैनिफेस्टो में यह कभी नहीं कहा, क्योंकि यह विषय भारत सरकार का कभी नहीं था, यह विषय दिल्ली सरकार का था, जिसके ऊपर दिल्ली की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की ही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की ही हो, हमेशा ये सरकारें राजनीति करती आई हैं । अनधिकृत कॉलोनी है क्या? वर्ष 1947 में दिल्ली में केवल 17 लाख की जनसंख्या थी । आज दिल्ली की ढाई करोड़ जनसंख्या है । जब लोगों ने यहाँ आना शुरू किया, डीडीए 1962 में कांस्टिट्यूट हुई, 1957 में एक्ट बना, मगर उसके बीच में लोग कहां जाते, वे अपना मकान कहां बनाते, दिल्ली में लोगों को मकान देने का हक डीडीए का था । उस समय डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली में कोई प्लानिंग नहीं की, दिल्ली के लोगों को कोई मकान नहीं दिया । देश के हर कोने-कोने से लोग आए, चाहे वह बिहार से आया हो, चाहे पार्टिशन के बाद, जिनको पाकिस्तान में जगह नहीं मिली, वह दिल्ली में आया हो । जम्मू-कश्मीर में वहाँ के पंडितों को वहाँ की सरकार ने जिंदा जलाकर उनको कश्मीर से निकाल दिया,

उसने दिल्ली में आकर अपना घर बनाया, जब पंजाब में आतंकवाद की जड़ें फैल रही थीं, वहां के लोगों ने दिल्ली में आकर अपना घर बसाया । अगर डीडीए उनको घर नहीं देती तो वे अपना मकान कहां बनाते । बिहार के लोग जो अपनी बीबीका, अपनी मां का गहना बेचकर, वहां की अपनी जमीन बेचकर दिल्ली में अपना घर बनाते हैं, वे कहां से घर बनाते । यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग आकर यहां मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं, मोची का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, वे यहां पर दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी बनकर आए हैं, आज अगर उनको यहां पर मकान दिया गया है तो इसके लिए मैं दिल्ली के 360 गांव के लोगों को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि दिल्ली में 360 गांवों के लोगों ने सारी कॉलोनियों को मकान दिया, उन्होंने गरीब लोगों को मकान दिया । हजार-हजार रुपये गज में अपनी जमीन बेचकर उन्होंने वहां पर लोगों को मकान बनाने का स्थान दिया । मैं दिल्ली के उन गांवों को बधाई देना चाहता हूँ । मगर, सरकार ने क्या दिया? ये जो कॉलोनियां बनी हैं, ये पचास साल से बनी हुई हैं । ये कॉलोनियां पचास साल से दिल्ली में बसी हैं । ... (व्यवधान) जिस कॉलोनी में सड़क नहीं है, जिस कॉलोनी में पानी नहीं है, जिस कॉलोनी में सीवर की लाइन नहीं है, नाली नहीं है, आप सभी माननीय सदस्य सोचकर देखिए कि 60 लाख आदमी दिल्ली में बिना पानी, सीवर, नाली, सड़क के कैसे रहते होंगे? वहां कोई सड़क नहीं है, वे लोग कैसे रहते होंगे । आज वे सारे काम हो रहे हैं । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Bhagwant Mann, sit down.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, you cannot interrupt. Please sit down.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

मुझे से पहले बहुत से सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार को अलग से फण्ड देना चाहिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि उन अनधिकृत कालों में उन कालोनीज में मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर कोई पैसा लगा सकता है तो वह दिल्ली की सरकार लगा सकती है । यहां पर कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे, मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया और उन्होंने 15 दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थीं । भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा मौकाना ही मिला कि भारत में भी हमारी सरकार हो और दिल्ली में भी हमारी सरकार हो । कांग्रेस ने दस साल दिल्ली में भी राज किया और भारत में भी राज किया, मगर आज वे हमसे यह कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो आप कालोनी । आपके समय में भी तीन-चार चुनाव आए, दिल्ली में भी आप थे, भारत में भी आप थे, तो आपने कालोनी क्यों नहीं पास की? यह हमारा सौभाग्य है, यह काम मेरे मोदी ने कर दिखाया । ... (व्यवधान) बड़े-बड़े मुद्दे जिनको सालों से कोई भारत सरकार नहीं सुलझा पाई, उसे मेरे प्रधानमंत्री जी ने सुलझाए हैं और चुटकी में सुलझाए हैं । अनुच्छेद 370 खत्म किया, कोई दंगाना नहीं हुआ । श्री राम मंदिर बन रहा है, मेरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बन रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई । अनुच्छेद 35 ए हटा, कहीं कुछ नहीं हुआ, ट्रिपल तलाक हटा । ऐसे 200 से 300 साल पुराने मुद्दे मैं समझता हूँ कि अनथराइज्ड कालोनीज के बारे में अगर यहां पर बैठा हुआ एक भी सांसद इसका विरोध करेगा तो उसे शर्म आनी चाहिए । उसे 100 फीसदी बोलना चाहिए कि मैं इसका समर्थन करता हूँ । क्यों कोई इसका विरोध करे? ... (व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का ऐसा आखिरी चुनाव होगा । ... (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए । ... (व्यवधान) मुझे खुशी है कि यह दिल्ली का आखिरी चुनाव होगा, जिसमें अनधिकृत कालोनीज का मुद्दा इसके बाद शेष नहीं रहेगा । ... (व्यवधान) हमने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए कि आप एक-एक काम के ऊपर बीस-बीस साल सरकार बना सकते थे । मेरे मोदी ने एक ही कार्यकाल में ऐसे काम कर दिए, मेरी सरकार ने ऐसे काम कर दिए । ... (व्यवधान)

श्री भगवंतमान (संगरूर): मैडम, क्या मोदी जी मेरे नहीं हैं? ... (व्यवधान)

17.00 hrs

माननीयसभापति : मानसाहब, आपअपनीसीटपरजाकरबैठिए ।मोदीजीआपकेभीहैं, बिल्कुलहैं । आपअपनेभाषणमेंकहिएगा ।वहआपकेभीप्रधानमंत्रीहैं ।आपअपनीसीटपरबैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीयसभापति : मानसाहब, आपबैठिए ।प्लीजआपबैठिए ।वहआपकेभीप्रधानमंत्रीहैं ।आपअपनेभाषणमेंकहिएगा । आपभीक्रेडिटलीजिएगा ।उनकेकामकाक्रेडिटआपभीलीजिएगा ।

...(व्यवधान)

श्रीप्रवेशसाहिबसिंहवर्मा: मोदीजीदेशके150करोड़लोगोंकेप्रधानमंत्रीहैं,किसीएककेप्रधानमंत्रीनहींहैं ।

माननीयसभापति : बिल्कुलठीकहै, आगेबोलिए ।अबआपअपनीबातखत्मकीजिए ।

श्रीप्रवेशसाहिबसिंहवर्मा : मैडम,जबलोगोंनेआकरमकानबनाया ।...(व्यवधान)
मैंयहभीबतानाचाहताहूँकिइसमेंदोकैटेगरीजबनाईगईहैं – प्राइवेटलैण्डऔरगवर्नमेंटलैण्ड ।अबयहगवर्नमेंटलैण्डकैसेहुई?
आपयहसोचरहेहोंगेक्यासरकारनेगवर्नमेंटलैण्डकेऊपरलोगोंकोमकानदेदियाफ्रीमें?
क्यासरकारीजमीनकेऊपरजोमकानबनेहैं, वेभीदेदिए? यहसरकारकीजमीननहींथी ।अंग्रेजोंनेजोकानूनबनायाथा,
उसमेंसेक्शन 33 औरसेक्शन 81 थे ।जबहमाराकिसानबाहरसेआएलोगोंकोमकानदेताथा, वहांपरप्लॉटकाटताथा,
तोसरकारअंग्रेजोंकेबनाएकानूनकीसेक्शन 81 लगाकरउसजमीनकोसरकारीजमीनघोषितकरदेतीथी ।
इसतरहसेवहसरकारीजमीनबनतीथी, सरकारउसकामुआवजाभीनहींदेतीथी ।वहजमीनआजभीप्राइवेटलैण्डहै ।
जोदोकैटेगरीजबनाईगई- प्राइवेटलैण्डऔरसरकारीलैण्ड, वहसरकारीलैण्डनहींहै, वहओरिजिनलीकिसानकीजमीनहै,
जिसेसरकारनेअपनेकब्जेमेंलेलियाथा ।इसलिएजो 100 मीटरकाप्लॉटहै, अगरवहप्राइवेटलैण्डकेऊपरहै...(व्यवधान)
सबकहरहेहैंकिफ्रीकरदो, फ्रीकरदो ।क्यादिल्लीकेलोगोंकोस्वाभिमानीनहींबनानाहै? क्याबिजली-पानीके...
*वायदेकरकेहमसबकोभिखारीबनानाचाहतेहैं? मैंकहनाचाहताहूँकिअगरउस 100 मीटरकेप्लॉटकामेरीसरकार 2900
रुपयेलेरहीहै, ...(व्यवधान) मेरीसरकारअगर 2900 रुपयेलेरहीहैतोवहगरीबजनताकोस्वाभिमानीबनारहीहै ।...(व्यवधान)

माननीयसभापति: भगवंतमानजी,आपबैठिए ।जबआपकीबारीआए,तबबोलिएगा ।बीचमेंइंटरप्टमतकीजिए ।

श्री	प्रवेश	साहिब	सिंह
वर्मा :कुछलोगोंकास्वाभिमाननहींहोता,मगरमेरीसरकारदिल्लीकेगरीबलोगोंकोस्वाभिमानीकररहीहै,ताकिएकबापअपनेबेटेके ।यहकाममेरेप्रधानमंत्रीनेकरकेदिखायाहै ।...	(व्यवधान)		जैसेमेरेपहलेकॅलीगसनेबोला, मैंदिल्लीकीजनतासेकहनाचाहताहूँकिआजकेजरीवालजी, दिल्लीकेमुख्यमंत्रीसभीकोकहरहेहैंकिजल्दीसेरजिस्ट्रीशुरूकरो । वहयहदिखानाचाहतेहैंकिइसमेंमेराभीकोईसाथहै, योगदानहै ।एकभीयोगदाननहींहै, आजअगरलोगोंकोरजिस्ट्रीकोईदेगातोवहडीडीएदेगा, भारतसरकारदेगी ।...(व्यवधान)

श्री भगवंतमान (संगरूर):डीडीएकिसकीहै?... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:आपकोकुछपताहीनहींहै,बसबोलतेजातेहो ।डीडीएभारतसरकारकीहै ।आपबैठजाओ ।... (व्यवधान)

माननीयसभापति : भगवंतमानजी,आपबैठजाइए,यहआपकोआखिरीवार्निंगहै ।यहांसेआपकोवार्निंगदीजारहीहै । अबआपउनकोअपनीबातखत्मकरनेदीजिए ।जबआपकीटर्नआएगी, तबआपबोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री	प्रवेश	साहिब	सिंह
वर्मा :मैंयहकहनाचाहताहूँकि15सालशीलादीक्षितजीनेराजकिया,मगरउन15वर्षोंमेंऔरपिछलेपांचवर्षोंमेंदिल्लीमेंकोईनयाकॉलेज नयाहॉस्पिटलनहींबना ।आपसभीकोजानकरबड़ीहैरानीहोगीकिपिछले20सालोंमेंकोईनयाकॉलेजनहींबना,			

कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, नया हॉस्पिटल नहीं बना ।
 अगर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी तो 1993 से 1998 तक जो हमारी सरकार थी, उसमें यूनिवर्सिटी बनी थी ।
 मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1996 में एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल डाली कि सारी अनथराइज्ड कालोनीज बन रही हैं,
 इनको तोड़ दिया जाए । उस समय,
 1996 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि क्यों न सारी अनधिकृत कालोनीज को तोड़ दिया जाए । दिल्ली में हमारी सरकार थी ।
 डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे,
 पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री अपनी दिल्ली की जनता का वकील बन कर हाईकोर्ट में गया और वहां उन्होंने खुद
 । उन्होंने कहा कि इन कालोनीज को मत तोड़िए, मैं आपको सारा रोड मैप बना कर दूंगा ।
 अगर दिल्ली में वे 25 लाख मकान दिल्ली अनधिकृत कालोनीज में आज भी खड़े हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से खड़े हैं
 ।

हमारी दिल्ली में 15 साल तक सरकार नहीं थी । आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है, उसने 15 साल पहले वाली...
 *अपनी सरकार बनाई । जब उनकी 28 सीट आई और हमारी 32 सीट आई,
 जैसे आज सिंगल लार्ज स्टार्ट मंहाराष्ट्र में होने के बाद भी हम विपक्ष में स्वाभिमान के साथ बैठे हैं, वैसे ही दिल्ली में भी विपक्ष में बैठे और
 28 सीट जीतने वाली पार्टी निजिस 15 साल की सरकार को... *बोलकर 28 सीटें जीतीं,
 उसके साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार दिल्ली में बनाई । इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ –

“जिसे... *कहकर खूब चिल्लाया
 सत्ता में आने के लिए उन्हीं से हाथ मिलाया
 हो सकता था जिन पैसों से दिल्ली का विकास
 वह पैसा विज्ञापनों पर लुटाया
 जिनको जिंदगी बदल देने का दिलासा दिया
 पांच साल में बस उन्हें जहरीली हवा और जहरीला पानी पिलाया ।”

आपने यह काम किया ।... (व्यवधान) मैं आपको और सदन को तथ्यों के साथ बतारहा हूँ कि आज यदि आईपीयूनीवर्सिटी बनी,
 तो मेरी सरकार ने बनाई थी ।... (व्यवधान)

श्री भगवंतमान: आप 'मेरी सरकार' क्यों कह रहे हैं?

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: आप क्यों मेरे से पंगाले रहे हो? मैं जाट हूँ, क्या आपको पता है?... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मिस्टर वर्मा, आप चेयर को देखकर अपनी बात कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अगर दिल्ली में यूनीवर्सिटी बनी थी, तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाई । अगर दिल्ली में कालेज बना,
 तो मेरी भाजपा सरकार ने बनाया । अगर दिल्ली में कालोनियों को टूटने से बचाया, तो मेरी सरकार ने बचाया ।
 आज 20 सालों से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : भगवंतमान जी, आप बीच में न बोलें ।

... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: मैट्रो बोर्ड 1996 में बना था और मैट्रो का पोरिशन एक्ट 1997 में बना था, जब दिल्ली में मेरी सरकार थी ।

17.07 hrs

अध्यक्षजी, जब मैट्रोका उद्घाटन हुआ, तब वाजपेयीजी प्रधानमंत्री थे |
 जितना दिल्ली में काम हुआ, वह मेरी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरी भाजपा सरकार ने करके दिखाया |
 मेरी सरकार ने देश में आयुष्मान योजना दी, लेकिन वह दिल्ली में लागू नहीं हुई |
 मेरी सरकार किसानों को एमएसपी योजना देती है, लेकिन दिल्ली के किसानों को वह योजना नहीं मिलती |
 मेरी सरकार, मोदी सरकार जब दिल्ली की अनऑथोराइज्ड कालोनियों को पास करती है, तो यहां बैठे कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कियहव |
 आप सभी को इस बात का समर्थन करना चाहिए कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को आथोराइज्ड जर्नल नहीं दे पाई, मगर दिल्ली में |
 लेकिन जो दिल्ली के बाशिंदे थे, वे आज भी अनऑथोराइज्ड हैं | ऐसा दिल्ली की सरकार ने करके दिखाया | मेरे प्रधानमंत्री ने...
 (व्यवधान) भगवंतमानजी के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के हजारों-करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया है,
 वैसे ही आज दिल्ली के करीब 60

लाख लोग सदन को बर्खास्त कर रहे होंगे कि सदन आज यह बिल पास कर रहा है और जब बिल राज्य सभामें पास हो जाएगा,
 तब मैं मिठाई लेकर आऊंगा और आप सभी को खिलाऊंगा कि आपने भारी बहुमत से इस बिल को पास किया | धन्यवाद |

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंतमानजी | माननीय सदस्य, पहले आप सीट पर जाएं | आपने बहुत टोका-टाकी की है |

श्री भगवंतमान : अध्यक्षजी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ | बात-बात पर 'मेरा प्रधानमंत्री' | क्या प्रधानमंत्री जी हमारे नहीं हैं |

माननीय अध्यक्ष : आप भाषण शुरू कीजिए |

श्री भगवंतमान : महोदय, अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के इस बिल का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ | मैं इस बिल के सपोर्ट में हूँ |
 मैं उसके सपोर्ट में हूँ | हालांकि मेरी... (व्यवधान) हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है | लेकिन 7500 करोड़ रु.
 वहां पर खर्च कर दिया लेकिन यहां पिछले 70 साल से पानी हीन नहीं पहुंचा था | जहां पर टैंकर माफिया था, ... (व्यवधान)
 तब तो कांग्रेस और इनकी, दोनों की थी | हमारी पार्टी की सरकार पिछले कुछ सालों से आई है |
 अब दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अरविंद के जरीवाल सरकार ने ऐसी कर दी कि एक जज का बेटा, एक डी.सी.
 का बेटा और एक रिश्तेवाले का बेटा एक बैंच पर बैठ कर तीनों पढ़ते हैं | ... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : 5 साल ड्रॉप-आउट हो गये थे | ... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : एक भी नया स्कूल दिल्ली में नहीं बना है |

श्री भगवंतमान : इस काम तलब इनको जानकारी हीन नहीं है | ...
 (व्यवधान) अरविंद के जरीवाल ने वह काम कर दिया जिसका इनको पता हीन नहीं है |
 हां, इनको दुख बहुत है क्योंकि दिल्ली नहीं जीत पाएंगे | अगली बार भी हम दिल्ली जीत रहे हैं | देखिए, ये मेरी-मेरी कर रहे हैं |
 दिल्ली इनकी नहीं है | ... (व्यवधान) दिल्ली अब इनकी नहीं है | राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं | ... (व्यवधान)*

सर, राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं | एमसीडी किसकी है? डीडीए किसका है? वह सब आपका है |
 आप रविदास जी का मंदिर तोड़ देते हैं | अरविंद के जरीवाल का कुसूर क्या है? ... (व्यवधान) राजधानी में इनके 3 एमएलए हैं |
 कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है | ... (व्यवधान) बिधूड़ी साहब, आराम से बैठिए |

माननीय अध्यक्ष :

सभी माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को बोलने दें और माननीय सदस्य से आग्रह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय क्या आप पोलि
 नहीं | तो आप इस विधेयक पर बोलिए |

श्री भगवंतमान : माननीय अध्यक्षजी, हमारी सरकार ने 20000 लीटर पानी फ्री कर दिया |
 16 लाख घरों का ज़ीरो बिल आया, तो किसने किया? नाजी, अरविंद, अरविंद | मतलब पूरी दिल्ली को इन्होंने देश समझ लिया |
 जो आता है, दिल्ली, दिल्ली | मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे | ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या बिल में जीतने-हारने का लिखा है?

श्री भगवंतमान : सर, जीत जाएंगे। लेकिन इनको चुपकरवाइए। इनसे दिल्ली चली गयी। इसलिए बस। दिल्ली में तीन सरकारें हैं। एमसीडी, डीडीए और अरविंद के जरीवाल।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिए। सीनियर माननीय सदस्य आपको ज्ञान देना चाहते हैं।

श्री राजीवरंजन उर्फ ललन सिंह

(मुंगेर):

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पर हम। दिल्ली सरकार के कार्यकलाप पर बहस नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली के कार्यकलाप पर बहस करनी हो तो उसके लिए अलग से समय तय कर दीजिए। डिबेट हो जाए।

कुंवर दानिश अली

(अमरोहा):

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ लेकिन पिछले तीन घंटे से यही हो रहा था, जो अब ये कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : हो रहा होगा। मेरी मौजूदगी में विधेयक के अलावा कोई शब्द बोला तो मैं अगले माननीय सदस्य को बुला दूंगा। आप बिल पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंतमान: अब मुझे मौका मिला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप भी शांति रहिए, इनको बिल पर बोलने दीजिए।

श्री भगवंतमान : मान्यवर, मैं बहुत बड़ा सैटरिस्ट हूँ, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूँ। मैं अपने आपको मानसाहब कहकर बुलाता हूँ। Charity begins at home. अगर मैं मानसाहब नहीं कहूँगा तो मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा।...(व्यवधान) मुझे यह बता दीजिए कि ये लोग अरविंद के जरीवाल को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? दिल्ली की कैबिनेट ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का बिल नवम्बर, 2015 में पास कर दिया था, तो अब तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया? यह अब आ गया, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्यादा जोर से मत बोलो, नहीं तो धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री भगवंतमान: सर, मेरा गला बहुत कमाल है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इसको जोर-जोर से दबा रहे हो, अगर यह कहीं टूट गई तो आप पर धारा-3 पीडीपी लग जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री भगवंतमान : मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह बिल अब क्यों आया, क्योंकि चुनाव है। राहत इंदौरी का एक शेर है, मैं वह कहकर बैठ जाऊंगा।

सर हद पर तनाव है क्या,

पता करो,

चुनाव है क्या?

श्री मतीमीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली):

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है।

प्रजासुखेसुखम्राजा, प्रजानांचहितेहितम्,

नात्मप्रियमप्रियमराजा, प्रजानामतुप्रियमप्रियम ।

यानी, प्रजाकेसुखमेंसरकारकासुखहैऔरप्रजाकेहितमेंसरकारकाहितहै । प्रजाकोजोप्रियहै, वहीसरकारकोप्रियहै । यहबिलसहीमायनेमेंजनताकोप्रियहै, वहीकामसरकारकररहीहै ।

अध्यक्षजी,

‘सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय’, इससिद्धांतकोलेकरहमारीसरकारऔरखासतौरपरमानसाहबकेप्रधानमंत्रीश्रीनरेन्द्रमोदीजीका । जबकच्चीकालोनीकीबातआतीहै, तोमुझेवेसबबैंककेखातेभीयादआतेहैं, जोकि‘जन-धन’केमाध्यमसेइनकॉलोनीजमेंखुले । मुझेवेगैसकनेक्वॉसभीयादआतेहैं, जोबहनोंकोदिगाए । मुझेवेतमामवादेयादआतेहैं, जोप्रधानमंत्रीरिलीफफंडकेमाध्यमसेहमनेयहांकेलोगोंकोराहतपहुंचाई, लेकिनहमलोगमकानकाअधिकारनहींदेपाए । जबमकानकेअधिकारकोलेकरबातआतीहै, तोमुझेयहभीयादआताहैकिइनअनऑथराइज्डकालोनीजमें, जहांजनताकाबहुतबड़गांव, देहात, ओवरटाइमकामकरनेवालेलोग, स्लम्स, झुग्गी-झोपड़ीऔरअनऑथराइज्डकालोनी, आजदिल्लीकीयहस्थितिहै । मैंबहुतगर्वसेअपनेइतिहासकोयादकरतीहूँ । मेरेपिताजीकाजोपरिवारहै, हमारापरिवारमिणकुंभरीसेआताहै, जोहड़प्पाकाक्षेत्रहै । मैंबहुतगर्वकेसाथकहतीहूँकिहमहड़प्पनसिविलाइजेशनकोबनानेवालेलोगहैं, लेकिनवहपरिवारएकमाइग्रेटकेरूपमेंदिल्लीभीउ*कीनिशानीहै । जिसप्लान्डिसिटीकीकामनाआजहरभारवासीकरताहै, उसकीप्लानिंगपरढेलेभरकाकामनहींहुआऔरअनऑथराइज्डकोहमअन । वेजोनलप्लानिंगकेबाहरइसलिएथीकिदिल्लीकोएकमास्टरप्लानदियागया । उसमास्टरप्लानमेंयहबनायागयाकियहगांवकाइलाकाहै, यहशहरकाइलाकाहै, यहऐसाइलाकाहै, यहवैसाइलाकाहैऔरजोनमा । मैंशब्द‘हथियागया’इस्तेमालकररहीहूँ, क्योंकिजबआपएकआयरकरतेहैंतोएकजिशनप्रोसिडिंग्सहोतीहैं । मेरेबहुतसारेदोस्तयहांबैठेहैं, उनकोयादहोगाकिएकजिशनप्रोसिडिंग्समेंक्या-क्याअन्यायइसशहरकीजनताकेसाथकिया । क्योंकियहशहरगाँवोंकाएकसमूहथा । उनसबकीजमीनोंकोएक-दोरुपयेप्रतिएकड़परलेलियागयाऔर 70 सालकेबादआजभीचार-पाँचसौमुकदमेएकजिशनकेअटकेहुएहैं । एकजिशनकेबावजूद, कुछभीप्लांडतरीकेसेनहींकियागया, बल्किईप्राइवेटकॉलोनीज, मैंनामनहींलेसकती, लेकिनबहुतसेप्राइवेटकॉलोनाइजर्सकोएकपरदेकेरूपमेंइस्तेमालकियागयाऔरआजभीउनसरकारीजमीनोंपरअनधिकृतरूपसेकब्जाकर । जिसनेकॉलोनाइजकरकेबेचा, उसकोअधिकृतकियागया । जोजमीनेंएकयादोरुपयेएकड़थीं, उनकोकईसौरुपयेएकड़परबेचागया । इसीकारणग्रेटरकैलाश, साउथएक्सटेंशन, डिफेन्सकॉलोनीआदिबनीहैं । येसबपापकाइलाजहै । इनसबकेबावजूद, कुछगाँववालोंनेऔरकुछकॉलोनाइजर्सनेसोचाकियेजमीनेंपड़ीहैं, इससेपहलेकिसरकारइनकोएकयादोरुपयेएकड़परएकआयरकरे, हमखुदकॉलोनीकाटकरबेचदेतेहैं । उसतरहसेजोनलप्लानिंगकेबाहरयेकॉलोनीजबनीहैं । मानलीजिएकिसब-डिवाइडेडएग्रीकलचरललैंडकाढाईएकड़काप्लॉटहोनाचाहिए, ढाईएकड़काप्लॉटनहींहैऔरउसकेअंदरआपनेपाँचयादसलोगोंकोबेचदिया । इसीतरहसेयेअन-ऑथराइज्डकॉलोनीजबनीं ।

पार्टिशनकेबादपूरेदेशभरकेअन्यस्थानोंसेरोटी-रोजगार, पढ़ाई-लिखाईकीजरूरतकेलिए, बीमारियोंकेइलाजकेलिए, एम्समेंइलाजकरवानेआदिकेकारणदिल्लीबसी । सहीमायनेमेंजबयहकहागयाकिदिल्लीदेशकादिलहै, चूँकियहदेशकीराजधानीहै, इसलिएहरवर्ग, हरराज्य, हरस्थान, हरकस्बेसेलोगयहाँआतेहैं । जबदिल्लीमेंसभीलोगआतेहैं, तोदिल्लीसबकीसाझीविरासतहै । इससाझीविरासतकीहमलोगोंनेयहहालतकररखीथी, जिसमेंनपीनेकापानी, नसड़के, नटॉयलेट्स, नसीवरथे । येसबअन-ऑथराइज्डतरीकेसेइतनेवर्षोंतकबननेदियागया । इतिहासमेंजाएँ, मेरेमित्रश्रीबिधूजीजीनेवर्ष 2007 और 2008 कीबातबताई । लेकिनमैंउससेभीकुछसालपहलेजानाचाहतीहूँ । वर्ष 1970 मेंयहसिलसिलाशुरूहुआ । 1970 केबाद 1996 आया, 1996 से 1998 आया, मामलाकोर्टमेंगया, गाइडलाइंसमाँगीगई, मगरकिसीनेइसपरकामनहींकिया । इसपरक्योंकामनहींकिया, मुझेलगताहैकिजो 1071 कॉलोनीजथीं, वेबढ़कर 1700 सेऊपरहोगई । उसकासिर्फएककारणयहथाकिइसकाराजनैतिकफायदाउठायाजाए । प्लानिंगकाकाममेहनतकाकामहोताहै । प्रधानमंत्रीआवासयोजनामेंबाकायदामकानबनाकरदेनीपड़तीहैऔरकुछकामनकरनापड़ेयाअन-ऑथराइज्डचलतीरहें,

चुनावकेवक्तकेवललालचदेकरचुनावजीततेरहें, लेकिनकामनकियाजाए । राजनैतिकमंसूबोंसेजोलोगदिल्लीकोचलारहेथे, इसीकारणसेऑथोराइजकरनेकेलिएकोईकामनहींकियागया ।

अगरआपइसकेइतिहासमेंऔरगहराईमेंजाएंगे, तोपताचलेगाकिऑथोराइजकॉलोनीजमेंजोजमीनोंकीकीमतेंथीं, उसकीमतके 10 प्रतिशतसेकमकीमतपरयहाँपरजमीनेंउपलब्धथीं । लोगसस्तीजमीनोंकीवजहसेयहाँआकरबसतेथेऔरअन-हाइजिनिककंडिशनमेंरहतेथे ।

वर्ष 2007, 2008, 2012 औरकॉमनकॉजकाएकऔरजजमेंटसुप्रीमकोर्टमेंगया, जहाँपरपूछागयाकिआपअन-ऑथोराइजकोकैसेऑथोराइजकरेंगे, क्यागाइडलाइंसबनाएंगे, तोकोईभीगाइडलाइंसनहींबनाईगई । इसकीमुख्यतीनदिक्कतेंहैं । पहलीबाततोयहहैकिकोईट्रांसफरनहींहोसकताहै । पूराशहरअन-प्लांडसिटीहै । कोईभीइंफ्रास्ट्रक्चरहो, चाहेसीवर, पानी, बिजलीआदिकीदिक्कतेंरहीं ।

इसमेंएकरिपोर्टहै- काउंटरमैग्रेटएरियाजटूदिल्लीएंडएनसीआर, जिसमेंरिपोर्टकेमुताबिक 497 घरोंकेअन-ऑथोराइजसेटलमेंटकाब्यौरादियागया । कहाँ-कहाँसेलोगआतेहैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडुआदियहाँपरलिखागया । यहपायागयाकि 92.3 प्रतिशतलोगयानी 90 प्रतिशतसेअधिकलोग 1990 केपहलेसेयहाँपरबसेहुएहैं । यानी 1990 केपहलेकामतलबयहहैकितकरीबन 30 सालसेपुरानीइनकॉलोनीजकेअंदरिहाइशहैं । इनकॉलोनीजमेंअधिकतरलोगएससीकम्युनिटीकेहैं, बैकवर्डक्लासेजकेहैं, कमपढ़े-लिखेहैं, जहाँपरडिस्टर्बिंगलेवल्सऑफएजुकेशनहै । 45.9 प्रतिशतलोगोंकीहायरसेंकेडरीकीपढ़ाईसेकमकीपढ़ाईहै । मेजॉरिटीमेंलोगवहांरहतेहैं, वहांवेंटिलेशनकाप्रावधाननहींहै, हवाकाप्रावधाननहींहै, कमरेछोटे-छोटेहैंऔरपूरेपरिवारकेरख-रखावकावहांकोईप्रावधाननहींहै । ज्यादातरलोगअपनेपरिवारोंकेसाथयहांरहतेहैं ।

अगरइनकमकीबातआएतोउनकीकितनीकमाईहै? दोहजाररुपयेसेआठहजाररुपयेतक । 13.9 प्रतिशतलोगहैं, जोआठहजाररुपयेतककमातेहैं । अन्यसबलोगोंकीइससेकमकमाईहै । तकरीबन 70 प्रतिशतबच्चेयहांकामकरतेहैं, क्योंकिउनपरिवारोंकेपासबच्चोंकीपढ़ाई-लिखाईकेलिएकोईप्रावधाननहींहै । 67 प्रतिशतलोगअपनेपरिवारऔररिशतेदारोंकेसाथमाइग्रेंटपॉप्युलेशनकाहिस्साहैं । 99 प्रतिशतलोगोंकोपैसाबॉरोनहींकरनापड़ा । 500 रुपयेकीबातहोरहीथी, दानिशजीकुछकहरहेथे । उनकोशायद 500 रुपयेनहींलानेपड़े, शायदआपकोकेजरीवालजीकोसमझानापड़ेगाकिलोगबिनापैसाउधारलिएदिल्लीआएहैं । ... (व्यवधान) 42.3 प्रतिशतलोगकामकेलिएआएहैं । ... (व्यवधान)

जबइसपूरीसिचुएशनकोहमएनालाइजकरतेहैंतोयहस्पष्टहोताहैकिआर्थिकरूपसेपूरेसमाजकाऔरपूरेहिन्दुस्तानकाजोडिसएडवहदिल्लीआकरबसताहै । वहआर्थिकऔरसामाजिककारणोंसेअपनाघर-बार, गांवछोड़करदिल्लीआकरबसताहै । उसकामकसदसिर्फएकहै – आर्थिकरूपसे, सामाजिकसुरक्षाकीदृष्टिसेउसकोवहसबप्राप्तहो । यानी, एस्पिरेशनलक्लास, जिसकीहमलगातारबातकरतेहैं, वहएस्पिरेशनलक्लासदिल्लीमेंआकरबसतीहै ।

सुरक्षाकीदृष्टिसेदेखाजाएतोईबारजहांउनकीअपनीजगहहै, वहांउनकोनआर्थिकसुरक्षाहै, नसामाजिकसुरक्षाहै । इसकारणदिल्लीमेंआकरलोगजाति, धर्म, इससबभेदभावसेहटकर, दिल्लीएककॉस्मोपॉलिटनशहरहै । यहनइसकाहै, नउसकाहै, वहसबकाहै । इसलिए, सबकाहोनेकेकारण, वहसबकोसुरक्षकामाहौलप्रदानकरताहै । सबसेदुःखकीबातहैकिजोदिल्लीसबलोगोंकोइतनासबकुछदेताहै, पूरेभारतवर्षकोदेताहैतोदिल्लीकीचिंताकरनेवालेलोगदिल्लीकीचिंतानकरें, ऐसेकैसेचलेगा? वहीउदाहरण, इनअनधिकृतकॉलोनीजकाजोयहबिलहै, वहबताताहैकिजिनलोगोंकोदिल्लीकीचिंताकरनीथी, उन्होंनेदिल्लीकीचिंतानहींकी । एकऔरव्यक्तिजबगुजरातसेउठकरदिल्लीआया, उसेभीअगरएकमाइग्रेंटकेरूपमेंदेखाजाएतोउसनेआकरदिल्लीकीचिंताकीऔरइसबिलकोलेकरआया । वर्ष 1970 सेआजतकयहबिलनहींआयाथा । सबसेअच्छीजोचीज़है, जोमैंभारतकेबारेमेंबहुतगर्वकेसाथकहतीहूंकिहमलोगउम्मीदनहींछोड़ते । हमनेबहुतसारीदिक्कतेंझेलीं, बहुतसारीदिक्कतेंदेखीं, लेकिनहमनेकभीउम्मीदनहींछोड़ीऔरइससरकारनेउनउम्मीदोंपरखराउतरनेकाप्रयासकियाहै । यहइनअनऑथोराइजकॉलोनीज, कच्चीकॉलोनीजकोपक्काकरनेकासमाधानढूंढनेकाप्रयासहै ।

दिल्लीसबकोअपनेपनकाअहसासदेतीहैऔरसुरक्षाकामाहौलप्रदानकरतीहै, लेकिनएकव्यक्ति,
जिसकोचौबीसघंटेअपनेमकानकीहीचिंतारहे, उसकोलगेकिकलबुलडोज़रचलजाएगा, परसोंबुलडोज़रचलजाएगा ।
उसबुलडोज़रकेचलनेसेकोईमॉनिटरिंगकमेटीबैठजाएगी, कबतालालगादेगी, कबमकानगिरादेगी ।वर्ष 2008
कीमॉनिटरिंगकमेटीआजतकचलरहीहै ।पतानहींकितनेजबदलगाए, लेकिनमॉनिटरिंगकमेटीवहींकीवहींहै ।
इससबसेअसुरक्षाकामाहौलउन 40 लाखलोगोंकेमनमेंबैठताहै ।
आपसोचसकतेहैंकिजोसुरक्षाकीचिंताकरतेहुएउम्मीदकेसाथदिल्लीआकरबैठाहै,
उसकोदिल्लीसेबनदेकरअसुरक्षाप्रदानकररहीहै ।उसकीबहू, बेटी, बच्चे – सबअसुरक्षितमाहौलमेंपल-बढ़रहेहैं ।

जमीनकेअधिकारकीबातकीगई ।
प्रेमचन्द्रनजीनेकहाकिइसबिलकेअंदरट्रांसफरऑफप्रॉपर्टीएक्टकोकन्सिडरनहींकियाहै ।मैंउनकोएकबातबतानाचाहतीहूँ ।
ट्रांसफरऑफप्रॉपर्टीकरहतेहुए, वेवकीलहैं, उनकोभीपताहै
किजबट्रांसफरऑफप्रॉपर्टीएक्टलागूनहींहोसकतातोलोगजमीनकाट्रांसफरकैसेकरतेहैं ।विलबनजातीहै,
पावरऑफअटॉर्नीदेदीजातीहै, अधिकारदेदिजातेहैं, रिसीटदेदीजातीहै ।
इसवजहसेट्रांसफरऑफप्रॉपर्टीकेउल्लंघनमेंतोयहबनीहै ।ट्रांसफरऑफप्रॉपर्टीकेउल्लंघनमेंयहकार्यहुआ,
इसलिएहअनऑथराइज़्डकहलाया ।उसीकोऑथराइज़्डकरनेकेलिएहबिलआयाहै ।जमीनकाअधिकारदेनेकेलिए,
विकासकार्यकरनेकेलिए,
जिसमेंसरकारऔरप्राइवेटलोगवमेरेअन्यमित्रोंऔरसभीनेबतायाकिएमपीलैडकापैसाआपनहींलगासकते ।
सरकारद्वाराअन्यप्रावधानकरकेयहपैसायहांपरलगादियाजाए, इसलिएहबिललायागयाहै ।
मैंअनऑथराइज़्डकॉलोनियोंकेलिए Anna Zimmer कोकोटकरनाचाहतीहूँ । In her paper, she said, “Enumerating the
Semi-Visible”. नईदिल्लीकीभीअगरबातकरे, तोलोगसोचतेहैंकिनईदिल्लीमेंपतानहींकैसेलोगरहतेहैं?
शायदलुटयनदिल्लीजैसेलोगरहतेहैं ।सच्चाईयहहैकिबहुतसारेलोग, जोआधेदिखाईदेतेहैं, जोइसशहरकोचलातेहैं,
वेलोगइनअनऑथराइज़्डकॉलोनीजमेंबसतेहैं ।इसीलिए authorising and enumerating the semi-visible, the provision
of basic urban services, inclusion in decision-making processes and a more overarching right to the city are
all understood to be major entitlements linked to urban citizenship. Withholding these entitlements from
residents of informal settlements raises therefore a strong question about the inclusiveness of citizenship in
urban societies. It is for this reason कि ‘सबकासाथ, सबकासाथ’ काजोवायदाहै,
वहपूराकरनेकेलिएहकामकियागयाहै ।

महोदय, सेक्शन 2(a) कीबातकीगई ।उसमेंजिनरेजिडेंट्सकोकालीफाईकियागयाहै,
वहसोशियोलीगलऔरपॉलीटिकलपोजीशनसेकियागयाहै, as residents of the colonies. सेक्शन3(1)
सेजमीनकीसम्पत्तिकेअधिकारकोरेगुलराइजकरनेकेलिएइन्ट्रॉजैक्शन्सकोलियागयाहै ।सेक्शन 3(2)
फिक्सचार्जेसकाप्रोविजनकियाहै ।
आपनेजोचारएक्ट्सबताएकिइनचारोंकेउल्लंघनमेंयहप्रावधानहैतोवहउल्लंघनमेंनहींहोतेहुए,
उनकोसामनेरखतेहुएसरकारनेअपनीरजिस्ट्रीऔरइंसबअमाउंट्सकोवेवऑफकियाहैऔरफिक्सचार्जेसकोआधारबनायाहै,
ताकियहकोर्टमेंचैलेंजनहो ।कोर्टमेंयहचैलेंजनहो, इसीलिएकुछपैसाचार्जकियाजारहाहै ।
अगरकुछभीपैसाचार्जनहींकरतेऔरफ्रीमेंकरदेतेतोयेसबवायलेटहोते ।
इसवजहसेफिक्सचार्जेसकरकेकमपैसोंमेंकामकियागयाहै । Through this act,
सरकारनेकोशिशकीकिसुरक्षाकाअधिकारसभीकोमिलेऔरसामाजिकन्यायकेसाथआर्थिकन्याय,
शहरमेंरहनेवालेसभीलोगोंकोमिलसके ।

यहमार्गहैविकासका, विश्वासका, प्रयासका, उल्लासका, कृषकका, श्रमिकका, निर्धनबंजारेका, घुमंतूऔरनिम्नवर्गका,
मध्यवर्गका, ग्रामीणका, शहरीपथिकका, शहरीवर्गका, भारतकीशानका, जन-गणकेप्राणकाऔरदेशकेनवनिर्माणका ।
बहुत-बहुतआभार ।

श्रीअधीरंजनचौधरी

(बहरामपुर):

सर, घंटे भर से यह चर्चा हो रही है

इसमें सबको पता लगाना कि एक जंगल ही है, चाहे इसे चुनावी जंगल ही या व्यक्तिगत जंगल ही
मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि साहब सिंह वर्मा जी स्वर्गीय हैं और शीला दीक्षित जी भी स्वर्गीय हैं
इन सभी ने दिल्ली के लिए कुछ कुछ किया है
लेकिन आज सदन में दो स्वर्गीय व्यक्तियों का नाम लेकर हम लोग आपस में इस तरह की लड़ाई कर रहे थे कि साहब सिंह वर्मा जी ने ज्यादा
। दोनों का ही योगदान है । सब मानते हैं कि शीला दीक्षित जी ने जरूर कुछ काम किए हैं, साहब सिंह वर्मा जी ने भी कुछ काम किए हैं ।
मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जो स्वर्ग में चले गए हैं, उनके नाम पर इस सदन में अगर हम आपस में जंगल करे तो यह सदन की मर्यादा के लिए
। महोदय, दिल्ली हिन्दुस्तान की पॉलिटिकल कैपिटल है
। मुंबई, जहां से हमारे डीजी साहब सत्यपाल जी आते हैं, वह हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है
। मैं बंगाल से आता हूँ, जिसे कभी कलचरल कैपिटल कहते थे
। आज की बादलाखों की तादाद में लोग पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था
दिल्ली में रोजगार और रोजी-रोटी के लिए आते रहे । यह आज का सिलसिला नहीं है, यह फिनोमिना चला आ रहा है । दिल्ली नो-
मैनलैण्ड की तरह से हमारे सामने आती है । कोई भी यहां आ सकता है, रुक सकता है, रोटी-
रोजी मासकता है और दिल्ली के विकास के लिए योगदान भी कर सकता है । इसलिए दिल्ली का कोसमोपोलिटन के रेक्टर बन गया है,
कोसमोपोलिटन ने चरबन गया है । हम सब गर्व करते हैं कि दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है
। लेकिन इसने शनल कैपिटल में भी एक कोन नड्रम है । What is the conundrum? Delhi has been witnessing a conundrum
that is called 'penury in plenty'. कहीं फाइव स्टार होटल्स हैं और कहीं इतनी सारी कालोनियां, सभी एक साथ चल रहे हैं ।
इन कालोनियों को रेग्यूलर अइज़ कर ना जरूरी था और यह कोई भी सरकार करे । यह आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है ।
इस बारे में अगर कोई भी पहल करता है तो यह अच्छा है । यह पहल आज की नहीं है, बहुत दिनों से यह चल रही है ।
कालोनी में जो रहने वाले हैं, यह उन लोगों की लड़ाई है,
यह उन लोगों का संघर्ष है और उन लोगों ने अपने संघर्ष को हम लोगों तक पहुंचाया है, तभी हम इस सदन में लेकर आए हैं ।
आप यू पी ए की सरकार की बात करते हैं । एन डी ए की सरकार भी थी और एक बार नहीं दो बार थी, लेकिन आज क्यों आया है?
हमारे पुरी साहब बजबयह कानून लेकर आए तब कह रहे थे Farsighted revolutionary decision. मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ ।
हर चीज में, हर सिद्धांत में टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होता है । अगर इसको देखा जाए तो मैं यह आराम से कह सकता हूँ कि यह Poll-
sighted revolutionary decision है । क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और बिना मतलब यहां कोई काम नहीं होता है ।
जरूर कोई मतलब रहा है, इसलिए यहां बात उठ रही है ।

17.38 hrs

(Shri N.K. Premachandran in the Chair)

अगर आप पहले कर देते तो बात नहीं उठती । आप जिस समय इसको कर रहे हैं, उस समय को लेकर यह बात उठ रही है । ...
(व्यवधान) मैं इसका समर्थन करता हूँ । ... (व्यवधान) अगले साल चुनाव होने हैं । आज बोलने वाले ज्यादातर स्पीकर दिल्ली के हैं
। ... (व्यवधान) दिल्ली हम सभी की है । ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ranjan Ji, please address the Chair.

...(Interruptions)

श्रीअधीरंजनचौधरी: दिल्ली के सभी सांसदों से मैं दरखास्त करता हूँ । मुझसे मिलने मेरे घर पर यहां के कुछ गरीब लोग आए थे ।
उन लोगों की मांग थी कि हमारे यहां के गांव में बिजली नहीं है ।
मैं सभी दिल्ली के सांसदों से दरखास्त करूंगा कि आप सभी इस विषय को सुलझाने की कोशिश कीजिए ।
किर्बीप्लेस और बरार स्कवेयर से बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे और मुझसे उन्होंने दरखास्त की थी कि हमारे गांव में बिजली का इंटरजाम
। मनोज तिवारी जी सीएम बनने वाले हैं, would be CM. मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि आप बिजली की समस्या के बारे में सोचें । ...

(व्यवधान) पुरीजीनेमानलियाहैतोमैंक्याकरसकताहूँ? यहपुरीजीकारवैयाहै, मेरानहींहै । इसलिएमैंनेदरखास्तकरदीहै ।
Would be यानी, होभीसकताहै ।

It is my request to the hon. Minister to clarify the status of P1 zone Narela sub-city which was left out of registration process under land-pooling system. Now, the Government of NCT of Delhi has declared villages in P1 zone as R1 areas vide Gazette notification dated 21st November, 2019. Many societies from the Government and autonomous organisations have already purchased land in P1 zone in order to participate in land pooling policy. Hence, I request the hon. Minister to kindly reply as to when the villages in P1 zone will be notified for land pooling policy by DDA and landholders of these villages will be invited to apply for land pooling policy.

यहलैंडपूलिंगपॉलिसीबहुतदिनोंसेचलरहीहै ।मैंसिर्फदो-
तीनजानकारियांप्राप्तकरनाचाहताहूँकिआपअप्राधिकृतकालोनियोंकोरेग्युलराइज़करनेजारहेहैं,
क्याआपकेपासइसकाकोईटार्मफ्रेमहै? दूसरा, इसमेंकिसतरहसेमैपिंगकीगईहै?
क्यासैटेलाइटमैपिंगकीगईहैयाफिज़िकलमैपिंगकीगईहै? तीसरा, आपजोचार्जेसलेरहेहैं, उनचार्जेज़कोथोड़ाकमकीजिए ।
आपइतनाबड़ाकामकररहेहैं, तोचार्जेज़कोथोड़ाकमकरदीजिए ।
मैंएकबातऔरकहनाचाहताहूँकिदिल्लीकाजोमास्टरप्लानहै,
रेग्युलराइज़करनेकेबादउसकोमास्टरप्लानकेसाथकैसेजोड़ाजाएगा? आपहमसबकोइनदो-
चारचीजोंकेबारेमेंथोड़ाबतादीजिए, क्योंकिआमलोगोंकोशंकाहै ।आपबुरामतमानिएगा,
आमलोगोंकोयहशंकाहैकियहांपरजोराजनीतिकनेताहैं, वेचुनावकोमद्देनज़ररखतेहुएआतेहैं ।यहांपरबड़े-
बड़ेभाषणदेरहेहैं, हमारेसामनेबड़े-बड़ेवायदेकररहेहैं ।हमलोगचुनावखत्महोनेकेबादजहांकेतहांरहजाएंगे,
हमारेलिएकोईभीआनेवालानहींहै ।आपइसबातकीगारंटीदेदीजिएकिआपचाहेचुनावमेंजीतेंयाहारें, यहचलतारहेगा ।
हमारायहटार्मफ्रेमहै, हमइसीकेअंदरइसकोकरेंगे ।

माननीयसभापति : अधीररंजनजी, धन्यवाद ।प्लीज़, कन्क्लूडकीजिए ।

...(व्यवधान)

श्रीअधीररंजनचौधरी : महोदय, बंगालकेलाखोंलोगदिल्लीमेंरहतेहैं ।वेभीबहुतसारीअप्राधिकृतकालोनियोंमेंरहतेहैं ।
वेलोगभीमेरेपासआतेहैंऔरमुझसेकहतेहैंकिइससेतरह-तरहकीअसुविधाएंहोतीहैं ।
मैंचाहताहूँकिपूरीदिल्लीकोजैसाकिमैंनेकहाकिदिल्लीकॉनेन्ड्रमहै, एकतरफडैज़लिंगहैऔरदूसरीतरफडिस्मलहै ।
इनदोनोंतरफकोमिलाकरदिल्लीकोबनानाचाहिए, क्योंकिदिल्लीहमारीकैपिटलहै ।मैंइसबिलकाजरूरसमर्थनकरूंगा ।
लेकिनमैंदोबारायहकहनाचाहताहूँकिजोवायदाकियाहै, उसकोनिभानापड़ेगा ।आपनेजोवायदाकियाहै,
उसकोनिभानापड़ेगाऔरआपकितनेसमयतकउसकोनिभापाएंगे, वहसदनमेंबताइए ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, let me first start by thanking the hon. Members who have participated in the debate. I have noted that 16 of them have participated. It has been a very rich discussion. From my personal point of view, I draw immense satisfaction that not a single hon. Member has opposed the Bill. Some have expressed reservations. My distinguished senior colleague, Shri Adhir Ranjan Chowdhury said, while recalling what I had said that this is

a farsighted and revolutionary initiative and step, perhaps, I should have added that it is also a politically motivated or poll-sighted one. The implications being that there is a political motivation to bring in this Bill.

Well, I want to thank all the hon. Members. I will, in the interest of efficiency--if you permit, Sir-- divide my response into three segments. One is a segment where the hon. Members have raised very specific questions which require an answer from the Government in terms of our understanding, in terms of our intent, in terms of the process that we have put in place and how we propose to implement it. So, I will go through each of the points made by the hon. Members. But there are one or two additional points which I think emanate essentially from the fact that I have spent more time and more sleepless nights on the Bill, on its drafting and on the regulations which have been notified. Since the hon. Members clearly preoccupied as they are with a much wider canvas, they have not had a chance to look at that. So, I will clarify one or two points. And, finally there is the easier political response which is required and which has come from some hon. Members.

My distinguished friend, Shri Dayanidhi Maran, and others have recalled what was done in Chennai in the State of Tamil Nadu. Some have asked why we do not do it in the rest of India. I think there is a basic misunderstanding which, perhaps, we have not put in front of the hon. Members as to what it is. But let me start with the point that it is a poll-sighted one. I regret the fact that my hon. friend, Shri Bhangwant Mann is not present in the House. Sir, through you, let me draw the attention of the House to how much there has been a vilification of facts in the public domain and I say this with a degree of seriousness.

My friend and my colleague, Mr. Ramesh Bidhuri has collated all the Government letters, the letters which have been written to the Chief Minister of Delhi, what the Government of the National Capital Territory of Delhi has said before the Court and also what I have exchanged with him. I mean this information which I am placing before the House is already in the public domain.

Sir, the crux of the matter is that the regulations on the basis of which 1769 colonies have been identified goes back to a Gazette Notification of 2008. I quoted it when I introduced the Bill. So, when some hon. Members ask me why the year 2008 has been taken, it is because that is the most comprehensive Notification, we have listing 79.

I was asked by another hon. Member from the Treasury Benches - what about those which are not fitting in? The Government is very clear and in a transparent manner we have excluded some colonies. I will also come to that as to why we have excluded them. I state with the sense of responsibility that we will address those colonies at a subsequent stage. If some colony is there which does not fit into either or where there is a wrong fitting, we will do it. But if you do it now, it will just open the can of worms. What we need to do is to move ahead. I can say with confidence, if we had come with those 69 colonies first, you would have said कियहसूट-बूटकीसरकारहै ।येतोगरीबआदमीकाध्यानहीनहींरखतेहैं ।

So, we are starting with, as the lady hon. Member, my sister said, those people who belong to economically weaker sections, who are disadvantaged and we come to the 1731 colonies to start with. We will address the other at a subsequent stage.

Sir, in 2008, we had a Gazette Notification, which identified 1790 colonies. I do not want to get into a discussion as to who started Metro because I am also the Minister responsible for Metro. This is not a discussion on who started the Metro. This is not a question whether Chief Minister 'X' did more than the former Chief Minister 'Y'. I belong to a different tradition. I have been a Civil Servant for four decades. I

think every Chief Minister of this State has contributed to making Delhi what it is. That is a fact. Equally I would say, if we are in a bit of a mess and if the situation in Delhi both in terms of atmospheric pollution, in terms of congestion should have been better, each Chief Minister also bears part of the responsibility. But I want to digress from that and I want to come simply to the issue of these unauthorized colonies.

I would like to repeat what I said initially. The process of registering these colonies was continuing till the hon. Supreme court in a Judgement in 2011 in the Suraj Lamp and Industries vs. State of Haryana case came to the conclusion or rather there is a finding, which I would read out, that no longer will they recognize these five kinds of documents – General Power of Attorney, Will, Agreement to Sale, etc. for the purpose of registration. That is where the problem starts.

Now, it was clear to any Government which was responsible at that point of time in Delhi or the Centre that you had to deal with this problem. Around 40 to 50 lakh people are living there. It is spread over something like 43,000 acres. I have also mentioned the square kilometres when I was introducing the Bill. if you allow that to happen, that is a recipe for total chaos. So, we had to deal with it.

What was the objective? The objective was very clear. How did we have to deal with it. It was also very clear. The Government of the National Capital Territory of Delhi was required to map these colonies because if you do not know what the colonies are, you cannot go to the next stage. Now, I do not want to get into the blame game, the fact of the matter is that there has been correspondence which is in the public domain. I have this letter which I have written to the Chief Minister and I did not get a reply.

The Modi Government came to office in May 2014.

17.50 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

I became a Minister in September 2017. When I was looking at all the issues which were before us, उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दिल्ली का सुधार जो है, इस अन-अथोराइज्ड कालोनीज करेग्युलराइजेशन, रेग्युलराइजेशन तो अंग्रेजी का शब्द है | पर इनको मालिकाना हक, जब तक यहाँ पर हमारे जो नागरिक हैं, यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि वे डिस-एडवांटेज्ड हैं | डिस-एडवांटेज्ड क्यों है, क्योंकि हमारी नीतियाँ ठीक नहीं हैं | Poor people are living in unauthorised colonies. They are poor because your policies were poor. मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसकी गलती है, आपकी है या हमारी है | हमारी कलेक्टिव रिसर्पोसबिलिटी है | 17 सितम्बर में हमने यह करेसपोंडेंस चालू की | हमने दिल्ली सरकार को लिखा | कई बार केजरीवाल जी मुझसे मिलने आए, मैंने उनको लंच भी खिलाया | ये हमेशा मुझसे कहते गए, हमें थोड़ा समय दीजिए | मुझे उन्होंने क्या कहा, हम कम्पनी को कान्ट्रैक्ट देने वाले हैं वह कम्पनी इसकी डिजिटल मैपिंग करेगी | मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि यह सैटेलाइट इमेजरी होगी या फिजिकल होगी, दोनों | सैटेलाइट इमेजरी से आपको इमेज मिलेगी | उन इमेज को आप अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है | प्रोसेस चालू हो गया है | उसके बाद हमारे लोग जाकर यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उनको फिजिकली वेरिफाई करेंगे, आरडब्ल्यूएज से पूछेंगे कि यह आपकी थी क्या? 15 दिन का समय दिया जाएगा | उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा | एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक की बात होगी | एक बार मालिकाना हक मिल गया, तो फिर वहरजिस्ट्री करवा सकते हैं |

अध्यक्षमहोदय, इसदौरानमुझेचिंताइसबातकीनहींहैकिवहफेकनेरेटिवबनरहाहै ।वहराजनीतिकएटमॉस्फियरहै, उसमेंजिनलोगोंनेरुकावटेंडालरखीहैं, अबवेकहरहेहैंकिजल्दीकरो ।हमनेकबयहनिर्णयलिया? उससमयलिया, जबकेजरीवालजीकीसरकारनेदिल्लीहाईकोर्टमेंजाकरएकएफिडेविटदियाकिहमेंदोसालकाऔरसमयचाहिए । अगरइसमेंपोलसाइटेडहै, वर्ष 2017 मेंमैनयामंत्रीबनाथा, उससमयतोकोईपोलआनेवालानहींथा । मैंडिस्टिंग्विडमित्रअधीरंजनचौधरीजीसेकहनाचाहूंगा, हमारेयहाँकुछसमस्याऐसीबनगईहैकिआपकोईभीकामकभी-भीकरिएकोईनकोईपोलतोआहीरहाहोगा ।मानलें, आजकरलेंतोआपकहसकतेहैंकिदिल्लीमेंपोलआरहाहैयाछत्तीसगढ़मेंआरहाहै । अगरएकसालबादकरेंतोपोलकहींऔरआरहाहै ।यातोएकबारनेशनलपोलकरवादीजिएतोहमारीसमस्याहलहोजाए, नहींतोहमेशायहकारणरहेगाकियहपोलसाइटेडहै ।...(व्यवधान) Let me now come down to some of the basic issues which have been raised by hon. Members.

माननीयअध्यक्ष : आपबैठे-बैठेक्योंकमेंटकरतेहो ।आपकोबोलनेकामौकादूंगा ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: My distinguished friend, the hon. Dayanidhi Maran said, 'be large-hearted and make it free'. I have a lot of respect for that thinking. But I belong to a different school of thought that if you make anything free, people will not respect that. क्योंकिआपमुफ्तमेंदेरहेहो, वहकहरहेहैंकिइसमेंकुछहैनहीं । हमनेजोरेट्सतयकिएहैं, मैंनेकेलकुलेशनभीकरवाईहैकिकितनेरेट्समिलेंगे? हरएकएरियाकाएकसर्कलरेटहोताहै । अबयहअन-अथोराइज्डकालोनीजदिल्लीशहरमें 'ए' और 'बी' ज़ोन्समेंनहींहैं ।वेहैं- 'सी', 'डी', 'ई', 'एफ', 'जी', 'एच' में । I speak in English. I am sure the translation is very good. I have a problem. If I have a default response, I normally go into English. That is because you have kept me outside the country for 40 years. But I am switching back to Hindi. ऐसाहै, कालोनी 'एच' मेंअगर 100 गजकाप्लॉटहोगातोइसमेंटोटल 1217 रुपयेकाचारजलगेगा । यहज्यादाहैयाकमहै, यहतोआपकीआर्थिकस्थितिपरडिपेंडकरताहै ।मेरेलिएहमुफ्तकेबराबरहै । जिनलोगोंकोयहराइट्समिलनेवालेहैंऔरमालिकानाहकमिलनेकेबादवहांपरलोनलेपाएंगे, वहप्रोपर्टीकोडेवलपकरपाएंगे । जोप्रोपर्टीकरेहोगा, मैंनेआजतकऐसानहींसुनाहै ।I want to tell the hon. Members that I have not heard from a single resident in these so-called unauthorised colonies that they want it free. Nobody has come to me because the rates are so reasonable.

There is a regulation and there is a notification where these things have been put up on DDA's website. Please have a look at it. I am open to discussion but no one is suggesting it that we should do it. Will the Government create social infrastructure in these colonies?

महोदय, बातसहीहै, पिछले 11 सालसेइनपरकुछकियानहींहै, कालोनियाँबढ़तीजारहीहै, यहाँपरजनसंख्याबढ़तीजारहीहै, जोसिविकसुविधाएँहैं, वेहैनहीं, इसलिएहमेंसोशलइंफ्रास्ट्रक्चरतोबनानाहोगाऔरयहसरकारबनाएगी ।हमसेंट्रलगवर्नमेंटकीबातकररहेहैं, क्योंकिहमयहाँक्याकरेंगे, यहाँपरजो liberalised development control norms हैं, जोवेकेंटप्लॉट्सहैं, जहाँखालीजमीनहै, उनपरहम liberalised development norms इस्तेमालकरकेसोशलइंफ्रास्ट्रक्चरकीरीडेवलपमेंटकरेंगे, इसलिएहमनेरेग्युलेशंसनोटिफाईकरदिएहैं ।अगरआपएकबारउनरेग्युलेशंसकोदेखलें, मुझेपूराविश्वासहैकिउसकेबादकोईडाउटकिसीकेमनमेंनहींरहेगा ।जोचारजकलेक्टहोगा, मानलीजिएएचकेलिए 1200 रुपये, किसीकेलिए 4 हजाररुपयेहोगा, इसकोहमएकस्पेशलफंडमेंखेंगेऔरउसस्पेशलडेवलपमेंटफंडकोहमइनकालोनीजपरलगाएंगे । मैंयहाँपरजवाबदेहीकीभावनाकेसाथकहरहाहूँकिअर्बनडेवलपमेंटफंडसेयाजहाँसेभीलगानाहो, हमलगाएंगे, परइसमेंऔरसुधारहोगा ।एकबारयहरेग्युलराइजेशनहोजाए, मालिकानाहकमिलजाएतोहमारेजोनिर्वाचितजनप्रतिनिधिहैं, वेअपनीसांसदनिधिसेभीपैसालगापाएंगेऔरबाकीरिसोर्सेजभीआएंगे ।मैंसमझताहूँकियेजो 40-50 लाखहमारेभाईऔरबहनयहाँपररहरहेहैं, इसमेंकोईप्रॉब्लमनहींहोगी । इसदिल्लीकापूरानकशाएकदमबदलजाएगाऔरयेजोकालोनीजहैं, जिन्हेंहमअनऑथोराइज्डकहरहेहैं, क्याहोसकताहै,

मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द,

क्योंकि यह काम बहुत तेजी से हो रहा है,

यहाँ पर लैंड प्राइस और लोगों को इसमें प्राइड होगी, ईज ऑफ लिविंग होगी और यह जल्दी डेमन्स्ट्रेट हो जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रुकिए ।

माननीय सदस्य गण, सभा की सहमति हो तो वर्तमान विधेयक, जो चल रहा है और शून्य काल की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जा सके ।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, ठीक है ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप बोलिए ।

श्रीहरदीप सिंह पुरी : दयानिधि मारन जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही । It is an important point. Why was the technology not used to do this digital mapping? The submission I want to make through the hon. Speaker, is that technology is available to everyone. You can get satellite imagery; you can even get submeter imagery where you see the numbers on a scooter plate. But you must have the political will to do it; you must have the political will to use that technology in order to get something done.

I have been worried because I am new to this operating environment. मुझे चिंता यह हुई है, अभी एक आदरणीय सदस्य कह रहे थे कि जो बाहर कार्ट है, यहाँ अनऑथराइज्ड कालोनीज में तो उसका 10 प्रतिशत रेट है । यह सही है । That is correct. But what is worrying me is that very responsible people are going ahead and buying property in those unauthorised colonies. Why? It is because they are looking at it as an investment. If you get into this trap that you want to buy property in an unauthorised colony in order to produce a land bank and then you authorise it, you will make a killing in profit. I think that the decision was not to act for so long somewhere at a subterranean level. I am not making any accusation. We should be very careful. Why has it taken so long? Why are we doing today? I would have done it in 2017. I was told by the hon. Chief Minister कि हमें आप दो साल दीजिए, अभी करने वाले हैं । यह वैसा ही है, जैसे बसों के बारे में बातें होती हैं ।

18.00 hrs

अध्यक्ष महोदय, हमें दिल्ली को सुधारना होगा और हमें मेट्रो सिस्टम बनाना होगा । इस समय दिल्ली में 380 किलोमीटर का मेट्रो सिस्टम ऑपरेशन ल है । जब हम फेज-IV लाएंगे तो यह 500 किलोमीटर तक चला जाएगा । पर, मेट्रो में और बाकी चीजों में भी, हम लोग जो को-ऑपरेशन चाहते हैं, वह हमें नहीं मिलता है । किसी बात पर हमें कहा जाता है कि हम इन-प्रिंसिपल एप्रूवल दे रहे हैं और इन-प्रिंसिपल एप्रूवल देंगे, पर पैसे नहीं देंगे । सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया कि वे हमारी सहायता करें और हमें को-ऑपरेट करें । मैं निन्दान नहीं कर रहा हूँ । ये फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में हैं । हमारे मेरठ का आर.आर.टी.एस. का 82 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया ।... (व्यवधान) So, I am making a point that we had decided to go ahead, and believe me that Delhi elections were still very far-off. हमने यह काम कब शुरू किया? सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, जो डिजीजन में किंग होती हैं, आप उसे नैविगेट करना शुरू करते हैं ।

मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ । हम पिछले चुनावों के पहले ही इसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष ले आये । इसे हम केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने तब लाए, जब हमें दिल्ली की सरकार ने कहा कि वर्ष 2021 से पहले यह काम हो ही नहीं सकता । मैं आपको बतारहा हूँ कि जब हम अप्रैल-मई, 2019 के चुनावों के पहले इसे लाए, उस समय दिल्ली चुनाव हमारे होराइजन में भी नहीं था । उस समय नेशनल इलेक्शंस थे । I just want to say that, yes, it is revolutionary and far-sighted. As regards 'poll-sighted', may be, you and I can have a coffee and discuss as to what is poll-sighted. May be, we have all become politicians. All of us, no matter what we say and the words we use become 'poll-sighted'. But I am happy to have that discussion.

My colleague, Shrimati Pratima Mondal, said that names of these colonies should not connote caste, etc. But I just want to tell the hon. Member that the Government has no role in this. The Government does not go giving names to particular colonies. I can tell you that I am dealing with a different category. It is not unauthorised, but this is the Kathputli Colony. It is called a Kathputli Colony because it has artisans there and there we are taking a slum. Again, I do not like to use the word 'slum', but 'informal settlement'. वहाँ 2800 परिवारस्लम-लाइककंडीशंसमेंरहतेथे । हमउनकेलिएएकनयामॉर्डनस्ट्रक्चरबनाकरदेरहेहैं । हमेंदिसम्बरतकइसकेतीनटावसतैयारकरकेदेनेथे, परएन.जी.टी. कीतरफसेकंस्ट्रक्शनपरजोबैनलगायागया, उससेथोड़ीडिलेहुई । पर, इसेदिसम्बरनहींतोजनवरीमेंजल्दीहीकरदेंगे । पर, यहकामभीछः-सातसालोंसेचलरहाथा । So, we have no role in assigning names.

अफ्लूएंटकॉलोनीज़कीभीबातआई । कईमाननीयसदस्योंनेइसकेबारेमेंबातकी । हमारीपार्टीकेभीकईमाननीयसदस्योंनेइसकीबातकी । देखिए, एकबातसहीहैकिजबआपऐसाकोईक्रांतिकारीस्टेपलेनेजातेहैंतोउसमेंथोड़ी-सीचिंताहोतीहै । चिंतायहहोतीहैकिइसेकितनीस्पीडमेंकरपाएंगे, यहकामरुकतोनहींजाएगा? यहजोलीगलप्रिसिपलआपप्रोज्यूसकररहेहैं, क्यायहऔरजगहोंपरभीअप्लाईहोगा? यहबिल्कुलअप्लाईहोगा । अगरहममानलेतेहैंकिकिसीकॉलोनीमेंहम 'कन्फरमेंटऑफराइट्स' इसलिएनहींकरपाएहैंक्योकियहप्रॉपर्टीट्रांजैक्शन 'जी.पी.ए.' केथ्रूआहैया 'सेल' या 'एग्रीमेंट-टू-सेल' या 'विल' सेहुआहैतोअगरयहऔरकैटेगरीजमेंअप्लाईकरेगा, खासकरउनजगहोंपरजहांपरअफ्लूएन्टया 'वेल-टू-डूसेक्शंसऑफसोसायटी' हैतोमेराइसमेंयहीरिस्पॉन्सहैकिइसेहमअलगसेएड्रेसकरेंगे । पर, इससमय, for the sake of clarity, we have excluded those 65 colonies, क्योंकिइससमयकामइकोनॉमिकलीवीकरसेक्शंसयालोअर-इनकमग्रुपपीपलकाहैऔरइसमेंइनकीजनसंख्याबहुतहै । पर, दूसरेकोभीहमबादकेस्टेजपरएड्रेसकरेंगे ।

महोदय, मेरेपासलोगरिप्रेजेंटेशंसलेकरआतेहैंकिकईकॉलोनीज़कीकैटेगरीइजेशनठीकनहींहुईहै । मैंउसेभीजल्दएड्रेसकरूंगा । पर, इसबीचहमनेदोपोर्टल्सबनाएहैं । एक, सारीसैटेलाइटइमेजरीकोअपलोडकरकेबनायाहै । सैटेलाइटइमेजरीतोसभीजगहउपलब्धरहतीहैं, but you have to utilize that imagery and convert it into PDF files. Once you have converted it into PDF files, then you can upload it on your portal. जोफिजिकलडायमेंशनहै, उसकीआपचारोंकोनोंसेफोटोखीचेंगे । आपआरडब्ल्यूएज़को 15 दिनकासमयदेगेंकिवेअपनेव्यूज़भेजसकें । 15 दिनकेबादजबसारीइनफोर्मेशनअपलोडहोजाएगी, तोमुझेपूराविश्वासहैकियहकामदूसरेपोर्टलकेमाध्यमसेबड़ीतेजीसेआगेबढ़ेगा । दिल्लीकीसारी buying and selling has been on the basis of General Power of Attorney. जनरलपॉवरऑफअटॉर्नीक्योंहै? इसकाबहुतस्पष्टकारणहै । लोगस्टैम्पड्यूटीनहींदेनाचाहतेहैं । एक कल्चरबनगयाकिसबप्रॉपर्टीज़जीपीएपरहोजाएं । अबकोर्टनेउसमेंरुकावटडालदी । Another hon. Member asked किआपपोजेशनपरक्योंइनसिस्टकरतेहैं । हमपोजेशनखालीपरनहींइनसिस्टकरतेहैं । मानलीजिएकहींपरएक्सप्रॉपर्टीहै । एक्सकेदोदावेदारआजातेहैं । एककेपास 5 डाक्यूमेंट्सहैं, क्योंकिकईप्रॉपर्टीज़एक, दोयातीनबारबिकीहैऔरदूसरेकेपासजीपीएहै, तोहमदेखेंगेकिकौनसालेटेस्टहै, क्याट्रांजैक्शनहै, वहांकौनरहरहाहै? अगरदोनोंमेंसेएकवहांरहरहाहै, then possession will get additional weightage. If you read the notification, it becomes very, very clear.

दानिशअलीजीनेकहाहमस्वच्छताकीबड़ीबातेंकरतेहैं । मैंसिर्फयहीसबमिटकरनाचाहूंगाकिजोस्वच्छताकाआंदोलनहुआहै, the Swachhta Abhiyan started as a project of the Government, परयहएकजन-आंदोलनबनगयाहै । मेरामंत्रालयअर्बनहै, शहरीक्षेत्रकेहमारेकामहैं । यहांहमने 65 लाखसेअधिकइंडीविजुअलहाउसहोल्डटॉयलेट्सबनाएहैं । हमनेपब्लिककम्युनिटीटॉयलेट्सबनाएहैं । सारेटार्गेट्सहमनेमीटकेएहैं । आपकापाइंटअनऑथराइज्डकॉलोनीज़केबारेमेंहैकिआपवहांजाकरदेखिएकियास्थितिहै, तोमैंयहीकहनाचाहूंगाकिइसनिर्णयसे, मालिकानाहकदेनेसेयहांपरजोबदलावआएगा, यहांपरजोपरिवर्तनआएगा, वहांआपदेखेंगेकिस्वच्छतासिचुएशनएकदमइम्प्रूवकरेगी । इसकेकईकारणहैं । एकतोबाहरसेफंड्सआसकेंगेऔरदूसरायहांअकाउंटिबिलिटीहोगी । हमारेयहांकुछऐसाकल्चरबनाहुआहैकिअगरआपकुछकरिएतोहतेहैंकिइल्लीगलहै । वहइल्लीगलनहींथा ।

किसीनेउसेखरीदाहै। किसीनेबेचाहै, किसीनेखरीदाहै, परउसकी *Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. Vs. State of Haryana* केडिसीजनकेकारणरजिस्ट्रीनहींहोपाई।

श्रीडी.के.सुरेशजीनेजोकहा, वहपॉलिटिकलीमोटिवेटेडहै। That he welcomes the Bill, परउन्होंनेकहाकिइसेबाकीदेशकेलिएक्योंनहींकरते? I want to submit with all humility that land and colonisation are State subjects. इसमेंकेंद्रीयसरकारकाकोईरोलनहींहै। कोईऔरसरकारकरनाचाहे, तोबड़ीखुशीसेकरे। हमदिल्लीमेंइसलिएकरारहेहैं, क्योंकिदिल्लीमेंलैंडयूनियनऑफइंडियाकेपासहै। इसमेंयहनहींहैकिदिल्लीमेंचुनावआरहाहै, इसलिएदिल्लीमेंकरनेजारहेहैं। हमबाकीजगहकरहीनहींसकतेहैं। स्टेटगवर्नमेंट्सइसेकरसकतीहैं। मैंयहनहींकरहाहूंकिवेकरें। अगरकहींपरसमस्याहै, जैसेतमिलनाडुकेऑनरेबलमेंबरनेकहाहैकिउनकेलीडरने 2007 मेंऑलरेडीकुछकियाथा ... (व्यवधान) 1970 मेंकुछकिया। They are free to do it because land is a State subject. हमसेपूछाजाताहैकिईजगहइनफोर्मलसैटलमेंट्सस्लम्सहैं, आपक्याकररहेहैं? हमेंनहींकरनाहै, नतोहमारेपासडेटाहै। लैंडस्टेटसब्जेक्टहै। जिसस्टेटकोलगताहैकिवहांपरइनफोर्मलसैटलमेंट्सयास्लम्सज्यादाहैं, उसमेंसुधारकरें। इसमेंहमारीकोईगहरीचालनहींहैकिसिर्फदिल्लीकेलिएकररहेहैं, क्योंकिदिल्लीमेंचुनावहैं। हमइसेतीनसालपहलेदिल्लीकेलिएकरनाचाहरहेथे। ... (व्यवधान) अगरकेजरीवालजीइसमें ... (व्यवधान) I am not yielding. ... (व्यवधान) यहकोईऐसामुद्दानहींहै, जिसमेंराजनीतिकरोटियांसेकीजासकतीहैं। यहांपरएवीडेंसहैकिपिछलेतीनसालसेवेहमेंआगेबढ़नेहीनहींदेरहेथे। अगर 3 सालपहलेकियाहोता, तोआपकहतेकिहमनेयहहरियाणाकेचुनावकेलिएकियायाकिसीऔरकेलिएकिया। ... (व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष : माननीयमंत्रीजी, आपकिसीमाननीयसदस्यकाकोईजवाबमतदीजिए।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, I think I have responded and at least, I have made an attempt to respond to two questions as to why we have delayed it so long and the 2008 Notification.

It is entirely possible that हम 1731 कॉलोनियोंकोडिजिटलअपलोडिंग, जहांचालीसलाखनागरिकरहतेहैं। मुझेलगताहैकिसात-आठलाखलोगक्लैमकरेंगे। एकपरिवारमेंभीअगरचार-पांचलोगहैंतोयहचालीसलाखबनजाताहै। अगरहमेंपतालगताहैकिकहींऔरकॉलोनीहै that is the decision which we will have to visit. मुझेलगताहैकिअगरहमएकझटकेमेंइसेकरदेतोदिल्लीमेंएकबहुतबड़ासुधारआजाएगा। To the hon. Member, N. K. Premachandran Ji – I listen to his comments very carefully – I have two short comments. मीनाक्षीजीनेकुछजवाबदिया। हमनेजोरेग्युलेशननोटिफाईकिएहैं, अगरआपउसेदेखें, मैंआपकोउसकीकॉपीभेजदूंगा। They are on the DDA website. इनकमटैक्सकीरिफरेंसहैउसकेलिएहमनेऑलरेडीकॉरिजेंडाइश्युकियाहूआहै।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: We did not get the corrigenda.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Then, I think, that is something we have to rectify. We have this corrigendum which is dated 22nd November with the Bill. I will send you a copy. It very clearly says, in point 4, page 3, line 3, for 'income tax 1971 or' read 'or'. So, that has been omitted. I know, legislative drafting is a special skill. दो-तीनव्यक्तिबैठजाएंऔरअगरतीनमेंसेकोईदोवकीलहोंतोलेजिस्लेटिवड्राफ्टबहुतइंट्रेस्टिंगहोसकताहै। मैंआपकोविश्वासदिलानाचाहताहूंकियहजल्दीमेंनहींहुआहै।

मैंआपसेएकबातशेयरकरनाचाहताहूँ। कुछहफ्तेपहलेप्रधानमंत्रीजीऔरविदेशमंत्रीजीनेकहाथाकिमैंकुछबाहरकेराजदूतोंकेसाथअमृतसरजाऊंक्योंकिगुरूनानकदेव 550वींबर्थएनिवर्सरीथी। जबमैंवहांथाऔरमुझेपतालगाकि the President has already convened the Session of Parliament, अगलीसुबहयहकैबिनेटमेंलिस्टेडथा। मैंनेवहांसेफोनकियाकिइसेविदड़ाकरलो। उससमय Parliament was not in Session. हमऑर्डिनेंसलानाचाहरहेथे। उसकेबादहमनेविदड़ाकिया। ऐसानहींहैकिहमचुनावकेलिएलारहेहैंबल्किपिछलेआठ-नौमहीनेसेइसपरकामचलरहाहै। अगरहमनेपहले 2017-18 मेंकियाहोतातोअबतकयहकामकम्प्लीटहोगयाहोता। अभीभीहमारीकोशिशरहेगी, जोइंडीव्जुअलअप्लाईकरेंगेक्योंकिदूसरापोर्टल 16 दिसम्बरकोशुरूहोगा। उसकोकरनेकेबादउनकोरजिस्ट्रीकरवानीपड़ेगी

।केजरीवालजी, I want to caution him. वहरोजस्टेटमेंटदेतेहैं, जोठीकनहींहोती ।
 एकदिनकहाकियहलेजिस्लेटिवबिजनेसमेंलिस्टेडहीनहींहैऔरमहात्मागांधीकीसमाधिकेपासजाकरनारेलगानेशुरूकिए ।
 सदनमेंभीबोले, लेकिनक्याहुआ? हमएककैबिनेटमेंनहींलाए, दूसरीकैबिनेटमेंलाए, इसमेंभीसमयलगताहै ।
 उसकेबादकहनाकियहलिस्टेडनहींहैकिजनताकेसाथकेन्द्रीयसरकारधोखाकररहीहै ।
 शीशालेकरदेखोआपनेकितनीरुकावटडालीहै ।
 इसमेंमैंएकचीजऔरकहनाचाहताहूँऑपरेटिवप्रोविजनतीनदिनमेंरजिस्ट्रीकरादो ।भाईसाहब,
 ध्यानसेरजिस्ट्रीहमनहींकराएंगे, डीडीएनहींकराएगा, रजिस्ट्रीदिल्लीकीसरकारकराएगी, पैसेलेकरकरेंयानकरे not the
 issue एकदिनमेंरजिस्टारकितनीप्रोपर्टीकोरजिस्टरकरसकताहै, यहसवालपूछनाचाहिए ।
 मेरेहिसाबसेआपमैकेनिकलीकरेतोकेजरीवालकीमुंहसेकहीबातखुदहीनखानीपड़जाए ।अगरतीनदिनमेंकरादो,
 हमसबकाकरादेगे, सेंकडपोर्टलकराकरउसकेबादतीनदिनमेंहोतीहैकितीसदिनमेंहोतीहैहमारीतरफसेकोईकसरनहींरहेगी ।

माननीयअध्यक्ष: माननीयमंत्रीजीबार-बारकिसीकानाममतलो ।

श्रीहरदीपसिंहपुरी: महोदय, मैंराज्यसभाकाडिस्पिलिन्डमेंबरहूँ ।मुझेमाननीयअध्यक्षसेजोगाइडेंसमिलेगा, उसेमैंकरूंगा ।
 मैंकनक्लूडकरनाचाहूंगा ।मैंसिर्फतीनचीजेंकहनाचाहूंगा ।इसमेंरुकावटेंलाईगईं, जोकामग्यारहसालमेंनहींहुआ,
 इसेहमतीनमहीनेनहीं, तीसदिनमेंकोशिशकरकेपूराकरेंगे ।दूसरीबात, हमनेसिर्फकानूनलाकरपोर्टलबनाकरनहींकियाहै,
 हमनेडीडीएसेरिकेस्टकीहैकिवहअनऑथराइज्डकॉलोनीमेंहैल्पसेंटरलगाएं ।उन्होंनेपहलेकहाथा कि 25 लगाएंगे,
 मैंनेगृहमंत्रीजीकेसाथकंसल्टेशनकीतबमैंनेकहाकि 25 मतलगाओ, 50 या 75
 लगादोताकिकोईभीऐसानागरिकनहोजोवहंरहताहोऔरउसेसहायतामिलनेमेंकोईकमीरहजाए ।तीसरीचीज,
 यहबहुतहीरिवालयुशनरीस्टैपहै ।मैंअपनेसाथियोंसेहमेशाकहताहूँ,
 होसकताहैइसेइम्प्लीमेंटकरनेमेंकहींअगरकोईछोटीसीकमीरहगईं, We are available 24x7 and if there are any
 implementing difficulties, Lieutenant Governor, DDA, Housing Ministry
 औरबाकीएजेसियांआपकेसाथबैठकरइसकामकोपूराकरेंगी, We have to end this injustice which has been going on.

माननीयअध्यक्ष: माननीयसदस्यगण, मैंआपसेफिरआग्रहकरनाचाहताहूँकिजोमाननीयसदस्यबीचमेंबोलतेहैं,
 वहरिकॉर्डमेंनहींआताहै ।कलभीसुबहडिबेटमेंचर्चाहुईथी,
 मैंफिरक्लेरिफिकेशनकरदूंकिनतोउनकारिकॉर्डमेंपहलेसेथाऔरनरहेगा ।मेरीइजाजतकेबिनाजोमाननीयसदस्यबोलतेहैं,
 वहरिकॉर्डमेंतबतकनहींआताहैजबतकमैंआपकोबोलनेकीइजाजतनहींदेताहूँ ।

...(व्यवधान)

माननीयअध्यक्ष: प्रश्नयहहै:

“किराष्ट्रीयराजधानीराज्यक्षेत्रदिल्लीकीअप्राधिकृतकालोनियोंकेनिवासियोंकेपक्षमें, जोमुख्तारनामा,
 विक्रयकरार, वसीयत, कब्जापत्रयाकिन्हींअन्यदस्तावेजों,
 जिनकेअंतर्गतप्रतिफलसंदायकेसाक्ष्यकेदस्तावेजसम्मिलितहैं,
 केआधारपरऐसीकालोनियोंमेंसंपत्तियोंपरकब्जारखतेहैं,
 ऐसीअप्राधिकृतकालोनियोंमेंनिवासियोंकेसंपत्तिअधिकारोंकास्वामित्वअधिकारसुनिश्चितकरकेयाअंतरणयाबंधकद्वारामा
 ।”

प्रस्तावस्वीकृतहुआ ।

माननीयअध्यक्ष : अबसभाविधेयकपरखंडवारविचारकरेगी ।

Clause 2 Definitions

माननीयअध्यक्ष: श्रीप्रेमचन्द्रनजी, क्याआपसंशोधनसंख्या 1 से 3 प्रस्तुतकरनाचाहतेहैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I have asked an important question regarding the physical possession. If a person who is the owner of the property has rented his house or leased the house on rental basis, it means he does not have the physical possession of the property. How will this problem be addressed?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: This is an issue which we will have to address. It is my anticipation based on the feedback I have from the people on the ground that in about 10 to 15 per cent cases, this is likely to happen. होगाक्या, अगरएकहीव्यक्तिकेपासडॉक्युमेंट्सहैंऔरपोजेशननहींहैतोकोईप्राब्लमनहींहै, क्योंकिकोईऔरक्लेमेंटनहींहै ।अगरदोकेपासहैऔरदोनोंमेंसेएककहताहैकिमैंनेकिराएपरदियाहुआहै, दूसराकहताहैकिकागज़मेरेपासहैंऔरमैंरहरहाहूं, We will have to make a determination. But this will be resolved and we are ready to sit with people who have these difficulties.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: On the basis of the assurance given by the hon. Minister that the matter of physical possession will be addressed, I am not moving amendments no. 1 to 3.

माननीयअध्यक्ष: श्रीमतीप्रतिमामंडलजी, क्याआपसंशोधनसंख्या 9 और 10 प्रस्तुतकरनाचाहतीहैं?

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Hon. Speaker, Sir, it has been mentioned in the Bill that several documents can be shown as a proof of the property.

I beg to move:

Page 2, line 7,-

after "sale deed"

insert "or gift deed". (9)

Page 2, line 10,-

for "legal heirs"

substitute "family". (10)

माननीयअध्यक्ष : अबमैंश्रीमतीप्रतिमामंडलद्वाराखंड 2 मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या 9 और 10 कोसभाकेसमक्षमतदानकेलिएरखताहूं ।

संशोधनमतदानकेलिएरखेगएतथाअस्वीकृतहुए ।

माननीयअध्यक्ष: प्रो. सौगतरायजी, क्याआपसंशोधनसंख्या 11 प्रस्तुतकरनाचाहतेहैं?

प्रो. सौगतराय (दमदम): माननीयअध्यक्षजी, मैंबोलनेकीकोशिशनहींकरूंगाक्योंकिआपबीचमेंबातकाटदेगे ।But I would request you to give time to those who take the trouble of moving an amendment. एकमिनटबोलनेकासमयदेनेसेकोईहर्जनहींहोता ।आपबादमेंक्लेरिफिकेशनदेतेहैं, बोलनेकेलिएसमयदीजिए । क्योजल्दीहै? इतनीदेरतकचर्चाचली ।

माननीयअध्यक्ष: प्रो. सौगतरायजी, क्याआपसंशोधनसंख्या 11 प्रस्तुतकरनाचाहतेहैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

Page 2, line 10,-

after "tenant"

insert "or anyone who is having more than one dwelling unit in the National Capital Territory of Delhi". (11)

I do not want people who have already got dwelling units to be given further rights in the unauthorized colonies.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगतराय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

-

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

-

Clause 3 Recognition of property rights

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

“Page 3, line 6, --

omit “latest”.” (4)

“Page 3, line 8, --

for “payment of consideration”

substitute “transactions”.” (5)

“Page 3, line 12, --

omit “latest”.” (6)

“Page 3, line 14, --

for “payment of consideration”

substitute “transaction”.” (7)

“Page 3, line 23, --

for “payment of consideration”

substitute “transaction”.” (8)

This is also a very important point. Kindly consider this issue related to evidencing 'payment of consideration'. If I have purchased a house ten years ago by paying cash, what is the evidence? Payment should have evidence but here we have no evidence. If there is a cheque transaction, there would be evidence; for some other transactions also, there would be evidence. If I purchased a house or sold a house on cash, there would be no evidence. So, my amendment relates to evidencing 'payment of consideration'. I am making a very clear legal transaction. Let it be a 'transaction' that is evidenced. That is the amendment I am moving.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, he is raising a legal point and I want to respond. Now, this is evidence of 'consideration', but you still have one of those five documents or three of those five documents. You may have purchased the house by paying cash, I cannot go into that; however, you have the possession and the proof that may have a power of attorney, an agreement to sell, etc. Now, on top of that, you have this. So, that transaction is subsumed. You may also have an electricity bill, you may have a ration card made there. So, all that is the evidence which I am referring to here. Frankly, if you read it as I read it, your amendment is unnecessary.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 से 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगतराय, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

“Page 3, *after* line 10, --

insert “Provided that the regularisation of unauthorised colony shall

apply only if the residents vacate the encroachments on the public roads, nallahs, drainages, and the open lands identified by government agencies used as parks or common places in a time bound manner:

Provided further that the government agencies like Delhi Development Authority, New Delhi Municipal Council, Municipal Corporations and the Government of NCT of Delhi shall ensure non-encroachment of public places and wide roads under the Master Plan of Delhi-2021:

Provided also that there shall be no commercial activities in unauthorised colonies identified for regularisation.”” (12)

“Page 3, *after* line 29, --

insert “(7) Any person with more than ten lakhs of income per year

during the previous assessment year shall not be considered for

conferring or recognizing any property rights under this Act.”” (16)

In my amendment I have added one proviso after line 10, that is clause 3 (i) because if anybody who has been given the right has already encroached some Government land or such property, he should not be given the right. That is the proviso I want to add. I hope that the Minister will consider the same.

माननीयअध्यक्ष : अबमैंप्रो.सौगतरायद्वाराखंड3मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या12और16कोसभाकेसमक्षमतदानकेलिएरखताहूँ ।

संशोधनमतदानकेलिएरखेगएतथाअस्वीकृतहुए ।

माननीयअध्यक्ष : श्रीजसबीरसिंहगिल,क्याआपसंशोधनसंख्या13से15प्रस्तुतकरनाचाहतेहैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

“Page 3, line 11, --

for “fix”

substitute “not fix”.” (13)

“Page 3, line 19, --

for “the stamp duty”

substitute “no stamp duty”.” (14)

“Page 3, for line 25, --

substitute “case may be”.” (15)

माननीयअध्यक्ष :

अबमैंश्रीजसबीरसिंहगिलद्वाराखंड3मेंप्रस्तुतसंशोधनसंख्या13से15कोसभाकेसमक्षमतदानकेलिएरखताहूँ ।

संशोधनमतदानकेलिएरखेगएतथाअस्वीकृतहुए ।

माननीयअध्यक्ष :प्रश्नयहहै:

“किखंड 3 विधेयककाअंगबने ।”

प्रस्तावस्वीकृतहुआ ।

खंड 3 विधेयकमेंजोड़दियागया ।

खंड 1, अधिनियमनसूत्र, उद्देशिकाऔरविधेयककापूरानाम विधेयकमेंजोड़दिएगा ।

माननीयअध्यक्ष: माननीयमंत्रीजीप्रस्तावकरेंकिविधेयकपारितकियाजाए ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed”.

माननीयअध्यक्ष:प्रस्तावप्रस्तुतहुआ:

“किविधेयकपारितकियाजाए ।”

श्रीअधीरंजनचौधरी (बहरामपुर): पुरीसाहबमैनेटाइमफ्रेमकेबारेमेंपूछाहैक्योंकियहचौथीबाररेगुलेशनहोरहाहै ।
यहरेगुलेशननयानहीहै,पीछेभीहुआहै ।आपसेमैनेलैंडपुलिंगकेबारेमेंभीएकसवालपूछाथा ।
मास्टरप्लानकेसाथइसकाक्याताल्लुकरहेगा,येतीनविषयोंपरआपबोलदीजिए ।

माननीयअध्यक्ष: सौगतरायजी, आपभीएकप्रश्नपूछलीजिए ।

अभीप्रतिमामंडलजीकोपूछलेनेदीजिए ।दादाआपबैठजाइए ।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Sir, being a junior Member and a lady Member, I need your encouragement and support. They are senior Members. You are giving a lot of time for them. I did not get any time. So, I need your support and encouragement.

Though the amendment has already been disposed, I did not get a chance to complete what I wanted to say. I would like to get one clarification, through you, from the hon. Minister. It has been provided in the Bill that various documents could be produced or could be submitted as proof of property. Among these, the Gift Deed is missing. So, I would request you to include this also. Thank you, Sir, for giving me the chance to speak.

श्रीहरदीपसिंहपुरी:

अध्यक्षमहोदय,एकअन्यसवालभीआयाथाकिजोरजिस्ट्रेशनहोगी,वहमहिलाकेनाममेंहोगी,यहांपरअलग-अलगरेट्सहैं । If you register as a woman you will get a lower rate. So, I hope that more people will take advantage of the favourable rates and get the property registered in the name of women. यहमैकहनाचाहूंगा । मैंनेआपकोयहभीबतायाहैकिप्रधानमंत्रीआवासयोजनामेंहमने95लाखसेभीअधिकसैक्शनकिएहैं, there is a basic condition that the property has to be registered either in the name of the lady of the house or jointly. So, this is a major step towards gender empowerment. I hope we can take it forward. आपनेएकप्रश्नपूछाथा,मैंक्षमाचाहताहूं,मुझेलगाकिइसेजल्दीमेंकररहेहैं,मेरेपासइसकीइन्फार्मेशनहै ।
मास्टरप्लानमेंहमलिब्रलाइज्डडेवलपमेंटकंट्रोलनॉर्सइस्तेमालकरेंगे ।इसमेंटाइमफ्रेमक्याहोगा,यहमैंआपकोबताताहूं ।
यहसाराकामडीडीएकरेगी ।इसकेलिब्रलाइज्डडेवलपमेंटनॉर्सभीडीडीएबनाएगी,उसकेबादले-आउटप्लान्सबनेंगे ।
डीडीएयहकामकरेगी ।इसकेदोस्टेप्सहैं ।
एकतोहमेंजानकारीचाहिएकि1731कौनसीकालोनीजहैं,उनकीक्याबाउण्ड्रीजहैंऔरजोडिजिटलसेटेलाइटइमेजरीहै, उसकीग्राउण्डपरवेरिफिकेशनहोगीthat they are the same.कभी-कभीऐसाहोताहैकिसेटेलाइटइमेजरीपुरानीहोतीहै,कालोनीजकाशेपबदलचुकाहोताहै ।
इसकेलिए15आरडब्ल्यूएजको15दिनदिएजाएंगे ।यहकार्यशुरूहोगयाहै ।
आजतककरीब600कालोनीजकीसेटेलाइटइमेजेजमिलगईथीं,उनकोपीडीएफफाइलमेंकन्वर्टकरनाहै,फिरउनकोअपलोडकें ।उसकेबाद16दिसम्बरकोएकअन्यपोर्टलइनागुरेटहोगा,जिससेindividual applicants can apply.अबपूरी1731कालोनीजकाकामकबखत्महोगा,इनकालोनीजमेंजोहमारे40लाखनागरिकरहेहैं,सातलाखयाआठलाखए ।उसकेलिएहमेंप्रयासकरनापड़ेगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“किविधेयककोपारितकियाजाए ।”

प्रस्तावस्वीकृतहुआ ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल लिया जा रहा है
इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों को, जो कल और आज सुबह शून्यकाल में बोल चुके हैं,
कल उन पर विचार किया जाएगा।

। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है,
आज मौकानहीं दे रहा हूँ,

श्रीमती साजदा अहमद।